



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
स्थानीय निकाय
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—4

**भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**स्थानीय निकाय
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष**

**मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—4**

विषय सूची		
	कांडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राककथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
भाग अः पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय एकः पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	2
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.4	4
लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया	1.5	5
सामाजिक लेखापरीक्षा	1.6	6
निधियों के स्रोत	1.7	6
पंचायती राज संस्थाओं के बजटीय आवंटन एवं व्यय	1.8	7
लेखांकन व्यवस्था	1.9	8
बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना	1.10	9
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना	1.11	9
चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान	1.12	9
अध्याय दोः अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन	2.1	11
ब्याज एवं शास्ति की परिहार्य देयता	2.2.1	25
शासकीय खातों में ब्याज का जमा किया जाना	2.2.2	26
संदिग्ध गबन	2.2.3	27
भाग बः नगरीय स्थानीय निकाय		
अध्याय तीनः नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	3.1	29
नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना	3.2	29
नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.3	30
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.4	31
लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया	3.5	32
निधियों के स्रोत	3.6	33
स्थानीय नगरीय निकायों के बजटीय आवंटन एवं व्यय	3.7	34
लेखांकन व्यवस्था	3.8	34

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना	3.9	35
कर राजस्व / गैर कर राजस्व की वसूली न होना	3.10	36
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना	3.11	36
चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान	3.12	37
अध्याय चारः निष्पादन लेखापरीक्षा		
नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषिद्धों द्वारा राजस्व का संग्रहण सहित स्वयं की निधियों का प्रबंधन	4.1	39
अध्याय पांचः अनुपालन लेखापरीक्षा		
नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अनिशमन सेवाओं की स्थापना एवं प्रबंधन	5.1	61
पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली	5.2.1	76
शास्ति एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.2.2	77
आश्रय शुल्क की कम वसूली	5.2.3	78

परिशिष्ट की सूची		
परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.1	2015–16 के दौरान नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं की सूची	81
1.2	दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ बही शेष व पासबुक के शेष में अन्तर	82
1.3	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में बकाया अस्थाई अग्रिमों का विवरण पत्रक	85
2.1	नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों की सूची	87
2.2	अभिप्रेत उददेश्यों हेतु परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं किए जाने से संबंधित विवरण पत्रक	88
2.3	ग्राम पंचायतों में चोरी हुए सामानों की सूची	90
2.4	शासकीय खाते में जमा नहीं किए गए ब्याज को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	92
3.1	नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	94
3.2	2015–16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों की सूची	95
3.3	बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं करना	96
3.4	असंग्रहित कर राजस्व (सम्पत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर, बाजार शुल्क और प्रदर्शन कर) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	97
3.5	असंग्रहित किराया एवं प्रीमियम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	99
3.6	गैर कर राजस्व (जल प्रभार, अनुज्ञाप्ति शुल्क और भूमि एवं भवन किराया इत्यादि) की वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	101
3.7	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण पत्रक	103
4.1	नमूना जांच किए गए नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर के मांग एवं वसूली का विवरण पत्रक	104
4.2	नमूना जांच किए गए नगरीय निकायों में समेकित कर के मांग एवं वसूली का विवरण पत्रक	107
4.3	उपयोग शुल्क (जलकर) की मांग एवं वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	110
4.4 (अ)	अवास्तविक बजट अनुमानों को तैयार किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	113
4.4 (ब)	अवास्तविक बजट अनुमानों को तैयार किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	115
4.5	31.03.2016 की स्थिति में रोकड़ बही और बैंक पास बुक में भिन्नता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	117
4.6	आरक्षित निधि में राशि कम जमा करने को दर्शानेवाला विवरण पत्रक	118

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ क्रमांक
4.7	स्रोत पर करों के कटौत्रे को सम्बंधित प्राधिकारियों को प्रेषण नहीं करने का विवरण पत्रक	121
4.8	नगरीय विकास उपकर के राज्य अंशदान को शासकीय खाते में कम जमा करने का विवरण पत्रक	122
4.9	राजस्व विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण पत्रक	125
5.1	नगरपालिक निगम भोपाल के अग्निशमन केन्द्रों के स्थलों के परिमाप का विवरण	126
5.2	नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में उपलब्ध व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का विवरण पत्रक	127
5.3	अग्निकर्मियों की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या का विवरण पत्रक	128
5.4	पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली	129

प्राककथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के साथ संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में 2015–16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए प्रकरणों के साथ—साथ उन प्रकरणों को जो पूर्व वर्षों में प्रकाश में आए थे लेकिन विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके, आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पांच अध्याय हैं। पहला और तीसरा अध्याय क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं। चौथा अध्याय नगरीय स्थानीय निकायों पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। दूसरे और पांचवें अध्याय में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों पर अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं और छह लेखापरीक्षा कंडिकाएं हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण निष्कर्षों के सारांश प्रस्तुत हैं।

अध्याय एक: पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर विहंगावलोकन

- तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तथापि, 2015–16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को राशि ₹ 247.78 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए थे।

(कंडिका 1.7)

- राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का आवंटन वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 7,911.12 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 21,155.33 करोड़ कर दिया। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में बहुत अधिक अव्ययित शेष होने से 2011–16 की अवधि के दौरान बचतें छह से 30 प्रतिशत के मध्य रहीं।

(कंडिका 1.8)

- राज्य सरकार को भारत सरकार से पात्रता अनुसार 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान ₹ 1,463.61 करोड़, दो किस्तों में ₹ 731.81 करोड़ (जुलाई 2015) एवं ₹ 731.80 करोड़ (फरवरी 2016) प्राप्त हुए। तथापि, राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त विलम्ब से जारी की। ग्राम पंचायतों को अनुदान विलम्ब से जारी करने के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने ब्याज राशि के रूप में ₹ 5.17 करोड़ स्वीकृत की, जो कि 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार, ग्राम पंचायतों को किश्त के साथ जारी नहीं की गई थी।

(कंडिका 1.12)

अध्याय दो: अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन

पंचायती राज संस्थाओं की परिसम्पत्तियों में चल एवं अचल परिसम्पत्तियां, जो कालान्तर से उनके स्वामित्व की हैं एवं जिन्हें समय–समय पर अर्जित किया गया है, सम्मिलित हैं। दो जिलों, अनुपपुर और देवास में ‘पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन’ पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना व वार्षिक बजट नहीं बनाया गया था। ग्राम पंचायतों ने विद्यमान परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी, जिससे परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंची।

(कंडिका एं 2.1.2 एवं 2.1.3)

- ग्राम पंचायतों ने पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु पृथक से निधि नहीं रखी, परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर ₹ 4.55 करोड़ का कम उपयोग हुआ। राज्य शासन के निर्देशों के बावजूद किसी भी ग्राम पंचायत ने अनुरक्षण कार्य के निष्पादन हेतु पृथक से बैंक खाता नहीं रखा था। पंचायती राज संस्थाओं ने अधोसंरचना विकास कार्य के निर्माण के लिए जारी की गई तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रान्ट में से गैर अनुमत्य कार्यों पर राशि ₹ 46.69 लाख व्यय किए। लेखापरीक्षा के ध्यान में निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन एवं व्यपर्वतन के प्रकरण आए।

(कंडिकाएं 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2 एवं 2.1.3.3)

- नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं के निरूत्साहपूर्ण रवैये के कारण दो से दस वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बाद भी 1,764 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे परिणामस्वरूप इन निर्माण कार्यों पर ₹ 55.72 करोड़ किया गया व्यय निष्फल रहा। आगे, जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्राप्त राशि ₹ 6.00 करोड़, 15 से 36 माह बीत जाने के पश्चात भी, बिना उपयोग के पड़ी रही। दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2014 में ₹ 6.24 करोड़ अग्रिम में भुगतान किए जाने के बावजूद भी कार्यकारी अभिकरण म.प्र. लघु उद्योग निगम ने ई-पंचायत कक्षों का निर्माण/हस्तांतरण नहीं किया। नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों को अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3 एवं 2.1.4.4)

- ग्राम पंचायतों की अचल परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोड आधारित डाटा बेस तैयार नहीं किया गया था एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद भी ग्राम पंचायतों की अधोसंरचनाओं की भौगोलिक सूचना पद्धति से मैपिंग नहीं की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावशाली नहीं था तथा आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.5)

2.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- जिला पंचायत, टीकमगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान को निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.21 लाख की ब्याज एवं शास्ति के रूप में परिहार्य देयता हुई।

(कंडिका 2.2.1)

- मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्राप्त की गई ब्याज की राशि ₹ 35.29 लाख को शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया था जिसमें से ₹ 24.06 लाख को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जमा किया गया था।

(कंडिका 2.2.2)

- भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में कपटपूर्ण ढंग से दस हजार के अंक जोड़ कर जनपद पंचायत मनावर में शासकीय धनराशि ₹ 0.10 लाख का गबन किया गया।

(कंडिका 2.2.3)

**अध्याय तीनः नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली
एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुददों पर विहंगावलोकन**

- तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा एक प्रतिशत विभाजनीय कर राजस्व नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2015–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 18.14 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए थे।

(कंडिका 3.6)

- राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का आवंटन 2011–12 के दौरान ₹ 4,356.30 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 9,262.96 करोड़ कर दिया। तथापि, नगरीय स्थानीय निकाय सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सके तथा राजस्व शीर्ष में बहुत अधिक अव्ययित शेष होने से 2011–16 की अवधि के दौरान बचतें आठ से 22 प्रतिशत के मध्य रहीं।

(कंडिका 3.7)

- राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 1 अप्रैल 2008 से उपचय आधार लेखांकन प्रणाली लागू करने के लिए, मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली का प्रकाशन किया। तथापि, अगस्त 2016 तक, राज्य की 379 नगरीय स्थानीय निकायों में से, केवल 154 (41 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकायों ने मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली प्रणाली को लागू किया।

(कंडिका 3.8.1)

अध्याय चारः निष्पादन लेखापरीक्षा

4.1 नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषिद्दों द्वारा राजस्व का संग्रहण सहित स्वयं की निधियों का प्रबंधन

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नगरपालिक निगमों या नगरपालिकाओं के द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व निकाय निधि में जमा किए जाते हैं जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर व्यय किए जाते हैं। नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषिद्दों के द्वारा स्वयं की निधियों का प्रबंधन एवं राजस्व के संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए, राज्य के चार नगरपालिक निगमों एवं दस नगरपालिका परिषिद्दों में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शित हैं :

- नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत एवं व्यय की जानकारी एकत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच की गई नगर पालिकाओं द्वारा अर्जित राजस्व अपने व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त थे। नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों में स्वयं के राजस्व का अंश कुल व्यय का 37 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषिद्दों में यह 24 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य था।

(कंडिका 4.1.6)

- नगरपालिकाओं में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली में सहायता हेतु संपत्तिकर बोर्ड का गठन (मार्च 2011) किया गया था। तथापि, बोर्ड ने सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किया क्योंकि बोर्ड के पास कोई मानव शक्ति नहीं थी। वर्ष 2011–16 के दौरान संपत्तिकर, समेकित कर एवं जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की वसूली मांग की अपेक्षा अत्यंत कम रही। मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं

में सम्पत्तिकर की बकाया ₹ 145.38 करोड़, समेकित कर की बकाया ₹ 142.69 करोड़ एवं जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशि ₹ 243.65 करोड़ थी।

(कंडिकाएं 4.1.7 एवं 4.1.8)

- नगरपालिक निगम इन्दौर द्वारा 18 से 25 वर्ष से दुकानों की नीलामी करने में विफल रहने से राजस्व की हानि हुई एवं दुकानों पर अतिक्रमण हुआ। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच की गई नगर पालिकाओं में दुकान किराया/धरोहर ₹ 7.06 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी।

(कंडिका 4.1.10)

- मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुरूप बजट एवं लेखा तैयार नहीं किए गए थे। नमूना जांच किए गए नगरपालिकाओं में बैंक समाधान तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण निधियों के दुरुपयोग का जोखिम था।

(कंडिकाएं 4.1.12.1 एवं 4.1.12.3)

- नगरपालिकाओं द्वारा संचित निधि के संधारण हेतु राज्य सरकार के जारी आदेशों का पालन नहीं किया था एवं वर्ष 2011–16 के दौरान संचित निधि में ₹ 162.53 करोड़ कम जमा किए गए। संचित निधि से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के राशि का आहरण किया गया था।

(कंडिका 4.1.12.4)

- नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि से निर्धारित राज्यांश, राज्य शासन के खाते में जमा नहीं करने के कारण राज्य शासन ₹ 18.60 करोड़ प्राप्त करने से वंचित हुआ। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों द्वारा वैटकर, रॉयल्टी एवं कर्मकार उपकर एवं आयकर के रूप में स्रोत पर काटी गयी ₹ 7.66 करोड़ को शासन के खाते में जमा नहीं किया गया, एवं निकायों द्वारा स्वयं के नियमित व्यय पर उपयोग किया।

(कंडिकाएं 4.1.12.6 एवं 4.1.12.9)

- नगरपालिकाओं की राजस्व शाखा में कर्मचारियों की अत्यंत कमी के कारण राजस्व वसूली प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त करों की मांग का अनुवीक्षण भौगोलिक सूचना पद्धति सर्वेक्षण के आधार पर नहीं किया गया।

(कंडिका 4.1.13)

अध्याय पांच: अनुपालन लेखापरीक्षा

5.1 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं की स्थापना एवं प्रबंधन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं को नगरपालिका कार्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय, अग्निशमन दल की स्थापना एवं रख रखाव तथा अग्नि को बुझाने तथा उसको रोकने के लिए व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी है। 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं की स्थापना एवं प्रबंधन की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी, जिसमें यह पाया :

- राज्य सरकार द्वारा अग्नि शमन सेवाओं के सुदृढीकरण तथा प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश 2012, जिसमें अधिनियमन एक वर्ष के भीतर बनाया जाना था, के बावजूद राज्य में अग्नि अधिनियम का अधिनियमन नहीं किया गया था। नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अग्निशमन सेवाओं को नियंत्रित करने हेतु कोई विनियमन/उपविधियां तैयार नहीं की गई थी जैसा कि संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत निहित था। राज्य अग्नि प्राधिकारी तथा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड के मानदण्डों के अनुपालन में भवनों में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 5.1.2 एवं 5.1.4.7)

- नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए उनके द्वारा वसूल किए गए अग्निकर की राशि का भी उपयोग नहीं किया गया था। राज्य आयोजना में निधियों की मांग हेतु संपूर्ण राज्य के लिए उपकरणों एवं अमले की आवश्यकता की गणना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, राज्य में अग्निशमन सेवाएं सुदृढ़ नहीं हो सकी तथा आधारभूत आवश्यकताओं जैसे अग्निशमन केन्द्रों, अनिवार्य उपकरण तथा मानवशक्ति की अत्यधिक कमी रही।

(कंडिका 5.1.3)

- भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे, भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम में पर्याप्त अग्निशमन केन्द्रों की कमी थी। निधियों के अभाव में भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना (Fire Mitigation Plan) का क्रियान्वयन नहीं किया गया। अनिवार्य उपकरणों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्तता थी।

(कंडिकाएं 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3 एवं 5.1.4.4)

- नगरीय स्थानीय निकायों के पास अग्निशमन कर्मियों की उल्लेखनीय कमी थी। 2011–16 के दौरान अग्निकर्मचारी के स्वीकृत पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं की गई थी। अग्निशमन सेवाओं के लिये पदस्थ 285 कर्मियों में से के केवल 94 कर्मचारी (33 प्रतिशत) नियमित आधार पर कार्य कर रहे थे एवं शेष 191 कर्मचारी या तो दैनिक वेतन पर थे अथवा संविदा आधार पर थे। अग्निशमन कर्मचारियों की क्षमतावर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा न तो किसी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी न ही नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

(कंडिकाएं 5.1.5.1 एवं 5.1.5.2)

- नमूना जांच की गई किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अग्नि सूचना पर कार्रवाई हेतु प्रतिक्रिया समय अभिलिखित नहीं किया गया था। अग्नि की रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। अग्निशमन केन्द्रों/उपकरणों के आवधिक निरीक्षण एवं इसकी रिपोर्टिंग हेतु राज्य स्तर के साथ ही नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर कोई अनुवीक्षण व्यवस्था नहीं थी। अग्नि सूचना पंजी उपयुक्त रूप से संधारित नहीं की गई थी जिसके कारण अग्निशमन सेवाओं की दक्षता लेखापरीक्षा में आंकलित नहीं की जा सकी।

(कंडिकाएं 5.1.4.6 एवं 5.1.6)

5.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- नगरपालिका परिषद, बदनावर जिला-धार द्वारा छह कॉलोनाईजरों से पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 78.82 लाख की कम वसूली की गई थी।

(कंडिका 5.2.1)

- नगरपालिका निगम, उज्जैन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के संबंध में सांविधिक देय राशि को जमा करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप ₹ 65.55 लाख की शास्ति एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.2.2)

- नगरपालिका निगम रीवा में कॉलोनाईजरों से ₹ 36.37 लाख आश्रय शुल्क वसूल नहीं की गई थी/कम वसूल की गई थी।

(कंडिका 5.2.3)

भाग—अ

अध्याय—एक

**पंचायती राज संस्थाओं की
कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली
एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर
विहंगावलोकन**

अध्याय एक : पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर विहंगावलोकन

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी एवं साथ-साथ पंचायतों के गांव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर गठन, पंचायतों के कार्यकाल का निर्धारण एवं नियमित चुनाव, पंचायतों को राज्य विधान मंडल द्वारा अधिशक्तियां एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण तथा पंचायतों के ठोस वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। इस संशोधन के फलस्वरूप, स्थानीय प्रशासन एवं विकास के क्रियाकलापों में, पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया।

राज्य में पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था त्रि-स्तरीय संरचना के रूप में है: जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हैं। मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 51 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 22,825 ग्राम पंचायतें थीं।

राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य की मूलभूत जनसांख्यिकी जानकारी नीचे दी गई है:


विवरण	इकाई	मध्य प्रदेश	अखिल भारत
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में अंश	प्रतिशत	6	—
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.26	83.30
ग्रामीण जनसंख्या का अंश	प्रतिशत	72.37	68.84
ग्रामीण साक्षरता दर	प्रतिशत	63.94	68.90
ग्रामीण लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियाँ)	अनुपात	936 / 1000	947 / 1000

(स्रोत: जनगणना आंकड़े 2011)

1.2 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाओं को उचित रूप से क्रियान्वित करने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, उत्तरदायी है। राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:

पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना



1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान सभा, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

1.3.1 जिला स्तर पर जिला पंचायतें पंचायत का प्रथम स्तर हैं। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जिन्हें एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार (धारा 32) होता है, से मिलकर बनेगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत जिला पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, भुगतान को प्राधिकृत करने, चैक जारी करने एवं धन वापसी आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, धारा 69 (3) में उल्लेख है कि राज्य शासन प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे कृत्यों एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उसे सौंपें जाएँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होता है और लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी आदि विभाग उसके सहायक होते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला पंचायत के संकल्प पर कार्यवाही एवं जिला पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। वह वित्तीय नियम के अनुसार जिला पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु प्राधिकृत होता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला के योजनाबद्ध विकास के लिए बजट तैयार करने और संसाधनों के उपयोग, जिला के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करने एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गयी योजनाओं का समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी, तथा केन्द्र या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए विनियोजन करने के लिए भी उत्तरदायी है।

1.3.2 जनपद पंचायतें ब्लाक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जिनको एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार (धारा 25) होता है, से मिलकर बनेगी। अध्यक्ष, जनपद पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत जनपद पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, भुगतान को प्राधिकृत करने, चैक जारी करने एवं धन वापसी आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, धारा 69 (2) में उल्लेख है कि राज्य शासन, प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे कृत्यों एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जाएँ। ब्लाक विस्तार अधिकारी, लेखा अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी यथा सहायक यंत्री तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के सहायक होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के संकल्प पर क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही तथा जनपद पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होगा। वह वित्तीय नियम के अनुसार जनपद पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु प्राधिकृत होता है।

1.3.3 ग्राम पंचायत आधार स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंतिम स्तर है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत एक सरपंच एवं निर्वाचित पंचों से मिलकर बनेगी। अधिनियम की धारा 17 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सरपंच निर्वाचित होते हैं। सरपंच, ग्राम पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सौंपे सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, भुगतान को प्राधिकृत करने, चैक जारी करने एवं धन वापसी आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, अधिनियम की धारा 69 में प्रावधान है कि राज्य शासन या विहित प्राधिकारी एक ग्राम पंचायत या दो अथवा अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकता है। ग्राम पंचायत (सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ) नियम 1990 के अनुसार,

ग्राम पंचायत की बैठक और ग्राम सभा को बुलाने एवं कार्यवाही अभिलेखित करना, ग्राम पंचायत के कार्यप्रणाली को विनियमित करना, ग्राम पंचायत के सभी कार्यालयीन अभिलेखों का संधारण करना, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना तैयार करना, आय एवं व्यय का प्राक्कलन तैयार करना, ग्राम पंचायत के कर, फीस तथा अन्य बकाया वसूल करना, ग्राम पंचायत के सचिव का दायित्व है। सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखना, जल संसाधनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव, ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था युवा कल्याण को बढ़ावा देना, समाज कल्याण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कार्य करने के लिए भी ग्राम पंचायत का सचिव उत्तरदायी है।

1.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

राज्य शासन ने पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को नियुक्त किया (नवम्बर 2001) और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत कार्य करेगा। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखाओं की ऐसी नमूना जांच और उन पर टिप्पणी करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक (सप्लीमेंट) करने का अधिकार होगा, जहां तक वह उचित समझे। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि, अपने विवेक से लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित करने का अधिकार रखते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा राज्य में स्थानीय निकायों के विनियोग लेखाओं के परीक्षण करने के लिए वर्ष 2016–17 हेतु स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का गठन किया है (अप्रैल 2016)। स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति विधान सभा पटल पर रखी गयी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

- **भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता**

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152 में पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं :

- स्थानीय निधि संपरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा और उसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ओर अग्रेषित करेगा।
- स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया और लेखापरीक्षा क्रियाविधि, राज्य द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों और परिनियम तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा चयनित स्थानीय निकायों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रणाली में सुधार के सुझाव हेतु अग्रेषित की जाएगी।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा 2015–16 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ओर अग्रेषित की गई थी। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा समय–समय पर सुझाई गई क्रियाविधि एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया। निरीक्षण

प्रतिवेदनों को जांचने हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) की ओर अग्रेषित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 2017) कि संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ने वर्ष 2015–16 के दौरान उनकी लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं की संख्या की समेकित जानकारी का संधारण नहीं किया।

● स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, साथ-ही-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तदनुसार, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया, इसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की पंचायतों पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु भेजेंगे।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर जुलाई 2016 में, रखा गया। यद्यपि, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के वर्ष 2012–13 एवं इसके बाद के प्रतिवेदन विधान सभा में रखे जाने की प्रक्रिया में है (फरवरी 2017)।

1.5 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान, 51 में से 24 जिला पंचायत, 313 में से 88 जनपद पंचायत एवं 22,825 में से 1,020 ग्राम पंचायतों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी (**परिशिष्ट-1.1**)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) मध्य प्रदेश के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किए गए थे। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन पर आगे की कार्रवाई, उसी प्रकार करना था जैसे कि ये उसके प्रतिवेदन हों। जनवरी 2017 की स्थिति में 5,441 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 32,388 कंडिकाएं, 2015–16 के दौरान जारी 1,087 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 9,786 कंडिकाओं सहित, निराकरण हेतु लंबित थीं, विवरण तालिका-1.1 में दिया गया है:

तालिका-1.1: जनवरी 2017 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

सं. क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष एवं वर्ष के दौरान सम्मिलित				वर्ष के दौरान निराकृत		अंतिम शेष	
		निरी. प्रति. का प्रा. शेष	जोड़ी गई नि. प्र.	कंडिकाओं का प्रा. शेष	जोड़ी गई कंडिकाएं	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
1	2011–12 तक	3,027	—	15,646	—	6	357	3,021	15,289
2	2012–13	3,021	573	15,289	3,290	0	126	3,594	18,453
3	2013–14	3,594	500	18,453	3,516	0	74	4,094	21,895
4	2014–15	4,094	425	21,895	3,148	71	1,188	4,448	23,855
5	2015–16	4,448	1,087	23,855	9,786	94	1253	5,441	32,388

(स्रोत: महालेखाकार (सा.एवंसा.क्षे.ले.प.) म.प्र. द्वारा संकलित मासिक बकाया प्रतिवेदन)

1.6 सामाजिक लेखापरीक्षा

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने एवं लोगों को उनकी जरूरत और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करने के लिए राज्य में एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई 'म.प्र. राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति' गठित की गयी थी (जनवरी 2013), जो म.प्र. राज्य सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया था। म.प्र. राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण करने एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के अभिलेखों के मूल हितग्राहियों द्वारा सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेवार है।

म.प्र. राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति ने सूचित किया (मार्च 2017) कि वर्ष 2015–16 में 506 सामाजिक लेखापरीक्षाएं आयोजित की गई थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य में 2012–13 से 2015–16 की अवधि के दौरान निर्धारित आवृत्तियों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, जिसका विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है:

तालिका-1.2: सामाजिक लेखापरीक्षा की वर्षवार स्थिति

संक्र.	वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में दो बार किए जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की कुल संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा का कवरेज (की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या के संदर्भ में प्रतिशत)
1	2012–13	23,010	46,020	81(0.18)
2	2013–14	23,006	46,012	1,662(3.60)
3	2014–15	22,823	45,646	931(2.04)
4	2015–16	22,825	45,650	506(1.11)
	कुल	91,664	1,83,328	3,180

(स्रोत: संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी)

इस प्रकार 2012–13 से 2015–16 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा का कवरेज, की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की अपेक्षित संख्या का 0.18 प्रतिशत एवं 3.6 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान किए गए क्रमशः 931 एवं 506 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा, वर्ष 2013–14 के दौरान किए गए 1,662 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा से घट गई थी। म.प्र. राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति ने सूचित किया (मार्च 2017) कि खाली पदों पर भर्ती किए जाने के बाद, जिसकी प्रक्रिया चालू थी, निर्धारित संख्या में सामाजिक लेखापरीक्षा की जा सकेगी।

वित्तीय प्रतिवेदित मुद्रे

1.7 निधियों के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के निधियों के मुख्यतः दो स्रोत अर्थात् शासकीय अनुदान एवं स्वयं का कर राजस्व है। शासकीय अनुदान में सम्मिलित है :

- भारत के 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अनुदान; एवं
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन द्वारा पिछले वर्ष के विभाजनीय कर राजस्व के चार प्रतिशत का हस्तांतरण।

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि¹ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण नीचे तालिका—1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका—1.3: पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य शासन की विभाजनीय निधि	हस्तांतरण योग्य निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि	कम हस्तांतरित निधि
2015–16	28,944.50	1,157.78	910.00	247.78

(स्रोत: वित्त विभाग एवं पंचायती राज संचालनालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इस प्रकार तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने 2015–16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को राशि ₹ 247.78 करोड़ कम हस्तांतरित की। वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2016) कि लेखों को अंतिमरूप देने के बाद ही राशि कम जारी करने के कारण सूचित किया जाएगा।

1.8 पंचायती राज संस्थाओं के बजटीय आवंटन एवं व्यय

राज्य शासन द्वारा राज्य बजट से विगत पांच वित्तीय वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों (राज्य के कर राजस्व का अंश एवं योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान) को तालिका—1.4 में दिया गया है :

तालिका—1.4: पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान				वास्तविक व्यय			अव्ययित निधि (4–7)	अव्ययित निधि का प्रतिशत
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कुल	राजस्व	पूंजीगत	कुल		
2011–12	7,670.04	241.08	7,911.12	6,697.87	365.29	7,063.16	847.96	11
2012–13	8,948.74	345.78	9,294.52	8,385.85	345.30	8,731.15	563.37	6
2013–14	10,752.72	213.70	10,966.42	9,151.26	91.10	9,242.36	1,724.06	16
2014–15	18,871.32	76.60	18,947.92	13,209.32	12.66	13,221.98	5,725.94	30
2015–16	21,044.83	110.50	21,155.33	15,272.97	1.94	15,274.91	5,880.42	28
योग	67,287.65	987.66	68,275.31	52,717.27	816.29	53,533.56	14,741.75	

(स्रोत: विनियोग लेखे अनुदान सं. 15, 52, 62 एवं 74)

जैसा कि तालिका—1.4 से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2015–16 के दौरान वर्ष 2011–12 की तुलना में अनुदान आवंटन में 167 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में बहुत अधिक अव्ययित शेष होने से 2011–16 की अवधि के दौरान बचतें छह से 30 प्रतिशत के मध्य रहीं।

पंचायती राज संचालनालय ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि पंचायती राज संस्थाओं को कम व्यय किए जाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए थे।

¹ विभाजनीय निधि : पूर्व वर्ष का कुल कर राजस्व – करों के संग्रहण पर किए गए व्यय का 10 प्रतिशत – पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गए राजस्व

1.9 लेखांकन व्यवस्था

1.9.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लेखाओं का संधारण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं पंचायत राज मंत्रालय (भारत सरकार) ने आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति के अनुरूप लेखांकन रूपरेखा एवं संहिताकरण पद्धति को विकसित किया जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रारम्भ किया जाना था। आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति के अनुसार प्राप्ति एवं अदायगी लेखे, समेकित सार पंजी, प्राप्ति और अदायगी पत्रक, चल संपत्ति पंजी, अचल संपत्ति पंजी, वस्तु सूची पंजी, मांग एवं संग्रहण पंजी इत्यादि को तैयार करना होता है। मध्य प्रदेश शासन ने आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति को अगस्त 2010 से अपनाया।

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 1,132 पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जांच में पाया कि किसी भी पंचायती राज संस्थाओं (24 जिला पंचायतें, 88 जनपद पंचायतें एवं 1,020 ग्राम पंचायतें) ने आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति के प्रपत्रों के अनुसार लेखाओं का संधारण नहीं किया था। तथापि, उनके लेखे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रचलित लेखा नियम के अनुसार ही संधारित किए जा रहे थे। आगे, यह भी देखा गया कि पंचायत राज संचालनालय, पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों की पूर्णता से संबंधित समेकित जानकारी संधारित नहीं कर रहा था।

पंचायत राज संचालनालय ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि पंचायती राज संस्थाओं को आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति के प्रारूपों में लेखाओं को संधारित करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे। तथापि, वर्तमान में, लेखे पंचायत दर्पण वेबसाइट पर भी संधारित किए जा रहे थे।

तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अगस्त 2010 से आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति को अपनाने के बावजूद किसी भी नमूना जांच की गई कोई भी पंचायती राज संस्था लेखों का संधारण आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति प्रपत्रों में नहीं कर रही थी।

1.9.2 पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक बजट

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पंचायत वार्षिक बजट तैयार करेगी। बजट प्रस्तुतीकरण के लिए समय अनुसूची भी निर्धारित थी।

वर्ष 2015–16 के दौरान 1,132 पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जांच में पाया कि 253 पंचायती राज संस्थाओं ने वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। आगे, 34 पंचायती राज संस्थाओं ने अपने वार्षिक बजट निर्धारित समय में नहीं बनाए। शेष 835 पंचायत राज संस्थाओं (17 जिला पंचायत, 44 जनपद पंचायत एवं 774 ग्राम पंचायत) ने सुसंगत अभिलेख/जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की। विवरण तालिका–1.5 में दर्शाया गया है :

तालिका–1.5: वार्षिक बजट तैयार किए जाने की स्थिति

पंचायती राज संस्थायें	नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट अनुमोदन के लिए अनुसूचित समय	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिन्होंने बजट तैयार नहीं किया	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या, जिन्होंने बजट विलंब से तैयार किया
जिला पंचायत	24	20 जनवरी	02	04 (02 से 305 दिन)
जनपद पंचायत	88	30 जनवरी	13	29 (06 से 526 दिन)
ग्राम पंचायत	1,020	21 फरवरी	238	01 (314 दिन)

(स्रोत: नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं से संकलित जानकारी)

इस प्रकार, नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक बजट तैयार करने के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

1.10 बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना

रोकड़ बही के शेष तथा बैंक खाते के शेष के मध्य किसी अंतर हेतु मासिक आधार पर समाधान का प्रावधान मध्य प्रदेश पंचायत लेखा नियम में है।

1,132 पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि 91 पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतें-12, जनपद पंचायतें-57 एवं ग्राम पंचायतें-22) द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया। इन 91 पंचायती राज संस्थाओं के रोकड़ बही एवं बैंक बुक के शेषों में मार्च 2015 की स्थिति में परिशिष्ट-1.2 के विवरण अनुसार असमाधानित अन्तर था। आगे, 107 पंचायती राज संस्थाओं (जनपद पंचायत- 6 एवं ग्राम पंचायत-101) द्वारा सुसंगत सूचना/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रोकड़ बही के शेष एवं बैंक बुक के शेषों के मध्य अंतर का समाधान करने में विफल रहने से, निधियों के दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ था।

सम्बन्धित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा बताया गया (2015-16) कि रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों के अंतर का समाधान किया जाएगा। पंचायत राज संचालनालय ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि पंचायती राज संस्थाओं को बैंक समाधान करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.11 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 52 एवं मध्य प्रदेश जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 49 के अनुसार उस व्यक्ति की, जिसने अग्रिम लिया है, यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसा व्यय करने के तुरन्त पश्चात उस प्रयोजन के लिए किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करे, ऐसा न होने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि उसके अगले वेतन या अन्य देय राशियों में से काटी जाएगी।

1,132 पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 44 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को 1983-84 से राशि ₹ 92.90 लाख के अस्थायी अग्रिम प्रदान किए थे जो 31 मार्च 2015 तक लंबित थे। विवरण परिशिष्ट-1.3 में दर्शाया गया है।

सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया (2015-16) कि अग्रिमों की वसूली की जाएगी। पंचायत राज संचालनालय ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि पंचायती राज संस्थाओं को अस्थायी अग्रिमों के समायोजन हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.12 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग के सहायता अनुदान 2015-16 के दौरान राज्यों को मूल अनुदान के रूप में जारी किए गए थे। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन, संबंधित राज्यों द्वारा किए जाने थे। आगे, इस अनुदान को केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के खाते में, प्राप्ति दिनांक से 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किए जाने थे। किसी भी विलंब की स्थिति में, राज्य सरकार अपनी निधि से, भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित बैंक दर से ब्याज सहित अनुदान की किश्त, जारी करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार को भारत सरकार से पात्रता अनुसार ₹ 1,463.61 करोड़ मूल अनुदान, दो किश्तों में ₹ 731.81 करोड़ (जुलाई 2015) एवं ₹ 731.80 करोड़ (फरवरी 2016) प्राप्त हुए। तथापि, राज्य सरकार ने तालिका-1.6 में दर्शाए विवरण अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त विलम्ब से जारी किया:

तालिका-1.6: 2015–16 के दौरान 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान की पात्रता एवं जारी करना

(₹ करोड़ में)

राज्य की पात्रता	भारत सरकार से प्राप्त		ग्राम पंचायतों को जारी		विलम्ब (दिन)	ब्याज
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		
1,463.61	13.07.2015	731.81	25.08.2015	575.00	27	3.51
			14.09.2015	156.81	47	1.66
	18.02.2016	731.80	02.03.2016	438.79	—	—
			03.03.2016	293.01	—	—

(स्रोत : वित्त विभाग एवं पंचायत राज संचालनालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

ग्राम पंचायतों को अनुदान विलम्ब से जारी करने के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने ब्याज के रूप में ₹ 5.17 करोड़² स्वीकृत किए। तथापि 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार ग्राम पंचायतों को ब्याज की राशि किश्त के साथ जारी नहीं की गई थी।

पंचायत राज संचालनालय ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि ब्याज शीर्ष में बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण, ब्याज को संवितरित नहीं किया जा सका था।

तथ्य यह है कि भारत सरकार से प्राप्त मूल अनुदानों को राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा में ग्राम पंचायतों को जारी करने में विफल रही। परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 5.17 करोड़ की अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई।

² दिनांक 25.08.2015 को ₹ 1.77 करोड़, दिनांक 25.08.2015 को ₹ 1.74 करोड़ एवं दिनांक 14.09.2015 को ₹ 1.67 करोड़

अध्याय—दो

अनुपालन लेखापरीक्षा

- पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन
- अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय दो : अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन

2.1.1 प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं की परिसम्पत्तियों में चल एवं अचल परिसम्पत्तियां, जो कालान्तर से उनके स्वामित्व की है एवं जिन्हें समय—समय पर अर्जित किया गया हो, सम्मिलित है, यथा पंचायत भवन, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर, शाला भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक कूप, स्टाप डेम, पुलिया सहित पहुंच मार्ग इत्यादि। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियाँ एवं कार्य) नियम, 1999 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की चल एवं अचल सम्पत्तियों का हिसाब रखने, उनकी सुरक्षा तथा रखरखाव पर ध्यान रखना एवं ग्राम पंचायत की अचल सम्पत्तियों को अतिक्रमण से बचाने हेतु सतर्क रहना, ग्राम पंचायत के सचिव का उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत उनसे सम्बन्धित पंचायतों की परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी हैं।

परिसम्पत्ति प्रबन्धन के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन, अर्जन, उचित रूप से लेखांकन, उपयोग, अनुरक्षण एवं निस्तारण का निर्णय करना एवं आयोजना सम्मिलित है। पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन की लेखापरीक्षा हेतु जनसंख्या के आंकड़ों के आधार को उपयोग करते हुए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बिना प्रतिस्थापन पद्धति से दो जिलों, अनुपपुर (आदिवासी जिला) एवं देवास (गैर आदिवासी जिला) का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास के साथ—साथ इन दोनों जिलों के समस्त जनपद पंचायतों (जिला अनुपपुर की चार जनपद पंचायतें एवं देवास जिले की छह जनपद पंचायतें) के 2011–12 से 2015–16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। प्रत्येक जनपद पंचायत के अंतर्गत दस ग्राम पंचायतों का चयन सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति से किया गया था। तदनुसार 100 ग्राम पंचायतों का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया था (**परिशिष्ट-2.1**)।

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदण्ड एवं क्रियाविधि पर चर्चा हेतु दिनांक 30 मार्च 2016 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा हेतु प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से दिनांक 20 जनवरी 2017 को निर्गम सम्मेलन किया गया। शासन के उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 आयोजना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश (अप्रैल 2006) के अनुसार, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय विभागों एवं ग्राम सभा की परिसंपत्तियों की निगरानी एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायतों द्वारा भवनों, नालियों, आंतरिक सड़क एवं पेयजल स्रोतों इत्यादि के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार किया जाना आवश्यक था, जिसे ग्राम सभा से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था।

आगे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 49(क), 50 एवं 52(1) के अनुसार, पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए वार्षिक कार्ययोजना

तैयार कर उसे जनपद पंचायत की कार्ययोजना के साथ निर्धारित समय में एकीकरण के लिए जनपद पंचायत को प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदायी थी। आगे, जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार करने एवं समेकित कर जिले की वार्षिक कार्ययोजना में समेकन करने हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी थी।

पंचायत क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायतों ने वार्षिक कार्ययोजना एवं वार्षिक बजट नहीं तैयार किया था। इन ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर में बताया (अप्रैल–जुलाई 2016) कि भविष्य में वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार, ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के वार्षिक कार्ययोजना बनाने के प्रावधान तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण क्षेत्र की परिसंपत्ति के अनुरक्षण हेतु वार्षिक अनुरक्षण योजना को तैयार करने के निर्देशों, के अनुपालन करने में विफल रही।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि आगामी वर्ष से ग्राम पंचायतों की सहभागिता से योजना बनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा।

2.1.3 वित्त प्रबन्धन

पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु राज्य शासन ने विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा, परफार्मेन्स ग्रान्ट, विधायक निधि, सांसद निधि, जनभागीदारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान राशि के रूप में जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को निधियां प्रदान की। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार राज्य प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में ₹ 10 लाख तक के व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रकरण में ₹ 15 लाख तक के निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। उक्त सीमा से अधिक के निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेन्सी है, द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कुल प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण तालिका-2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1: केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियों सहित प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अंतिम शेष
2011–12	23.43	46.29	69.72	30.21	39.51
2012–13	39.51	157.24	196.75	136.61	60.14
2013–14	60.14	181.39	241.53	147.79	93.74
2014–15	93.74	131.78	225.52	122.13	103.39
2015–16	103.39	93.17	196.56	101.17	95.39

(स्रोत: नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

इस प्रकार, सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान राशि में वर्ष 2011–12 से 2015–16 में वृद्धि हुई। तथापि, जिला एवं जनपद पंचायतें सम्पत्तियों के सृजन के लिए प्राप्त अनुदानों का उपयोग नहीं कर सकी एवं इन वर्षों में अप्रयुक्त शेषों की राशि ₹ 39.51 करोड़ से ₹ 103.39 करोड़ के मध्य रही।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य शासन ने पंच परमेश्वर योजना, जिसे वर्ष 2011–12 में प्रारम्भ किया गया था, के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सीधे ग्राम पंचायतों को

राशि जारी की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने विभिन्न सहायता अनुदान योजनाओं यथा तेरहवें/चौदहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम सभा के सुदृढीकरण हेतु अनुदान एवं पंचायती राज संस्थाओं को परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु अनुदान की निधि को एक मुश्त सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में अंतरित किया था।

योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि का उपयोग आंतरिक सड़क/नाली निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवनों एवं ई-पंचायत कक्ष निर्माण में किया जाना था। आगे योजना की 20 प्रतिशत राशि को परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु व्यय किया जाना था।

2011–16 के दौरान पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत नमूना जांच की गई जिला पंचायतों की 777 ग्राम पंचायतों में कुल ₹ 196.16 करोड़, अनुपपुर (₹ 71.93 करोड़) एवं देवास (₹ 124.23 करोड़) जारी किए गए थे। जिसके विरुद्ध ग्राम पंचायतों ने कुल ₹ 162.48 करोड़ (₹ 60.07 करोड़ एवं ₹ 102.41 करोड़ क्रमशः अनुपपुर एवं देवास में) व्यय किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों ने योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेख होने के बावजूद योजना निधि का 20 प्रतिशत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर व्यय नहीं किया था। विवरण तालिका-2.2 में वर्णित है।

तालिका-2.2: नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि	परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर उपयोग हेतु कुल जारी राशि का 20 प्रतिशत	परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर वास्तविक व्यय	परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर कम उपयोग
2011–12	6.01	1.20	0.06	1.14
2012–13	6.03	1.20	0.14	1.06
2013–14	6.46	1.29	0.25	1.04
2014–15	3.45	0.69	0.32	0.37
2015–16	6.40	1.28	0.34	0.94
योग	28.35	5.66	1.11	4.55

(स्रोत: पंचायत राज संचालनालय एवं नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों ने परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए ₹ 4.55 करोड़ कम उपयोग किए

इस प्रकार, 2011–16 के दौरान पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर ₹ 4.55 करोड़ कम व्यय किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 100 ग्राम पंचायतों में से 32 से 84 ग्राम पंचायतों द्वारा 2011–16 की अवधि में परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर कोई भी व्यय नहीं किया गया। आगे संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु पृथक से बैंक खाता संधारित नहीं किया गया यद्यपि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश (अप्रैल 2006) के अंतर्गत ऐसा आवश्यक था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास की ग्राम पंचायतों में निर्मित 70 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों¹ में से 65 सामुदायिक स्वच्छता परिसर² अनुरक्षण के अभाव में अनुपयोगी रहे थे। आगे यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायतें, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई एवं अनुरक्षण के लिए उपभोक्ता शुल्क का आरोपण नहीं कर रही थीं। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया (जून 2016) कि अनुरक्षण हेतु निधियों की अनुपलब्धता के कारण सामुदायिक स्वच्छता परिसर अनुपयोगी हो गए थे। इस प्रकार पंच परमेश्वर योजना में

¹ जिला पंचायत अनुपपुर की 24 ग्राम पंचायतें एवं जिला पंचायत देवास की 46 ग्राम पंचायतें

² जिला पंचायत अनुपपुर की 22 ग्राम पंचायतें एवं जिला पंचायत देवास की 43 ग्राम पंचायतें

प्रावधान होने के बावजूद भी इन ग्राम पंचायतों द्वारा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, परिणामस्वरूप पंचायतों की परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्तता की स्थिति में पहुंच गई थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान का 20 प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य नहीं था क्योंकि यह अधिकतम सीमा थी। आगे यह भी बताया कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के मरम्मत हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किए जाएंगे।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंच परमेश्वर योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार 20 प्रतिशत राशि सम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु प्रावधानित थी।

2.1.3.1 तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट का व्यपर्वर्तन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पंचायत राज मार्गदर्शिका के अनुसार जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को जारी तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट का उपयोग अधोसंरचना विकास कार्यों के निर्माण हेतु जैसे ग्राम पंचायतों में ई—पंचायतें एवं पंचायत भवन, सीमेन्ट कंक्रीट रोड, नाली, पुलिया, सार्वजनिक मूलभूत सुविधा का सृजन जैसे पंचायत के कार्यालय भवन एवं पंचायत भवनों का विस्तार, बाउन्ड्रीवाल हेतु किया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं ने तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट से ₹ 46.59 लाख के अस्वीकार्य व्यय किए

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट से जिला पंचायत अनुपपुर, जनपद पंचायत बागली एवं जनपद पंचायत खातेगांव द्वारा जनपद पंचायत भवन, कर्मचारी आवास एवं दुकानों के निर्माण पर ₹ 46.69 लाख (तालिका—2.3) व्यय किए गए, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी “पंचायत राज मार्गदर्शिका” के दिशानिर्देश के अनुसार स्वीकार्य व्यय नहीं थे।

तालिका—2.3: परफार्मेन्स ग्रान्ट से विनिर्दिष्ट उददेश्यों के अलावा अन्य कार्यों का निष्पादन

(₹ लाख में)

सं. क्र.	जि.पं. / ज.पं.	कार्य का नाम	कुल कार्य	स्वीकृत राशि	मई 2016 की स्थिति में किया गया व्यय
1	जि.पं. अनुपपुर	जनपद पंचायत भवन एवं कर्मचारी आवास	2	51.90	35.49
2	ज.पं. बागली	दुकान निर्माण	16	11.83	9.70
3	ज.पं. खातेगांव	दुकान निर्माण	1	1.50	1.50
योग				19	65.23
					46.69

(स्रोत: नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने उत्तर में बताया कि व्यय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था तथा वह मार्गदर्शिका के अनुसार था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत कार्य, मार्गदर्शिका में वर्णित अधोसंरचना विकास के विनिर्दिष्ट कार्य नहीं थे।

2.1.3.2 निधि का संदिग्ध दुर्विनियोजन

पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 (1) में उल्लिखित किया गया कि सक्षम अधिकारी की राय में यदि कोई राशि/वस्तु/अभिलेख किसी व्यक्ति द्वारा अप्राधिकृत रूप से रखी गयी है तो सक्षम अधिकारी उसकी वसूली हेतु लिखित आदेश जारी करेगा।

निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा एवं कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि तीन ग्राम पंचायतों में ₹ 4.24 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया, विवरण तालिका-2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: योजना निधि के संदिग्ध दुर्विनियोजन से संबंधित प्रकरण

सं. क्र.	निर्माण कार्यों की कार्यकारी एजेंसी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	ग्राम पंचायत जुहिली जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनुपपुर	<p>पिछ़ा क्षेत्र अनुदान योजनान्तर्गत सामुदायिक भवन एवं ई-पंचायत कक्ष के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत ₹ 10.00 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक) के विरुद्ध ₹ 5.00 लाख एवं ₹ 2.50 लाख की निधि क्रमशः अप्रैल 2013 एवं दिसंबर 2013 में जारी की गई थी। इन कार्यों हेतु 2013–15 के दौरान सरपंच एवं सचिव ने ₹ 7.49 लाख आहरित की थी जबकि माप पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की लागत मात्र ₹ 4.70 लाख थी। इस प्रकार, वास्तविक निष्पादित कार्य से ₹ 2.79 लाख की निधि का अधिक आहरण किया गया था।</p> <p>ग्राम पंचायत ने अपने उत्तर (अप्रैल 2016) में बताया कि पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा बैंक खाते से राशि का आहरण किया गया था तथा कार्य दिसम्बर 2014 से (सामुदायिक भवन) तथा दिसम्बर 2015 से (ई-पंचायत भवन) बन्द था।</p> <p>तथ्य यह है कि किए गए कार्य से ₹ 2.79 लाख अधिक का आहरण दर्शित करता है कि शासकीय राशि का गबन किया गया होगा।</p>
2	ग्राम पंचायत चौबाराजागीर जनपद पंचायत सोनकच्छ (देवास)	<p>सांसद निधि से ₹ 1.00 लाख लागत का मांगलिक भवन स्वीकृत किया गया था (मार्च 2010) जिसके विरुद्ध ₹ 0.90 लाख (₹ 0.50 लाख जून 2010 में तथा ₹ 0.40 लाख जून 2014 में) जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरपंच एवं सचिव द्वारा कार्य के लिए ₹ 0.70 लाख आहरित किए गए थे। तथापि, माप पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य की लागत मात्र ₹ 0.44 लाख थी।</p> <p>ग्राम पंचायत ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2010) कि पूर्व सचिव द्वारा छत स्तर तक का कार्य निष्पादित करवाया गया उसके बाद से कार्य बन्द था। इस प्रकार, ₹ 0.26 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया था।</p>
3	ग्राम पंचायत धूरिया जनपद पंचायत टोंकखुर्द (देवास)	<p>अनुसूचित बस्ती विकास योजनान्तर्गत 2010–11 में ₹ 5.00 लाख का मांगलिक भवन स्वीकृत किया गया था। जनपद पंचायत टोंकखुर्द ने राशि ₹ 4.00 लाख दो किस्तों में ₹ 2.00 लाख प्रति किस्त के मान से क्रमशः दिसंबर 2011 एवं जनवरी 2014 में जारी की थी जिसके विरुद्ध सरपंच एवं सचिव द्वारा 2013–14 तक ₹ 3.65 लाख का आहरण किया गया था। तथापि माप पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य की लागत मात्र ₹ 2.46 लाख थी। इस प्रकार, ₹ 1.19 लाख का संभावित दुर्विनियोजन किया गया था।</p> <p>ग्राम पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया (मार्च 2016) कि पूर्व सरपंच एवं सचिव ने ₹ 3.65 लाख आहरित किया एवं निधि के आहरण तथा लागत वृद्धि के कारण कार्य बन्द था।</p>

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की जांच की जाएगी तथा तदनुसार दुर्विनियोजित निधि की वसूली की जाएगी।

2.1.3.3 ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु प्राप्त अनुदान का व्यपवर्तन

राज्य शासन ने 2010–11 से 2012–13 के दौरान नमूना जांच की गई जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु राशि ₹ 61.37 लाख जारी किया। दस नमूना जांच की गई जनपद पंचायतों में से केवल जनपद पंचायत कोतमा (जिला पंचायत अनुपपुर) ने सम्पूर्ण सहायता अनुदान ₹ 1.21 लाख ग्राम पंचायतों को जारी की थी। अन्य छह जनपद पंचायतों³ ने सहायता अनुदान राशि ₹ 38.47 लाख को सामान्य प्रयोजन जैसे कर्मचारियों के वेतन और अन्य व्यय व नये कार्यों के निर्माण पर व्यय कर राशि व्यपवर्तित की। जिला पंचायत अनुपपुर, जनपद पंचायत देवास और जनपद पंचायत जैतहरी में समस्त सहायता अनुदान ₹ 22.39 लाख प्राप्ति के तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अव्ययित पायी गयी।

जनपद पंचायत अनुपपुर द्वारा सहायता अनुदान राशि ₹ 2.10 लाख तीन वर्ष तक अव्ययित रखने के बाद शासन को समर्पित की गयी। इस प्रकार जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा नियत उद्देश्यों हेतु प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि प्रदाय की गई विनिर्दिष्ट अनुदान का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य पर किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

तथापि, तथ्य यह है कि छह जनपद पंचायतों द्वारा नियत उद्देश्यों हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्राधिकृत रूप से स्वीकृत उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए प्रत्यावर्तित की गयी जिसके नियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

2.1.4 परिसम्पत्तियों का निर्माण, उपयोग एवं उनका रखरखाव

2.1.4.1 अपूर्ण कार्यों पर अलाभकारी व्यय

1,764 अपूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹ 55.72 करोड़ का अलाभकारी व्यय

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2006–07 से 2013–14 के दौरान नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,764 कार्य स्वीकृत किए गए जो कि दो से दस वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपूर्ण थे विवरण तालिका–2.5 में दिया गया है। इन कार्यों में सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, ई-पंचायत भवन, रैन बसेरा, यात्री प्रतीक्षालय, स्कूलों में किचन शेड, आंगनवाड़ी केन्द्र, चबूतरा निर्माण, सड़कों को जोड़ना आदि शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों पर ₹ 55.72 लाख का किया गया व्यय निष्फल रहा।

तालिका–2.5: नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं में अपूर्ण कार्यों का विवरण
(₹ लाख में)

स्वीकृत वर्ष	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय
2005–06	1	0.20
2006–07	21	12.60
2007–08	17	10.12
2008–09	14	10.68
2009–10	324	194.70
2010–11	115	77.46

³

बागली, कन्नोद, खातेगाँव, पुष्पराजगढ़, सोनकच्छ एवं टोकखुर्द

स्वीकृत वर्ष	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय
2011–12	85	548.01
2012–13	75	515.25
2013–14	1,112	4,202.73
	1,764	5,571.75

(स्रोत: नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों द्वारा रुचि न लेने के कारण कार्य अपूर्ण रहे और उन्हें कार्यशीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.4.2 अधोसंरचना विकास कार्य हेतु प्राप्त सहायता अनुदान का अनुपयोगी रहना

जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास को परफारमेंस ग्रांट क्रमशः ₹ 2.40 करोड़ (₹ 1.50 करोड़ जुलाई 2014 में एवं ₹ 0.90 करोड़ मार्च 2015 में) एवं ₹ 4.00 करोड़ (₹ 2.50 करोड़ जुलाई 2014 में एवं ₹ 1.50 करोड़ मार्च 2015 में) ग्रामीण क्षेत्र में आठ स्टेडियम⁴ निर्माण हेतु जारी की गई थी। आगे मुख्य मन्त्री हाट बाजार योजनान्तर्गत हाट बाजार की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु जिला पंचायत देवास को ₹ 10.00 लाख जारी (जुलाई 2013) किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अनुपपुर ने सहायता अनुदान ₹ 2.40 करोड़ में से मार्च 2016 तक कोई व्यय नहीं किया था। आगे, स्टेडियम निर्माण से संबंधित राशि ₹ 3.50 करोड़ तथा हाट बाजार हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु राशि ₹ 10 लाख जिला पंचायत देवास के पास जून 2016 तक अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुपपुर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी परन्तु निविदा प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण क्रियान्वयन एजेंसी को निधि जारी नहीं की गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास ने उत्तर दिया (जून 2016) कि दो कार्यों की प्रथम किस्त क्रियान्वयन एजेंसी को जारी कर दी गई थी और अन्य कार्यों की प्रक्रिया प्रचलन में थी। हाट बाजार के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की निधि के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास ने उत्तर दिया (जून 2016) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाए जाने के बाद निधि जारी की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निविदा व अन्य प्रक्रिया शीघ्र किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि अधोसंरचना विकास निधि राशि ₹ 6.00 करोड़, 15 से 36 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

2.1.4.3 प्री-फेब्रिकेटेड ई-पंचायत कक्षों का निर्माण

राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में प्री-फेब्रिकेटेड ई-पंचायत कक्षों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से एक अनुबंध संपादित किया गया था (नवम्बर 2011)

⁴ जिला अनुपपुर में तीन एवं जिला देवास में पांच

तथा सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्य के निष्पादन हेतु मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को एजेंसी नियुक्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था (मई 2012)। नमूना जांच किए गए जिलों में प्री-फेब्रिकेटेड ई-पंचायत कक्षों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया :

- जिला पंचायत अनुपपुर ने राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गयी अनुबंध की दरों पर एकीकृत कार्य योजना योजनान्तर्गत 200 प्री फेब्रिकेटेड ई-पंचायत कक्षों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को कार्य आदेश दिया (दिसम्बर 2012)। जिला पंचायत ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को ₹ 2.52 करोड़, जो कि कार्य की कुल लागत राशि ₹ 10.08 करोड़ का 25 प्रतिशत था, अग्रिम जमा किया (दिसम्बर 2012)। कार्य आदेश के अनुसार कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना था।

कार्य की धीमी प्रगति के कारण, जिला पंचायत द्वारा 150 कार्य निरस्त (मई 2013) कर दिए गए थे एवं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को शेष 50 कार्य तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ₹ 0.71 करोड़ लागत के केवल 14 कार्य पूर्ण कर सका था, किन्तु पूर्ण कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया था (अगस्त 2016)। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जिला पंचायत अनुपपुर ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को शेष अग्रिम ₹ 1.81 करोड़ वापस किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे (मई 2016)।

- जिला पंचायत देवास ने मुद्रांक शुल्क निधि से 304 प्री-फेब्रिकेटेड ई-पंचायत कक्षों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को कार्य आदेश जारी किया था (सितम्बर 2013)। साथ-ही मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को ₹ 3.72 करोड़, जोकि कार्य की कुल लागत राशि ₹ 10.08 करोड़ का 25 प्रतिशत था, अग्रिम जमा भी किया (जनवरी 2014)। निर्माण कार्यों को मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहने के कारण जिला पंचायत ने मार्च 2014 से दिसंबर 2014 के मध्य 233 कार्य निरस्त कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.81 करोड़ मूल्य के केवल 37 कार्य पूर्ण किए गए थे तथा जुलाई 2016 की स्थिति में 34 कार्यों को न तो पूर्ण किया गया था एवं न ही इन कार्यों की राशि वापस की गई थी। आगे, कार्यपालन यन्त्री ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के सब इन्जीनियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की गठित टीम द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन न किए जाने के कारण 37 पूर्ण कार्यों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास द्वारा क्रमशः दिसंबर 2012 एवं जनवरी 2014 में अग्रिम ₹ 6.24 करोड़ जमा किए जाने के उपरान्त भी प्री-फेब्रिकेटेड ई-पंचायत कक्षों के निर्माण करने में असफल रहा। निर्मित किए गए ई-पंचायत कक्षों की लागत राशि ₹ 2.52 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 3.72 करोड़ मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के पास होने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को अदेय आर्थिक लाभ हुआ।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एवं संबंधित जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पूर्ण ई-पंचायत कक्षों के संयुक्त भौतिक सत्यापन कराने एवं उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.4.4 परिसम्पत्तियों का अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि चार जनपद पंचायतों और 12 ग्राम पंचायतों में 18 सामुदायिक परिसम्पत्तियां, जिसमें चार ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर्स, सात सामुदायिक भवन, पांच ई-पंचायत कक्ष, एक उप स्वास्थ्य केन्द्र और एक ग्राम पंचायत भवन हैं, या तो अप्रयुक्त रही या अभिप्रेत उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की जा रही थी। जैसा परिशिष्ट-2.2 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए परिसम्पत्ति के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत हरनावदा के ई-पंचायत भवन का क्षेत्र अध्ययन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों को पंचायत भवन में ई-पंचायत कक्ष के रूप में एक अतिरिक्त कक्ष निर्मित किए जाने हेतु निर्देशित किया (मई 2012)। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत हरनावदा (जनपद पंचायत टोकखुर्द, जिला पंचायत देवास) में अगस्त 2015 में ₹ 4.35 लाख लागत पर ई-पंचायत भवन पूर्ण किया गया था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2016) में पाया गया कि ई-पंचायत भवन रिक्त था, जिसे छायाचित्र में देखा जा सकता है।



ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2016) कि पंचायत भवन से दूर निर्मित होने के कारण निर्मित ई-पंचायत भवन का उपयोग में नहीं था।

इस प्रकार, पंचायत भवन में ई-पंचायत कक्ष के रूप में एक अतिरिक्त कक्ष निर्मित किए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में ग्राम पंचायत की विफलता के कारण ई-पंचायत हरनावदा के निर्धारित उद्देश्य में उपयोग न होने से, शासन द्वारा व्यय की गयी राशि निष्फल रही एवं ई-पंचायत से अपेक्षित सुविधाएं, यथा ग्रामवासियों को रेल ई-टिकट सहित साझा इंटरनेट सेवा केन्द्र, प्रदान नहीं की गई थी।

ग्राम पंचायत हर्री (जैतहरी, अनुपपुर) के सामुदायिक भवन का केस अध्ययन
 पिछळा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत ₹ पांच लाख के लागत पर एक सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत हर्री (जनपद पंचायत जैतहरी, जिला पंचायत अनुपपुर) में निर्मित किया गया था (अप्रैल 2012)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2016) में पाया गया कि सामुदायिक भवन, सहकारी समिति द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक उचित मूल्य की दुकान द्वारा, अधिपत्य में रखा गया था, जैसा कि छायाचित्र में देखा जा सकता है।



इंगित किए जाने पर, ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (अप्रैल 2016) कि जिलाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मौखिक आदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान के लिए भवन दिया गया था। तथापि, इस दुकान के संचालन के लिए कोई किराया ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि ग्राम पंचायत अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान के लिए सामुदायिक भवन का उपयोग अनाधिकृत था।

2.1.4.5 ग्रामवासियों को सेवा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर उपकरणों का उपयोग न किया जाना

ई-पंचायत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ग्राम पंचायतों को प्रदेश एवं देश के नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाना था ताकि ग्राम पंचायतें, ग्रामीणों को एक सार्वजनिक सेवा केन्द्र, जहां ग्रामीणों को सुविधाएं यथा रेल ई-टिकट एवं अन्य सुविधाएं, जो इंटरनेट एवं कम्प्यूटर के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे सुविधायें प्रदान की जा सकती थी, उपलब्ध कराई जानी थी। इस उद्देश्य हेतु राज्य शासन ने राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही. उपलब्ध कराए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी 100 ग्राम पंचायतों में से केवल 60 ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन एवं 22 ग्राम पंचायतों में नेट कनेक्टिविटी थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 ग्राम पंचायतों⁵ में कम्प्यूटर उपकरण सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक के पास उनके निवासों पर, तीन

⁵ धुम्मा, हरद, प्यारी नं.-2, बैहाटोला, बुदासा, कन्हेरिया, पाण्डी, जामली, रोलूपिपल्या, खजूरियाजागीर एवं लोहारी

ग्राम पंचायतों^६ में जनपद पंचायत के कार्यालय पर एवं ग्राम पंचायत सिंगावदा में प्राथमिक शाला में रखे हुए थे। दो अन्य ग्राम पंचायतों बरबसपुर एवं जुहिली में कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही., विद्युत कनेक्शन/नेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण जून 2014 से निष्क्रिय पड़े हुए थे।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण एवं नेट जोड़ने का कार्य प्रगति पर था एवं वर्तमान में जिन ग्राम पंचायतों में यह सुविधा नहीं थी, उनमें यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

2.1.4.6 सुरक्षा के उचित प्रबंध न होने के कारण कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही. की चोरी होना (₹ 23.59 लाख)

ग्राम पंचायत लेखा नियम, 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव अथवा भंडार का प्रभारी व्यक्ति भंडार की अभिरक्षा हेतु जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी दोनों जिलों की सात जनपद पंचायतों की 43 ग्राम पंचायतों में ₹ 23.59 लाख मूल्य के कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही. चोरी हो गए थे विवरण परिशिष्ट-2.3 में दर्शित है।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य चल संपत्तियों के सुरक्षा के उचित प्रबंध करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

2.1.4.7 भवनों एवं संरचनाओं का वार्षिक निरीक्षण न किया जाना

जिला पंचायतों ने क्षीण भवनों के मरम्मत के प्राक्कलन बनवाने हेतु भवनों एवं संरचनाओं का वार्षिक निरीक्षण नहीं करवाया

मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली की कंडिका 3.063 से 3.065 के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक भवन एवं संरचना की मजबूती का प्रत्येक केलेन्डर वर्ष में कम—से—कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत देवास के 129 ग्राम पंचायत भवनों की कमजोर स्थिति को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने राज्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 2015)। इसी प्रकार जिला पंचायत अनुपपुर ने 76 ग्राम पंचायत भवनों की कमजोर स्थिति को प्रतिवेदित किया था (जनवरी 2016)। तथापि, इन जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के भवनों एवं संरचनाओं का किसी भी तकनीकी दल के माध्यम से वार्षिक निरीक्षण नहीं कराया गया तथा क्षीण भवन के मरम्मत का प्राक्कलन नहीं बनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि भवनों एवं संरचनाओं के वार्षिक निरीक्षण करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा।

2.1.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.1.5.1 ग्राम पंचायतों को परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होना

पंचायत एवं ग्रामीण विभास विभाग के परिपत्र (2003) के अनुसार, संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित व ग्रामीण क्षेत्र की निर्मित समस्त शासकीय संपत्तियों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए उन्हें उन सम्पत्तियों का मालिकाना हक सौंपा जाना था। हस्तांतरित परिसम्पत्तियों की सूची तीन प्रतियों में बनाई जा कर उसकी एक—एक प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में रखी जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सामुदायिक परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में उपलब्ध नहीं

⁶ चपलासा, रायपुरा एवं सोनखेड़ी

थे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिवों एवं जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया कि यद्यपि परिसम्पत्तियां ग्राम पंचायतों के अधिपत्य में थी, किन्तु हस्तांतरण से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उनके पास उपलब्ध नहीं थीं।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि अन्य विभागों से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों के दस्तावेजीकरण एवं संबंधित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में उसकी प्रति रखने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.5.2 आवश्यक अभिलेखों का संधारण न होना

- राज्य शासन ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया (अप्रैल 2006), ग्राम पंचायतों को परिसम्पत्ति रखरखाव पंजी को तैयार करना आवश्यक था, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा समय—समय पर परिसम्पत्तियों के मरम्मत से सम्बन्धित प्रविष्टियां अभिलिखित की जानी थी। तथापि, किसी भी ग्राम पंचायत ने परिसम्पत्ति रखरखाव पंजी तैयार नहीं की थी।

- जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 56, जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 53 एवं ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 55 के अनुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की चल परिसम्पत्तियों को निर्धारित प्रपत्र में अभिलिखित करना चाहिए। तथापि नमूना जांच की गयी किसी भी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में चल परिसम्पत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रही थी। नमूना जांच की गयी 100 ग्राम पंचायतों में से 24 ग्राम पंचायतों में स्थावर सम्पत्तियों की पंजी संधारित की जा रही थी किन्तु उन्हें न तो निर्धारित प्रपत्र में रखा गया था और न ही अद्यतन किया गया था। शेष 76 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में सम्पत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रही थी।

- जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 58, जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 55 एवं ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 56 के अनुसार, भंडार पंजी निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा वर्ष में कम—से—कम दो बार भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी समस्त जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में भंडार पंजी संधारित की गयी थी किन्तु जनपद पंचायत टॉकखुर्द को छोड़कर शेष में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। तथापि, नमूना जांच की गयी किसी भी ग्राम पंचायत में भंडार पंजी संधारित नहीं की जा रही थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि सभी संबंधित पंजियों का संधारण एवं भंडार का आवधिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.5.3. संपत्तियों का डाटाबेस एवं पंचायती राज संस्थाओं की परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.) मैपिंग संधारित नहीं किया जाना

नमूना जांच किए गए किसी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का डाटा बेस बनाया गया

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, जी.आई.एस. पद्धति की सहायता से सर्वेक्षण करने के पश्चात गांव की प्रत्येक अधौसंरचना को नक्शे पर अंकित किया जाना है एवं ई—गवर्नेन्स को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संपत्तियों का डाटाबेस तैयार किया जाना है। राज्य शासन ने सभी जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को उपलब्ध परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु, परिसंपत्तियों के डाटाबेस का कोडवाइज पंजीयन तैयार करने एवं उन्हें पंचलेखा साफ्टवेयर प्रणाली से जोड़ने हेतु निर्देशित किया था (अप्रैल 2006)।

नमूना जांच किए गए सभी जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का कोडवाइज डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। पंचायत राज संचालनालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि ग्राम पंचायतों की अधोसंरचनाओं का जी.आई.एस. मैपिंग नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि वर्तमान में नवीन निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे थे। ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों की जी.आई.एस. मैपिंग के संबंध में निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की परिसंपत्तियों की संख्या एवं स्वरूप, उनके स्थान एवं दशा से संबंधित डाटाबेस न तो राज्य स्तर पर और न ही पंचायती राज संस्था स्तर पर उपलब्ध था।

2.1.5.4 ग्राम पंचायतों में निरीक्षण पंजी संधारित न होना एवं निरीक्षण टीप/प्रतिवेदन जारी नहीं किया जाना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र (अगस्त 2003) के अनुसार, कार्यों का पर्यवेक्षण तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय—समय पर किया जाएगा। निरीक्षण पंजी में अधिकारी अपनी टीप दर्ज करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि केवल ग्राम पंचायत जुहिली में निरीक्षण पंजी रखी गयी थी किन्तु उसमें कार्यों के निरीक्षण संबंधी टीप दर्ज होना नहीं पाया गया। आगे, नमूना जांच की गयी कोई भी जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में निरीक्षण से संबंधित अभिलेख यथा निरीक्षण डायरी, निरीक्षण टीप/प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

2.1.5.5 मनरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजना में निर्मित निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र (अप्रैल 2006) के अनुसार, विकास कार्यों एवं अनुरक्षण के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013–14 के दौरान जिला अनुपपुर के जनपद पंचायत जैतहरी की सभी 80 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। तथापि, अन्य ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों एवं अन्य योजनाओं के विकास कार्यों/मरम्मत/अनुरक्षण के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि समस्त योजनाओं की निधि के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा।

2.1.6 निष्कर्षों के सारांश एवं अनुशंसाएं

- पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना व वार्षिक बजट नहीं बनाया गया था। ग्राम पंचायतों ने विद्यमान परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी, जिससे सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंचीं।

अनुशंसा: राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतें पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना बनाने सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन करें।

- ग्राम पंचायतों ने पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु पृथक से निधि नहीं रखी, परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर ₹ 4.55 करोड़ का कम उपयोग हुआ। राज्य शासन के निर्देशों के बावजूद किसी भी ग्राम पंचायत ने अनुरक्षण कार्य के निष्पादन हेतु पृथक से बैंक खाता नहीं रखा था। पंचायती राज संस्थाओं ने अधोसंरचना विकास के निर्माण के लिए जारी की गई तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट में से गैर अनुमत्य कार्यों पर ₹ 46.69 करोड़ व्यय किए। लेखापरीक्षा के ध्यान में निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन एवं व्यपवर्तन के प्रकरण आए।

अनुशंसा: राज्य शासन को परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। निधियों के दुर्विनियोजन एवं व्यपवर्तन के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु निधि को पृथक से रखना चाहिए एवं उन्हें पृथक बैंक खाते में रखना चाहिए।

- नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं के निरूत्साहपूर्ण रवैये के कारण दो से दस वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बाद भी 1,764 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे परिणामस्वरूप उन निर्माण कार्यों पर ₹ 55.72 करोड़ किया गया व्यय निष्फल रहा। आगे, जिला पंचायत अनूपपुर एवं देवास में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्राप्त राशि ₹ 6.00 करोड़, 15 से 36 माह बीत जाने के पश्चात भी, बिना उपयोग के पड़ी रही। दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2014 में ₹ 6.24 करोड़ अग्रिम में भुगतान किए जाने के बावजूद भी कार्यकारी अभिकरण म.प्र. लघु उद्योग निगम ने ई-पंचायत कक्षों का निर्माण/हस्तांतरण नहीं किया। नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों को अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

अनुशंसा: कार्यकारी एजेन्सी को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर निधियां जारी की जानी चाहिए एवं विलम्ब के लिए शास्ति लगाई जानी चाहिए। ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण की आवश्यकता का आकलन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के पूर्व किया जाना चाहिए ताकि परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

- ग्राम पंचायतों की अचल परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोड आधारित डाटा बेस तैयार नहीं किया गया था एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद भी ग्राम पंचायतों की अधोसंरचनाओं की भौगोलिक सूचना पद्धति से मैपिंग नहीं की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावशाली नहीं था तथा आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।

अनुशंसा: पंचायती राज संस्थाओं को चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का निर्धारित प्रारूप में संधारण सुनिश्चित करना चाहिए तथा उसे

अद्यतन रखना चाहिए। राज्य शासन को ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों की भौगोलिक सूचना पद्धति से मैपिंग एवं उनका कोड आधारित डाटा बेस प्राथमिकता से तैयार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं उसे पंचायत दर्पण में ऑनलाइन रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2.1 ब्याज एवं शास्ति की परिहार्य देयता

जिला पंचायत, टीकमगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान को निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.21 लाख की ब्याज एवं शास्ति के रूप में परिहार्य देयता हुई

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ई.पी.एफ. अधिनियम), जिसको संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, कारखानों एवं अन्य संस्थानों के कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, जिसको केन्द्र सरकार द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता, कर्मचारी के वेतन से उसके अंशदान की कटौती करेगा, जिसे वह स्वयं के अंशदान के साथ प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर निधि में जमा करेगा। अंशदान के भुगतान में चूक के मामले में, नियोक्ता ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर शास्ति एवं ब्याज की अदायगी के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं उसके अधीनस्थ संगठनों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के संबंध में ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती हेतु आदेश दिए थे (दिसम्बर 2008)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (फरवरी 2016) कि जिला पंचायत ने विभिन्न योजनाओं जैसे पूर्ण स्वच्छता अभियान, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष एवं मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों के संबंध में, जनवरी 2009 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान के रूप में राशि ₹ 20.60 लाख ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती की। तथापि, जिला पंचायत, टीकमगढ़ ने लेखापरीक्षा की दिनांक तक इन ई.पी.एफ. कटौतियों को नियोक्ता के अंशदान के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं किया था।

जिला पंचायत, टीकमगढ़ ने उत्तर में बताया (फरवरी 2016) कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत आवंटन प्राप्त होने के बाद निधि को ई.पी.एफ.ओ. में जमा करवा दिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 20.60 लाख की पूर्ण कटौती को अप्रैल 2016 में ई.पी.एफ.ओ. में जमा करवा दिया गया था। तथापि, ई.पी.एफ.ओ. ने जिला पंचायत टीकमगढ़ पर ई.पी.एफ. अंशदान के देर से जमा किए जाने के कारण ₹ 9.59 लाख का ब्याज एवं ₹ 16.62 लाख की शास्ति आरोपित की थी, जिसको अभी भी जिला पंचायत द्वारा भुगतान किया जाना था (फरवरी 2017)।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने बताया कि सभी जिला/जनपद पंचायतों को कटौती की गई ई.पी.एफ. राशि को संबंधित कर्मचारियों के ई.पी.एफ. खातों में निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे। जिला पंचायत,

टीकमगढ़ कारवाई कर चुका था। इसके अतिरिक्त, ई.पी.एफ. कटौतियों को समय सीमा के अंदर जमा करवाने हेतु निगरानी रखी जाएगी।

तथ्य यह है कि जिला पंचायत, टीकमगढ़ द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.21 लाख की ब्याज एवं शास्ति की परिहार्य देयता का सृजन हुआ।

2.2.2 शासकीय खातों में ब्याज का जमा किया जाना

मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र योजनान्तर्गत प्राप्त की गई ब्याज की राशि ₹ 35.29 लाख को शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया था जिसमें से ₹ 24.06 लाख को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जमा किया गया था

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देशों की कंडिका 3.6 के अनुसार एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. कार्य, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग इत्यादि के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। आगे, दिशानिर्देशों की कंडिका 3.7 एवं 3.9 और राज्य योजना आयोग के उत्तरवर्ती आदेशों (जनवरी 2008) के अनुसार, मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि पर ब्याज के रूप में प्राप्त की गई राशि को शासकीय खाते में शीर्ष "0049—ब्याज प्राप्ति" के अंतर्गत जमा किया जाना था।

13 जनपद पंचायतों⁷ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) में पाया गया कि इन जनपद पंचायतों के मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि खातों में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 35.29 लाख ब्याज प्राप्त हुआ था (**परिशिष्ट-2.4**)। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने इसे शीर्ष "0049—ब्याज प्राप्ति" के अंतर्गत शासकीय खाते में प्रेषित नहीं किया था। इस प्रकार, ब्याज को शासकीय खाते में जमा नहीं किए जाने के कारण शासन ₹ 35.29 लाख के राजस्व से वंचित रह गया।

उत्तर में, संबंधित कार्यपालन अधिकारियों⁸ ने बताया (जून 2016 और दिसम्बर 2016 के मध्य) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ब्याज की राशि ₹ 24.06 लाख को शीर्ष "0049—ब्याज प्राप्ति" में जमा कर दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि प्रकरण आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित था। तथापि, फरवरी 2017 तक वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि पर प्राप्त किए गए ब्याज को शासकीय खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी थे।

⁷ जनपद पंचायत: अमरवाडा (छिंदवाडा), बैरसिया (भोपाल), बिछुआ (छिंदवाडा), चाचौरा (गुना), ईसागढ़ (अशोक नगर), गोहपारू (शहडोल), खकनार (बुरहानपुर), मंडला (मंडला), मैहर (सतना), नैनपुर (मंडला), सांची (रायसेन), शाजापुर (शाजापुर) और श्योपुर (श्योपुर)

⁸ जनपद पंचायत: अमरवाडा (छिंदवाडा), बैरसिया (भोपाल), बिछुआ (छिंदवाडा), चाचौरा (गुना), गोहपारू (शहडोल), खकनार (बुरहानपुर), मंडला (मंडला), सांची (रायसेन), शाजापुर (शाजापुर) और श्योपुर (श्योपुर)

2.2.3 संदिग्ध गबन

भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में कपटपूर्ण ढंग से दस हजार के अंक जोड़ कर जनपद पंचायत मनावर में शासकीय धनराशि ₹ 0.10 लाख का गबन किया गया

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 397 के अनुसार भंडार क्रय हेतु भुगतान के समर्थन में प्रस्तुत किए गए देयक के साथ एक प्रमाण पत्र, कि वाउचर में उल्लिखित वस्तुएं वास्तव में प्राप्त हो चुकी हैं एवं भुगतान की दरें स्वीकृत की गई या बाजार दरों से अधिक नहीं हैं, संलग्न होगा।

ग्राम पंचायत, जोतपुर, जनपद पंचायत, मनावर (धार) की केन्द्रीय लेखापरीक्षा में वाउचरों की संवीक्षा एवं अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा (मई 2015) से यह पाया गया कि कलेक्टर (आदिवासी विकास) ने "अनुसूचित जनजाति हेतु मलीन बस्ती विकास योजना" अंतर्गत ₹ 5.00 लाख की लागत से ग्राम पंचायत के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी (अगस्त 2014)। ग्राम पंचायत को निष्पादन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था। ग्राम पंचायत ने कार्य के पूर्ण होने के बाद (अक्टूबर 2014) जनपद पंचायत मनावर को ₹ 5.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था (नवम्बर 2014)।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने सीमेन्ट कंक्रीट रोड के निर्माण हेतु ₹ 300 प्रतिदिन की दर पर 30 दिन की अवधि के लिए मिक्वर मशीन किराए पर ली थी। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों में दस हजार वाले स्थान पर संख्या 1 को जोड़कर कुल किराए को ₹ 9,000 से ₹ 19,000 बढ़ा दिया गया था, यद्यपि बीजक के विवरण एवं दर कॉलम में प्रविष्टि अनुसार, आपूर्तिकर्ता को वास्तविक भुगतान किया जाने वाला किराया ₹ 9,000 था। कपटपूर्ण ढंग से बढ़े हुए ₹ 19,000 के देयक को सचिव/सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया था और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनावर द्वारा भुगतान के लिए पारित किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 9,000 की वास्तविक भुगतान राशि के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता को नगद में ₹ 19,000 का भुगतान किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बीजक की आहरण एवं संवितरण अधिकारी (यानि कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर) द्वारा भुगतान करने से पूर्व उपयुक्तरूप से जांच नहीं की गयी थी, जिससे ₹ 10,000 का संदिग्ध गबन हुआ।

भाग-ब अध्याय-तीन

नगरीय स्थानीय निकायों की
कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली
एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्राओं पर
विहंगावलोकन

अध्याय तीन : नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुददों पर विहंगावलोकन

राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था एवं ढांचागत एकरूपता, नियमित चुनाव एवं वित्त आयोग आदि के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह की प्रणाली की स्थापना की। उक्त के अनुपालन में, राज्यों को इन निकायों को शक्ति, कार्य एवं जवाबदेही सौंपना आवश्यक है जिससे ये स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो।

संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) के अनुसार प्रत्येक राज्य में वृहत नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिक निगम; छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद; तथा ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाएगा। मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 16 नगरपालिक निगम, 98 नगरपालिका परिषद एवं 265 नगर परिषद हैं।

राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य की मूलभूत जनसांख्यिकी जानकारी नीचे दी गई है :


विवरण	इकाई	मध्य प्रदेश	अखिल भारत
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में अंश	प्रतिशत	6	—
शहरी जनसंख्या	करोड़	2	37.70
शहरी जनसंख्या का अंश	प्रतिशत	27.63	31.16
शहरी साक्षरता दर	प्रतिशत	82.85	85.00
शहरी लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों)	अनुपात	918 / 1000	926 / 1000

(स्रोत: 2011 की जनगणना के आंकड़े)

3.2 नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन सभी नगरीय स्थानीय निकायों को उनको हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन की शक्तियां प्राप्त हैं, परन्तु निगरानी की शक्तियां राज्य प्राधिकारियों में निहित हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, शासन स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :

नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना



3.3 नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान सभा, विधि द्वारा नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के साथ, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकती जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में नगर पालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

राज्य सरकार ने संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 18 कार्यों को (**परिशिष्ट-3.1**) नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया। तथापि, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा सूचित किया गया (अगस्त 2016) कि नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों एवं अमलों का हस्तान्तरण किया जाना अभी तक शेष था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(एक्स) में प्रावधानित है कि राज्य विधानमंडल राजस्व वसूली हेतु विभिन्न करों के आरोपण का अधिकार विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों में निहित कर सकता है। इस संवैधानिक प्रावधान को मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के खण्ड 132 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के खण्ड 127 में शामिल किया गया है। राज्य शासन से नगरीय स्थानीय निकायों को मासिक तौर पर, चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान अन्तर्गत, भुगतान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, नगरीय निकाय स्तर पर संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, बाजार शुल्क, निर्यात कर आदि सहित विभिन्न प्रकार के करों को अधिरोपित किए जाते हैं।

3.3.1 नगरपालिक निगम

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 9 के अनुसार, नगरपालिक निगम क्षेत्र से सीधे निर्वाचित एक महापौर एवं पार्षदों से मिलकर एक नगरपालिक निगम बनेगा। अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए महापौर द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से एक मेयर-इन-काउंसिल गठन किया जाएगा, जो मेयर-इन-काउंसिल के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों जैसा कि विहित किया जाए का निर्वाहन करेगी।

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, महापौर का अपने कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण होगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कार्य करेगा जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

राज्य शासन निगम के आयुक्त की नियुक्ति करेगा जो निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा उसे निगम के या उसकी किसी समिति के सम्मेलन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु वह मत देने का या कोई प्रस्ताव रखने का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के कार्यालय में विहित नियमों के अंतर्गत कृत्यों एवं दायित्वों के निर्वहन प्रशासकीय कर्मचारी होंगे। आयुक्त ऐसे समस्त कर्तव्यों का संपादन करेगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित या प्रदान किए गए हैं तथा समस्त नगरपालिक अधिकारियों के कृत्यों एवं कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण भी रखेगा।

3.3.2 नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 के अनुसार, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद, शहरी क्षेत्रों की ओर बदलाव होते हुए क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होगी, जिसमें एक अध्यक्ष एवं संबंधित क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए पार्षद होंगे। अधिनियम की धारा 70 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के लिए एक प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल होगी, अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए, जैसाकि विहित किया जाए, गठित की जाएगी। नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का अध्यक्ष, जो प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल का अध्यक्ष होता है, सभी बैठकों की अध्यक्षता, वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी तथा ऐसे कार्यकारी कृत्यों का पालन, जैसाकि अधिनियम के अंतर्गत विहित किया जाए, करेगा।

अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन करेगा जो नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 92 के अनुसार नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा, परिषद के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखेगा और समस्त कर्तव्यों एवं विशेष रूप से अधिरोपित या प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई थीं।

3.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

राज्य शासन ने नगरीय स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को नियुक्त किया (नवम्बर 2001) और जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत कार्य करेगा। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखाओं की ऐसी नमूना जांच और उन पर टिप्पणी करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक (सप्लीमेंट) करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह उचित समझे। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि, अपने विवेक से लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित करने का अधिकार रखते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा राज्य में स्थानीय निकायों के विनियोग लेखाओं के परीक्षण करने के लिए स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का गठन किया

है (अप्रैल 2016)। स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति विधान सभा पटल पर रखे गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

- **भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता**

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 की धारा 152 में नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

- स्थानीय निधि संपरीक्षक, नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा तथा उसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेगा।
- स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया और लेखापरीक्षा क्रियाविधि, राज्य द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों एवं परिनियमों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- चयनित स्थानीय निकायों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रणाली में सुधार हेतु सलाह के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएंगी।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा 2015–16 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की गई थी। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा समय–समय पर सुझाई गई क्रियाविधि एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया। निरीक्षण प्रतिवेदनों को जांच हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) की ओर अग्रेषित किया गया था।

- **स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, साथ–ही–साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तदनुसार, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन किए गए (जनवरी 2012), जिसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थानीय निकायों पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा, जो इन प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु भेजेंगे।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखा गया था (जुलाई 2016)। तथापि वर्ष 2012–13 एवं आगे के संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने के लिए प्रक्रियाधीन हैं (फरवरी 2017)।

3.5 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया

2015–16 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. ग्वालियर द्वारा 16 नगरपालिक निगम में से 44, 98 नगरपालिका परिषद में से 18 तथा 265 नगर परिषदों में से 39 की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी (परिशिष्ट–3.2)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं अन्तर्गत संचालक,

स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे. ले. प.) मध्य प्रदेश के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किए गए थे। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन पर आगे की कार्रवाई करनी थी। तथापि, जनवरी 2017 की स्थिति में 757 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 3,954 कंडिकाएं, 2015–16 के दौरान जारी 96 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1,023 कंडिकाओं सहित, निराकरण हेतु लंबित थीं, विवरण तालिका—3.1 में दिया गया है:

तालिका—3.1: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

संक्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष एवं वर्ष के दौरान सम्मिलित				वर्ष के दौरान निराकृत		अंत शेष	
		निरी प्रति. का प्रा. प्रा. शेष	जोड़ी गई नि.प्र.	कंडिकाओं का प्रा. शेष	जोड़ी गई कंडिका	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
1	2011–12 तक	530	निरंक	3,265	निरंक	2	139	528	3,126
2	2012–13	528	59	3,126	448	2	143	585	3,431
3	2013–14	585	69	3,431	682	4	301	650	3,812
4	2014–15	650	67	3,812	805	55	1,633	662	2,984
5	2015–16	662	96	2,984	1023	1	53	757	3,954

(स्रोत: महालेखाकार (सा.एवंसा.क्षे.ले.प.) म.प्र. द्वारा संकलित मासिक बकाया प्रतिवेदन)

वित्तीय प्रतिवेदित मुद्रे

3.6 निधियों के स्रोत

म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 एवं म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व के मुख्यतः दो स्रोत यथा शासकीय अनुदान एवं स्वयं के राजस्व हैं। शासकीय अनुदान में ये सम्मिलित हैं :

- भारत के चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अनुदान; एवं
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन के विभाजनीय कर राजस्व¹ के एक प्रतिशत का हस्तांतरण।

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा एक प्रतिशत विभाजनीय कर राजस्व नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण नीचे तालिका—3.2 में दर्शाया गया है :

तालिका—3.2: नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य शासन की विभाजनीय निधि	निधियां, जो हस्तांतरित की जानी थी	वास्तविक हस्तांतरित निधि	कम हस्तांतरित निधि
2015–16	28,944.50	289.45	271.31	18.14

(स्रोत: वित्त विभाग एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रदत्त सूचना)

¹ विभाजनीय निधि : पूर्व वर्ष का कुल कर राजस्व – करों के संग्रहण पर किए गए व्यय का 10 प्रतिशत – पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गए राजस्व

तालिका 3.2 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 18.14 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए थे। वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2016) कि नगरीय स्थानीय निकायों को कम राशि जारी करने के कारण, लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सूचित किया जा सकेगा।

3.7 नगरीय स्थानीय निकायों के बजटीय आवंटन एवं व्यय

राज्य शासन द्वारा राज्य बजट से विगत पांच वित्तीय वर्षों में नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित निधियां (राज्य के कर राजस्व का अंश एवं योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान) निम्नानुसार थीं :

तालिका-3.3: नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान			वास्तविक व्यय			अव्ययित शेष	बचत का प्रतिशत
	राजस्व	पूंजीगत	कुल	राजस्व	पूंजीगत	कुल		
2011–12	4,148.30	208.00	4,356.30	3,743.23	152.54	3,895.77	460.53	11
2012–13	5,271.89	215.09	5,486.98	4,879.63	138.50	5,018.13	468.85	9
2013–14	6,547.97	124.21	6,672.18	5,435.55	53.18	5,488.73	1,183.45	18
2014–15	6,718.54	33.27	6,751.81	5,281.52	12.63	5,294.15	1,457.66	22
2015–16	8,896.56	366.40	9,262.96	8,350.63	139.51	8,490.14	772.82	8
योग	31,583.26	946.97	32,530.23	27,690.56	496.36	28,186.92	4,343.31	

(स्रोत : विनियोग लेखे अनुदान सं. 22, 53, 68 एवं 75)

जैसा कि तालिका-3.3 से स्पष्ट है कि नगरीय स्थानीय निकायों को वर्ष 2015–16 के दौरान वर्ष 2011–12 की तुलना में अनुदान आवंटन में 113 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, नगरीय स्थानीय निकाय सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में अत्यधिक अव्ययित शेष होने से 2011–16 की अवधि के दौरान बचतें आठ से 22 प्रतिशत के मध्य रहीं।

3.8 लेखांकन व्यवस्था

3.8.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लेखाओं का संधारण

11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने नगरीय स्थानीय निकायों के बजट एवं लेखांकन हेतु प्रपत्र अनुशंसित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गठित टास्क फोर्स ने नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपचय आधार पर लेखांकन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन नियमावली अपनाने का सुझाव दिया। नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन नियमावली में सुझाए अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 1 अप्रैल 2008 से उपचय आधार लेखांकन प्रणाली लागू करने के लिए, मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली का प्रकाशन किया (जुलाई 2007)।

वर्ष 2015–16 के दौरान 63 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चार नगरीय स्थानीय निकायों² द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन

²

नगरपालिक निगम: भोपाल, बुरहानपुर, एवं ग्वालियर ; नगरपालिका परिषद: मनावर

नियमावली के अनुसार बजट एवं लेखा तैयार किए थे एवं 24 नगरीय स्थानीय निकायों³ द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुसार बजट एवं लेखा नहीं तैयार किए थे परन्तु उनके द्वारा म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं म.प्र. नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1961 के प्रचलित लेखांकन नियमों के अनुसार लेखे तैयार कर रहे थे। शेष 35 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को सुसंगत जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि राज्य के 379 नगरीय स्थानीय निकायों में से 154 नगरीय स्थानीय निकायों⁴ में मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली को लागू किया गया था। इस प्रकार अगस्त 2016 तक केवल 41 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकाय, मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली को लागू कर सकीं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इसे अप्रैल 2008 में अपनाया गया था।

3.8.2 नगरीय स्थानीय निकायों के वार्षिक बजट

म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 98 एवं म.प्र. नगरपालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 116 के अनुसार, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय समस्त प्राप्तियों एवं व्ययों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक बजट अनुमान तैयार करेंगे एवं उसे राज्य शासन को प्रेषित करेंगे।

63 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 34 नगरीय स्थानीय निकायों ने बजट अनुमान तैयार किए थे। तथापि अधिनियम में उल्लिखित अनुसार 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 22 नगरीय स्थानीय निकायों ने उनके बजट अनुमान राज्य शासन को प्रेषित नहीं किए थे। शेष 29 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को सुसंगत जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर से सभी नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.9 बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना

म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियम में रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों के मध्य किसी अंतर का समाधान मासिक आधार पर करने का प्रावधान है।

63 नगरीय स्थानीय निकायों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 33 नगरीय स्थानीय निकायों⁵ द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किए गए। इन 33 नगरीय स्थानीय निकायों के रोकड़ बही शेष एवं बैंक बुक के शेषों में मार्च 2015 की स्थिति में (**परिशिष्ट 3.3**) असमाधानित अंतर था। अंतरों का समाधान नहीं किया जाना निधियों के दुरुपयोग के साथ जोखिमपूर्ण था।

संबंधित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा बताया गया (2015–16) कि रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों के अंतर का बैंक समाधान किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2017) कि इस वर्ष से नगरीय स्थानीय निकायों की वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रारंभ की जा चुकी थी।

³ नगरपालिक निगम: देवास एवं सतना; नगरपालिका परिषद: बिजुरी, करेली, मण्डीदीप, पसान, एवं सीधी; नगर परिषद: बैहर, बैतूलबाजार, बिलौवा, चांदामेटा (बुटारिया), छापीहेड़ा, देपालपुर, कारी, खिलचीपुर, खुजनेर, लवकुशनगर, मझौली (जबलपुर), राजनगर, रामपुरनेकिन, रतनगढ़, सिहोरा, सिंगोली और तेंदूखेड़ा

⁴ 16 नगरपालिक निगम, 98 में से 80 नगर पालिका परिषद एवं 265 में 58 नगर परिषद

⁵ 1 नगरपालिक निगम, 11 नगरपालिका परिषद एवं 21 नगर परिषद

द्वि—प्रविष्ट प्रणाली में संपरिवर्तन प्रक्रियाधीन थी और राज्य स्तर से निगरानी की जा रही थी। बैंक समाधान पत्रक तैयार करने हेतु संबंधित नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.10 कर राजस्व / गैर कर राजस्व की वसूली न होना

म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व के स्रोत कर, भाड़ा, शुल्क, अनुज्ञाप्ति जारी करना आदि हैं। कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, नगरपालिक निगम के लिए आवश्यक है कि म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 से 183 के अनुसार वसूली की आवश्यक कार्रवाई करें।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नमूना जांच की गई 63 नगरीय स्थानीय निकायों में से 50 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2015 तक ₹ 101.95 करोड़ के कर राजस्व का आरोपण किया गया था जिसकी वसूली शेष थी। शेष 13 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। इस राशि में 50 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर, बाजार शुल्क एवं प्रदर्शन कर ₹ 93.60 करोड़ सम्मिलित थे (**परिशिष्ट-3.4**) एवं 40 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित, **परिशिष्ट-3.5** में दर्शाए अनुसार, किराया एवं प्रीमियम के ₹ 8.35 करोड़ सम्मिलित थे।

इसी प्रकार, 50 नगरीय स्थानीय निकायों में गैर कर राजस्व (जलकर, अनुज्ञाप्ति शुल्क, भूमि एवं भवन भाड़ा इत्यादि) राशि ₹ 77.60 करोड़ वसूली हेतु शेष थे (**परिशिष्ट-3.6**)। शेष 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

संबंधित नगरपालिक निगम/परिषद और नगर परिषद के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया (2015–16) कि नगरीय स्थानीय निकायों की वसूल नहीं किए गए राजस्व की वसूली के प्रयास किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर से वसूली के लिए सभी नगरीय स्थानीय निकायों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

बिजली के सामानों की खरीद के लिए शिक्षा उपकर का व्यपवर्तन

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देश (अक्टूबर 2012) के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकाय को शिक्षा उपकर का उपयोग नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शुद्ध पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ ही रखरखाव पर करना था। लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया गया कि गवालियर नगरपालिक निगम ने ₹ 7.85 लाख शिक्षा उपकर का उपयोग निगम की नवनिर्मित इमारत के लिए ए.सी, पंखा और अन्य बिजली के सामान की अधिप्राप्ति में उपयोग किया था।

आयुक्त ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि बिजली के सामान का क्रय मेयर-इन-काउंसिल के आदेशानुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शिक्षा उपकर का निगम के भवनों के लिए उपयोग करना नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

3.11 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना

म.प्र. नगरपालिका लेखा नियम, 1971 की धारा 112(2) में उल्लेखित है कि कोई भी अग्रिम तब तक आहरित नहीं किया जाएगा जब तक कि एक माह में उसका व्यय

संभावित न हो। नगरपालिकाओं के मुख्य नगरपालिका अधिकारी/लेखाधिकारी असमायोजित अग्रिम की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे तथा नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त समिति/स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

63 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा व्यक्तियों को ₹ 1.15 करोड़ अस्थाई अग्रिम प्रदान किए गए थे जो 31 मार्च 2015 तक लंबित थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.7** में दिया गया है। 8 नगरीय स्थानीय निकायों में कोई अस्थाई अग्रिम लंबित नहीं थे जबकि शेष 36 नगरीय स्थानीय निकायों ने सुसंगत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की।

संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने उत्तर में बताया (2015–16) कि लंबित अग्रिमों के समायोजन एवं वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को वसूली हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.12 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग के सहायता अनुदान 2015–16 के दौरान राज्यों को मूल अनुदान के रूप में जारी किए गए थे। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य आवंटन, संबंधित राज्य द्वारा किए जाने थे। आगे इस अनुदान को केंद्र सरकार से राज्य सरकार के खाते में प्राप्ति दिनांक से 15 दिन के भीतर राशि जमा नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने थे। किसी भी विलंब की स्थिति में, राज्य सरकार अपनी निधि से, भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित बैंक दर से ब्याज सहित अनुदान की किश्त जारी करेगी।

लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार को जुलाई 2015 और मार्च 2016 में केन्द्र सरकार से पात्रता अनुसार ₹ 248.395 करोड़ की दो बराबर किस्तों में ₹ 496.79 करोड़ मूल अनुदान प्राप्त हुआ। तथापि, राज्य सरकार ने तालिका-3.4 में दर्शाए विवरण अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों की प्रथम किश्त विलम्ब से जारी किया।

तालिका-3.4: 2015–16 के दौरान 14वें वित्त आयोग अनुदान की पात्रता एवं जारी होना
(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार की पात्रता	भारत सरकार से प्राप्त राशि		नगरीय स्थानीय निकायों को जारी		देरी (दिन)	ब्याज
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		
496.79	13.07.2015	248.395	05.08.2015	248.395	8	0.45
	02.03.2016	248.395	05.03.2016	248.395	—	—

(स्रोत: वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने में विलम्ब के कारण, राज्य सरकार ने ₹ 44.92 लाख ब्याज के रूप में स्वीकृत किए। तथापि, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को किश्त के साथ ब्याज जारी नहीं किया गया।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि ब्याज के लिए वित्त विभाग ने स्वीकृति आदेश जारी कर दिया था परन्तु ब्याज प्राप्त नहीं हुआ। आगे यह भी जानकारी दी (जनवरी 2017) कि चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान को निर्धारित समय के अंदर संवितरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

तथ्य है कि राज्य सरकार के भारत सरकार से प्राप्त मूल अनुदान, नगरीय स्थानीय निकायों को निर्धारित समय के अंदर जारी करने में विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 44.92 लाख की अतिरिक्त देयता सृजित हुई।

अध्याय—चार निष्पादन लेखापरीक्षा

- नगरपालिक निगमों एवं
नगरपालिका परिषदों द्वारा
राजस्व का संग्रहण सहित
स्वयं की निधियों का प्रबंधन

अध्याय चार : निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

4.1 नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों द्वारा राजस्व के संग्रहण सहित स्वयं की निधियों का प्रबंधन

कार्यपालन सारांश

नगरीय स्थानीय निकायों से आशय नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों से है जो आधारभूत बुनियादी सुविधा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर बिजली, जल प्रदाय, सीवरेज, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण, सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव और अन्य लोक निर्माण कार्य, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं संक्रामक रोगों के प्रकोप, फैलाव एवं पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपाय करना सम्मिलित है। नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद करों, शुल्कों एवं दण्ड के रूप में जनता से राजस्व की वसूली करती है।

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नगरपालिक निगमों या नगरपालिकाओं के द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व निकाय निधि में जमा किए जाते हैं जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर व्यय किए जाते हैं। नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों के द्वारा स्वयं की निधियों का प्रबंधन एवं राजस्व का संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए, राज्य के चार नगरपालिक निगमों एवं दस नगरपालिका परिषदों में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शित हैं :

- नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत एवं व्यय की जानकारी एकत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा अर्जित राजस्व अपने व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त थे। नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों में स्वयं के राजस्व का अंश कुल व्यय का 37 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों में यह 24 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य था।

(कंडिका 4.1.6)

- नगरपालिकाओं में सम्पत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली में सहायता हेतु सम्पत्तिकर बोर्ड का गठन (मार्च 2011) किया गया था। तथापि बोर्ड ने सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किया क्योंकि बोर्ड के पास कोई मानव शक्ति नहीं थी। इस प्रकार बोर्ड का गठन मात्र एक औपचारिकता थी।

(कंडिका 4.1.7.1)

- वर्ष 2011–16 के दौरान सम्पत्तिकर, समेकित कर एवं जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की वसूली, मांग की अपेक्षा अत्यंत कम रही। मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं में सम्पत्तिकर की बकाया ₹ 145.38 करोड़, समेकित कर की बकाया ₹ 142.69 करोड़ एवं जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की बकाया ₹ 243.65 करोड़ थी।

(कंडिका 4.1.7.2, 4.1.7.3 एवं 4.1.8)

- नगरपालिक निगम इन्दौर द्वारा 18 से 25 वर्ष से दुकानों की नीलामी करने में विफल रहने से राजस्व की हानि हुई एवं दुकानों पर अतिक्रमण हुआ। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं में दुकान किराया/धरोहर ₹ 7.06 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी।

(कंडिका 4.1.10)

- मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुरूप बजट एवं लेखा तैयार नहीं किए गए थे। नमूना जांच किए गए नगरपालिकाओं में बैंक समाधान तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण निधियों के दुरुपयोग का जोखिम था।

(कंडिकाएं 4.1.12.1 एवं 4.1.12.3)

- नगरपालिकाओं द्वारा संचित निधि के संधारण हेतु राज्य सरकार के जारी आदेशों का पालन नहीं किया था एवं वर्ष 2011–16 के दौरान संचित निधि में ₹ 162.53 करोड़ कम जमा किए गए। संचित निधि से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के राशि का आहरण किया गया था।

(कंडिका 4.1.12.4)

- नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि से निर्धारित राज्यांश, राज्य शासन के खाते में जमा नहीं करने के कारण राज्य शासन ₹ 18.60 करोड़ प्राप्त करने से वंचित हुआ। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं द्वारा वैटकर, रॉयल्टी एवं कर्मकार उपकर एवं आयकर के रूप में स्रोत पर काटी गयी ₹ 7.66 करोड़ को शासन के खाते में जमा नहीं किया गया एवं निकायों द्वारा स्वयं के नियमित व्यय पर उपयोग किया।

(कंडिकाएं 4.1.12.6 एवं 4.1.12.9)

- नगरपालिकाओं की राजस्व शाखा में कर्मचारियों की अत्यंत कमी के कारण राजस्व वसूली प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त करों की मांग का अनुवीक्षण भौगोलिक सूचना पद्धति सर्वेक्षण के आधार पर नहीं किया गया।

(कंडिका 4.1.13)

4.1.1 प्रस्तावना

नगरीय स्थानीय निकायों से आशय नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों से है, जो आधारभूत बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर बिजली, जल प्रदाय, सीवरेज, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण, सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव और अन्य लोक निर्माण कार्यों, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं संक्रामक रोगों के प्रकोप, फैलाव एवं पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपाय करना सम्मिलित है। नगरीय स्थानीय निकाय करों, शुल्कों एवं दण्ड के रूप में जनता से राजस्व प्राप्त करती हैं। नगरपालिक निगमों या नगरपालिका परिषदों के द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निकाय निधि में जमा किए जाते हैं जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर व्यय किए जाते हैं।

जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के उपरांत भी नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपार्जित किए गए वित्तीय स्रोत उनकी आवश्यकता से बहुत कम होते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय वित्तीय अंतःप्रवाह के लिए मुख्यतः राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान पर निर्भर रहते हैं, नगरीय स्थानीय निकायों की निहित प्रकृति एवं वसूली में अक्षमता के कारण उनकी स्वयं की आय उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है।

4.1.2 संगठनात्मक संरचना

नगरपालिक निगम में मेरार, मेरार-इन-कांउसिल का प्रमुख एवं नगरपालिका में अध्यक्ष, प्रेसिडेंट-इन-कांउसिल का प्रमुख होता है, नगरपालिकाओं में शासन करने के लिए निर्वाचित निकाय होते हैं। नगरपालिक निगम में आयुक्त एवं नगरपालिका में मुख्य नगरपालिका अधिकारी संबंधित नगरपालिकायों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। शहर की जनसंख्या के आधार पर नगरपालिक निगम में अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त, आयुक्त की सहायता करते हैं।

नगरपालिकाओं में राजस्व अधिकारी एवं नगरपालिक निगम में अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। जमीनी स्तर पर नगरपालिकाओं में राजस्व निरीक्षक तथा सहायक राजस्व निरीक्षक, राजस्व अधिकारी की सहायता करते हैं, जो नगरीय निकायों द्वारा अधिरोपित विभिन्न तरह के करों, किराया एवं शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजस्व विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व निकाय निधि में जमा किया जाता है। निकाय निधि से व्यय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से शासित होता है।

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या :

- नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों में राजस्व व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए करों, शुल्कों, किराया इत्यादि का आंकलन, अधिरोपण एवं संग्रहण किया गया था;
- बजटीय एवं लेखांकन व्यवस्था दक्ष थी एवं निकाय निधि अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकताओं, उद्देश्यों एवं मापदण्डों के लिए उपयुक्त रूप से विनियोजित की गई थी; एवं
- नगरपालिकाओं के राजस्व स्रोतों के संघटन में शासन की भूमिका पर्याप्त थी एवं राजस्व वसूली क्षमताओं में सुधार करने के लिए अनुवीक्षण प्रणाली विद्यमान थी।

4.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए राज्य की 16 नगरपालिक निगमों में से 4 नगरपालिक निगम¹ एवं 98 नगरपालिका परिषदों में से 10 नगरपालिका परिषदों² का चयन सरल यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन पद्धति से किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास सहित चयनित नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी।

अपर आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के साथ दिनांक 17 मार्च 2016 को प्रवेश सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। शासन को प्रतिवेदन प्रारूप अक्टूबर 2016 में प्रेषित किया गया था। अपर आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के साथ प्रारूप प्रतिवेदन पर 6 जनवरी 2017 को भोपाल में निर्गम सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन

¹ देवास, इन्दौर, रत्नाम एवं रीवा

² आमला (जिला बैतूल), अनुपपुर (जिला अनुपपुर), बड़बाह (जिला खरगौन), बेगमगंज (जिला रायसेन), गढ़कोटा (जिला सागर), जुन्नारदेव (जिला छिन्दवाड़ा), पांडुणा (जिला छिन्दवाड़ा) हरदा (जिला हरदा), नैनपुर (जिला मंडला) और पोरसा (जिला मुरैना)

के दौरान शासन के विचार एवं प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

4.1.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के निम्नलिखित मानदण्ड थे :

- मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;
- मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;
- मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली; तथा,
- मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.6 नगरपालिक निगमों / नगरपालिकाओं के वित्तीय स्रोत

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व प्राप्ति के दो मुख्य स्रोत हैं, जैसे स्वयं के राजस्व एवं शासन से प्राप्त अनुदान। नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व में कर एवं गैर कर राजस्व से प्राप्तियां सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नगरपालिक निगम एवं नगरपालिका परिषदों के राजस्व के स्रोत में सम्मिलित हैं :

- संपत्ति कर, जो शहर में स्थित भवनों या भूमियों के स्वामियों द्वारा भवन या भूमि के सम्पूर्ण वार्षिक भाड़ा मूल्य के संबंध में देय है;
- सार्वजनिक शौचालय के सन्निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए तथा मल के व्यपन तथा शहर की सामान्य सफाई के लिए सामान्य स्वच्छता उपकर;
- सामान्य प्रकाश कर, जहां सार्वजनिक पथों तथा स्थानों की प्रकाश व्यवस्था, नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषदों द्वारा की जाती है;
- अग्नि शमन सेवा के संचालन तथा प्रबंधन के लिए तथा आग लगने की दशा में, जीवन तथा सम्पत्ति के संरक्षण के लिए सामान्य अग्नि कर;
- जल प्रदाय, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभार; तथा,
- नगरीय प्रतिष्ठान जैसे भूमि, बाजारों, दुकानों इत्यादि से आय, होर्डिंग्स से किराया, मोबाइल टावरों को खड़ा करने के लिए लाईसेंस एवं नवीनीकरण शुल्क।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों एवं उनके व्यय की जानकारी को एकत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। परिणामस्वरूप 2011–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों एवं व्यय की जानकारी राज्य शासन के पास उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों के वित्तीय प्रबंधन की निगरानी नहीं की गई।

नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल वित्तीय स्रोत के विरुद्ध कुल व्यय का विवरण तालिका—4.1 में दिया गया है:

तालिका—4.1: नमूना जांच की गई नगरीय निकायों के वित्तीय स्रोतों का विवरण

(₹ करोड़ में)


नगरीय निकाय के नाम	स्वयं का राजस्व	शासकीय अनुदान	कुल वित्तीय स्रोत	कुल व्यय	कुल वित्तीय स्रोत में स्वयं का राजस्व अंश	कुल व्यय में से स्वयं का राजस्व अंश
नगरपालिक निगम						
देवास	203.62	265.50	469.12	543.88	43	37
इन्दौर	2,600.96	1,227.34	3,828.30	3,796.04	68	69
रतलाम	201.60	137.85	339.45	391.80	59	51
रीवा	174.37	192.56	366.93	296.65	47	59
नगरपालिका परिषदें						
आमला	15.24	13.54	28.78	31.28	54	49
अनूपपुर	9.49	34.90	44.39	39.11	21	24
बड़वाह	18.33	12.29	30.62	28.96	60	63
बेगमगंज	15.29	25.71	41.00	32.99	37	46
गढ़ाकोटा	11.30	27.94	39.24	32.06	29	35
हरदा	57.26	33.38	90.64	89.13	63	64
जुन्नारदेव	12.45	31.74	44.19	51.00	28	24
नैनपुर	12.42	9.52	21.94	23.82	57	52
पाण्डुन्नी	35.68	35.61	71.29	97.49	50	37
पोरसा	18.75	25.99	44.74	32.95	42	57

(स्रोत: नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं से एकत्रित जानकारी)


इस प्रकार, नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों के कुल वित्तीय स्रोतों में स्वयं के राजस्व का अंश 43 प्रतिशत (देवास) से 68 प्रतिशत (इन्दौर) के मध्य रहा एवं नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों में स्वयं के राजस्व का अंश 21 प्रतिशत (अनूपपुर) एवं 63 प्रतिशत (हरदा) के मध्य रहा। 2011–16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों में स्वयं का राजस्व कुल व्यय का 37 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों में यह 24 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य रहा। नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किए गए राजस्व उनके व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे।

नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों में 2011–16 के दौरान कुल व्यय की तुलना में स्वयं के राजस्व का अंश क्रमशः चार्ट—4.1 एवं 4.2 में दर्शाया गया है :

चार्ट-4.1: नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों के स्वयं का राजस्व एवं कुल व्यय
(₹ करोड़ में)



चार्ट-4.2: नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों के स्वयं का राजस्व एवं कुल व्यय
(₹ करोड़ में)




उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों में स्वयं की राजस्व प्राप्ति में ₹ 281.94 करोड़ की एवं नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों में ₹ 14.40 करोड़ की वृद्धि हुई। आगे संवीक्षा में पाया गया कि स्वयं के राजस्व में वृद्धि, चुंगी एवं यात्री कर के क्षतिपूर्ति के एवज में राज्य शासन से सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण थी जिसमें नगरपालिक निगमों में ₹ 203.06 करोड़ एवं नगरपालिका परिषदों में ₹ 12.20 करोड़ की वृद्धि हुई। नगरपालिकाओं के स्वयं के कर संग्रहण में अनुपातिक वृद्धि नहीं थी। नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं के मुख्य राजस्व कर एवं गैर राजस्व कर की प्राप्ति का तुलनात्मक विवरण चार्ट-4.3 एवं 4.4 में दिखाया गया है :

चार्ट-4.3: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नमूना जांच किए गए नगरपालिक निगमों

में मुख्य राजस्व कर एवं गैर राजस्व कर की प्राप्ति की तुलना


(₹ करोड़ में)



चार्ट-4.4: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों

में मुख्य राजस्व कर एवं गैर राजस्व कर प्राप्ति की तुलना

(₹ लाख में)



उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नगरपालिकाओं के स्वयं के राजस्व का मुख्य स्रोत चुंगी एवं यात्रीकर के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य शासन से प्राप्त सहायता अनुदान थे। 2015–16 के दौरान नमूना जांच की गई चार नगरपालिक निगमों द्वारा वसूल कुल ₹ 771.49 करोड़ स्वयं के राजस्व में से ₹ 417.02 करोड़ (54 प्रतिशत) चुंगी एवं यात्रीकर से प्राप्त किया गया था। इसी तरह नमूना जांच की गई दस नगरपालिकाओं के कुल ₹ 48.53 करोड़ स्वयं के राजस्व में से ₹ 35.76 करोड़ (74 प्रतिशत) चुंगी एवं यात्रीकर तथा ₹ 12.77 करोड़ अन्य राजस्व स्रोतों से था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि सम्पत्तियों का भौगोलिक सूचना पद्धति से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा था एवं राजस्व की क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए भौगोलिक सूचना पद्धति सर्वेक्षण को सम्पत्तियों के डाटा से जोड़ा जाएगा। 14वें वित्त आयोग की शर्तों को पूर्ण करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को स्वयं का राजस्व बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। इन गतिविधियों से नगरीय स्थानीय निकायों की अनुदान पर निर्भरता में कमी आएगी।

4.1.7 सम्पत्ति कर एवं समेकित कर

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, की धारा 132 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961, की धारा 127 के अनुसार नगरीय निकाय, निकाय क्षेत्र के रहवासियों से सम्पत्ति कर एवं समेकित कर का अधिरोपण एवं वसूली करेंगे। समेकित कर में सामान्य स्वच्छता उपकर, सामान्य प्रकाश कर एवं सामान्य अग्निशमन कर समिलित है, जिसे सम्पत्ति कर के साथ ही अधिरोपित एवं वसूल किया जाता है। अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार करदाताओं द्वारा करों एवं अन्य मांगों का बिल नगरपालिकाओं से प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर भुगतान करना आवश्यक था। निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने के प्रकरणों में, समस्त व्यय की मांग सहित करों की बकाया राशि अचल सम्पत्ति के किराए अथवा ब्रिकी के साथ निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वारंट से वसूल की जा सकती है।

4.1.7.1 सम्पत्ति कर बोर्ड का गठन एवं क्रियाकलाप

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर का अधिरोपण एवं वसूली में सहायता करने के उद्देश्य से सम्पत्ति कर बोर्ड के गठन की अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र अधिसूचना द्वारा मार्च 2011 में सम्पत्ति कर बोर्ड का गठन किया गया था। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सम्पत्ति कर बोर्ड के अध्यक्ष थे एवं पाँच अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।

सम्पत्ति कर बोर्ड में कोई मानवशक्ति नहीं थी एवं इसकी स्थापना मात्र औपचारिकता रही

जबकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि सम्पत्ति कर बोर्ड क्रियाशील नहीं था। 25 मार्च 2011 में बोर्ड के गठन के पश्चात इसकी मात्र चार बैठकें दिसम्बर 2011, जुलाई 2012, सितम्बर 2012 एवं मई 2014 में हुई थी। बोर्ड में कोई मानव शक्ति उपलब्ध नहीं थी। इस सम्बन्ध में संचालनालय द्वारा जुलाई 2016 में सूचित किया गया कि नियुक्ति प्रारंभ की जानी थी। परिणामस्वरूप बोर्ड ने उनको आवश्यक सौंपे गए कार्य जैसे कि निकायों में विद्यमान सम्पत्ति कर निर्धारण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर निकायों को संपत्ति के पूँजीगत मूल्यांकन का आधार निर्धारित करने हेतु सुझाव देना, निकायों में भिन्न-भिन्न वर्गों के भवनों या क्षेत्र या नगरपालिकाओं के जोनों के लिए कर की दरों के निर्धारण कर सम्पत्ति कर के अधिरोपण एवं वसूली हेतु बाजार मूल्य, दिशानिर्देश निर्धारण के लिए अनुशंसा करना एवं नगरीय निकायों में सम्पत्ति करों के अधिरोपण एवं वसूली हेतु कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण इत्यादि का निर्वहन नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि बोर्ड के क्रियाकलापों एवं सम्पत्ति कर बोर्ड के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

इस प्रकार, राज्य सरकार सम्पत्ति कर बोर्ड को सुदृढ़ बनाने में असफल रही एवं बोर्ड की स्थापना एक औपचारिकता मात्र रही क्योंकि बोर्ड द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं की जा सकी।

4.1.7.2 सम्पत्ति कर का अधिरोपण एवं वसूली

अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान चालू वर्ष हेतु सम्पत्ति कर की कुल ₹ 300.91 करोड़ (**परिशिष्ट-4.1**) की मांग के विरुद्ध मात्र ₹ 184.01 करोड़ (61 प्रतिशत) की वसूली की गयी। नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों में 2011–12 से 2015–16 के दौरान सम्पत्ति कर की चालू वर्ष की मांग के विरुद्ध वसूली की स्थिति **तालिका-4.2** में दर्शाई गई है:

तालिका-4.2: नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं में 2011–12 से 2015–16 के दौरान सम्पत्ति कर की चालू वर्ष की मांग एवं वसूली की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
नगरपालिक निगमों					
चालू वर्ष की मांग	49.66	51.14	60.16	63.66	70.19
वसूली	29.88	29.89	35.15	37.32	47.43
वसूली का प्रतिशत	60	58	58	59	68
नगरपालिका परिषदों					
चालू वर्ष की मांग	1.09	1.06	1.15	1.23	1.56
वसूली	0.74	0.74	0.86	0.90	1.11
वसूली का प्रतिशत	68	70	75	73	71

इस प्रकार, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नगरपालिकाओं द्वारा चालू वर्ष की मांग की पूर्णतः वसूली नहीं की जा सकी, नगरपालिक निगमों की वसूली 58 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच रही, वहीं नगरपालिका परिषदों के प्रकरण में वसूली 68 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के मध्य रही। आगे यह भी देखा गया कि पूर्व वर्षों की बकाया मांग के विरुद्ध ₹ 88.75 करोड़ की वसूली की गयी एवं मार्च 2016 की स्थिति में पूर्व वर्षों की बकाया एवं चालू वर्ष की बकाया सहित सम्पत्ति कर राशि ₹ 145.38 करोड़ वसूली हेतु शेष थी।

आगे संवीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि नगरपालिक निगम इंदौर में सम्पत्ति कर की बकाया वसूली ₹ 140.41 करोड़ थी जो नमूना जांच की गयी कुल 14 नगरपालिकाओं में वसूली योग्य शेष सम्पत्ति कर का 97 प्रतिशत थी। नगरपालिक निगम इंदौर ने बताया (जून 2016) कि सम्पत्ति कर की अधिक राशि बकाया होने का कारण अमले की कमी, करदाताओं से विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण हैं।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि देवास एवं बेगमगंज के अतिरिक्त अन्य नमूना जांच की गयी नगरपालिकाओं द्वारा पूर्व वर्षों की मांग के अंतिम शेष को आगामी वर्ष के चालू मांग के प्रारंभिक शेष में सही रूप से अग्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार वास्तविक बकाया मांग के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि बकाया करों की वसूली हेतु वसूली शिविर के आयोजन सहित अन्य उपाय किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, नगरपालिकाओं द्वारा संधारित बकाया सम्पत्ति कर के त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के सम्बन्ध में उत्तर मौन था।

तथ्य यह है कि नगरपालिकाएं सम्पत्ति कर की मांग जारी करने के उपरांत वसूली करने में असमर्थ रही जो उनके स्वयं के राजस्व के मुख्य स्रोत थे। मांग के विरुद्ध सम्पत्ति करों की कम वसूली होना तथा सम्पत्तिकर बोर्ड का अक्रियाशील होने के फलस्वरूप नगरपालिकाएं अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व वसूली के सामर्थ्य का पूर्णतः दोहन करने में असफल रहीं।

4.1.7.3 समेकित कर का अधिरोपण एवं वसूली

नगरपालिकाओं
द्वारा समेकित कर
की चालू मांग के
विरुद्ध वसूली
मात्र 55 प्रतिशत
रही

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नमूना जांच की गयी नगरीय निकायों द्वारा समेकित कर की कुल चालू मांग ₹ 230.03 करोड़ (**परिशिष्ट-4.2**) के विरुद्ध वसूली ₹ 127.07 करोड़ (55 प्रतिशत) थी। आगे, समेकित कर के पूर्व वर्षों की बकाया मांग के विरुद्ध उक्त अवधि में ₹ 58.20 करोड़ की वसूली की गई। मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच की गयी नगरपालिकाओं में समेकित कर की कुल लंबित वसूली ₹ 142.69 करोड़ थी। समेकित कर की वर्तमान वर्ष की मांग एवं वसूली की स्थिति नीचे **तालिका-4.3** में दर्शायी गई है:

तालिका-4.3: नमूना जांच की गयी नगरपालिकाओं में 2011–12 से 2015–16 की अवधि
में समेकित कर की चालू वर्ष की मांग एवं वसूली की स्थिति
(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
नगरपालिक निगमों					
चालू वर्ष की मांग	38.65	41.22	46.76	47.94	51.52
वसूली	21.35	21.70	24.36	26.13	31.72
वसूली का प्रतिशत	55	53	52	55	62
नगरपालिका परिषदों					
चालू वर्ष की मांग	0.69	0.74	0.79	0.80	0.92
वसूली	0.31	0.33	0.35	0.34	0.48
वसूली का प्रतिशत	45	45	44	43	52

इस प्रकार, नगरपालिक निगमों में समेकित कर के चालू वर्ष की मांग के विरुद्ध वसूली 52 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच रही एवं नगरपालिका परिषदों में 43 प्रतिशत से 52 प्रतिशत के बीच रही। समेकित कर की कुल वसूली हेतु बकाया ₹ 142.69 करोड़ में, ₹ 135.82 करोड़ केवल नगरपालिक निगम इन्दौर से वसूल की जानी थी, जो 14 नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं की वसूली योग्य बकाया समेकित कर का 95 प्रतिशत था।

आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी नगरपालिकाएं देवास एवं बेगमगंज के अतिरिक्त किसी भी निकाय द्वारा समेकित कर के पूर्व वर्षों का अंतिम शेष आगामी वर्षों में प्रारंभिक शेष के रूप में सही से अग्रेषित नहीं किया गया। इस प्रकार, समेकित कर की वास्तविक बकाया के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि बकाया करों की वसूली हेतु वसूली शिविर के आयोजन सहित अन्य उपाय किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, नगरपालिकाओं द्वारा संधारित बकाया समेकित करों के त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के सम्बन्ध में उत्तर मौन था।

4.1.7.4 नगरपालिकाओं द्वारा अनिवार्य करों की वसूली में विफलता

नगरपालिका
परिषदें पोरसा,
बेगमगंज एवं
गढ़ाकोटा अनिवार्य
करों के अधिरोपण
में विफल रही

- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेशानुसार (अक्टूबर 1999), वैसे भवन एवं भूमि जो निकाय क्षेत्र में स्थित है एवं सम्पत्ति कर से मुक्त है, के अलावा समस्त भूमि/भवनों पर सम्पत्ति कर के साथ भूमि/भवन के वार्षिक भाड़ा मूल्य का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं, की दर पर शिक्षा उपकर का अधिरोपण करना था। अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल से जुलाई 2016) में पाया गया कि नगरपालिका परिषद पोरसा द्वारा 2011–16 के दौरान न तो शिक्षा उपकर की दर का निर्धारण किया गया और न ही अधिरोपित किया गया। आगे, नगरपालिका परिषद बेगमगंज एवं गढ़ाकोटा द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान सम्पत्ति कर के साथ शिक्षा उपकर का अधिरोपण नहीं किया गया।

- नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निकाय क्षेत्र में स्थित भूमि/भवनों के वार्षिक भाड़ा मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से, सम्पत्ति कर के साथ नगरीय विकास उपकर अधिरोपित एवं वसूल करने के निर्देश जारी किए गए (नवम्बर 2010)। अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि नगरपालिका परिषद पोरसा ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान सम्पत्ति कर के साथ नगरीय विकास उपकर का अधिरोपण एवं वसूली नहीं की।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों को अनिवार्य करों के अधिरोपण एवं वसूली हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.8 जल प्रभार

4.1.8.1 जल प्रदाय हेतु व्यक्तिगत कनेक्शनों से उपभोक्ता प्रभार की वसूली

म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 221 के अनुसार आयुक्त एक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिसमें जल प्रदाय का उद्देश्य एवं खपत की मात्रा का उल्लेख हो, जल प्रदाय कर सकता है। अधिनियम की धारा 222 के अनुसार आयुक्त, आवेदक को जल मीटर प्रदाय करेगा एवं इसके लिए किराया वसूलेगा। इसी प्रकार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–बी के अनुसार जहां जलप्रदाय निकाय द्वारा किया जाता है, वहां नगरपालिका परिषदें भूमि या भवन में जल प्रदाय हेतु उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करेंगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी किसी भी नगरपालिकाओं द्वारा जल उपभोग की मात्रा की माप हेतु घरेलू मीटर की संस्थापन नहीं की गई थी। जल उपभोक्ता प्रभार की वसूली नगरपालिकाओं द्वारा निश्चित मासिक दर से की गई थी। इस प्रकार, नगरपालिकाएं जल मीटर के आधार पर जल खपत की वास्तविक उपभोग की मात्रा पर उपभोक्ता प्रभार लगाने में असफल रहीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी नगरपालिकाओं द्वारा अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान जल उपभोक्ता प्रभार की कुल चालू वार्षिक मांग ₹ 227.75 करोड़ के विरुद्ध वसूली मात्र ₹ 102.75 करोड़ (45 प्रतिशत) रही, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4.3** में दर्शाया गया है। आगे देखा गया कि पूर्व वर्षों की बकाया के विरुद्ध ₹ 51.99 करोड़ की वसूली हुई एवं नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं में मार्च 2016 की स्थिति में संचयी जल उपभोक्ता प्रभार की ₹ 243.65 करोड़ बकाया थी। कुल बकाया मांग ₹ 243.65 करोड़ में से, 94 प्रतिशत (₹ 229 करोड़) केवल नगरपालिक निगम इन्डौर में वसूली हेतु बकाया थी। आगे, नगरपालिक निगम इन्डौर में 1,829 जल कनेक्शन थे, जहां जल प्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार का बकाया देय ₹ 50,000 से अधिक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं में पूर्व वर्षों की बकाया मांग को आगामी वर्षों में सही से अग्रेषित नहीं किया गया था। नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव में 2011–12 से 2015–16 के दौरान जल प्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभारों की चालू वर्ष की मांग ₹ 8.15 लाख स्थिर रही। इस प्रकार, जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार के अधिरोपण एवं वसूली के आंकड़े वास्तविक नहीं थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि शहरी जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से अनुबीक्षण किया जाएगा।

31 मार्च 2016 की स्थिति में जल आपूर्ति उपभोक्ता प्रभार की राशि ₹ 243.65 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी

4.1.8.2 बल्क वाटर कनेक्शनों से जल प्रभार की वसूली

नगरपालिक निगम इन्दौर के अन्तर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-1 मंडलेश्वर एवं खण्ड-2 मुसाखेड़ी इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

46 थोक जल उपभोक्ता संयोजनों पर कुल राशि ₹ 30.62 करोड़ वसूली हेतु लंबित थे

● खण्ड-2 मुसाखेड़ी में कुल 76 बल्क वाटर कनेक्शन में से 15 में वाटर मीटर संस्थापित नहीं थे। शेष 61 बल्क वाटर कनेक्शन में वाटर मीटर संस्थापित थे, जिसमें 16 बल्क वाटर मीटर अक्रियाशील थे एवं जल उपभोक्ता प्रभार मासिक औसत आधार पर अधिरोपित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 की स्थिति में कुल 76 बल्क वाटर कनेक्शन में से 40 उपभोक्ताओं पर ₹ 16.17 करोड़ वसूली हेतु लंबित थे। बल्क वाटर कनेक्शन के बकायदारों में सबसे बड़े बकायदार ग्राम पंचायत गबली पलासिया (₹ 5.54 करोड़) एवं ग्राम पंचायत कोदारिया (₹ 9.27 करोड़), जनपद पंचायत महू जिला इन्दौर थे।

● संधारण खण्ड-1, मण्डलेश्वर में 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल छह बल्क वाटर कनेक्शन पर वसूली हेतु ₹ 14.45 करोड़ बकाया थी, जिसमें ₹ 13.53 करोड़ वसूली हेतु नगर परिषद मण्डलेश्वर से बकाया थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि बकाया कर की वसूली हेतु निर्देश जारी किए गए हैं एवं वसूली सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर से अनुवीक्षण किया जाएगा।

4.1.9 भवन अनुज्ञा शुल्क

मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजपत्र अधिसूचना (जून 2012), के अनुसार भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क, कुल निर्मित क्षेत्रफल का ₹ 1 एक प्रति वर्गमीटर की दर से वसूल किया जाना चाहिए था। भवन अनुज्ञा के लिए अनुज्ञा शुल्क की दरें आवासीय, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक सम्पत्तियों से भिन्न-भिन्न दरों से वसूल करनी चाहिए। भवन निर्माण हेतु आवेदकों से भवन अनुज्ञा शुल्क के साथ विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे जल संग्रहण प्रभार, जल निकास शुल्क, वर्षा जल संचयन शुल्क भी वसूल किया जाना चाहिए, जैसा कि निकायों के मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल द्वारा नियत किया जाए। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि :

● नगरपालिक निगम इन्दौर द्वारा भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन शुल्क परिषद के प्रस्ताव दिनांक 30 मार्च 2002 के अनुसार ₹ 30 से ₹ 100 की दर से भूतल के लिए एवं उसके पश्चात ₹ 20 प्रति तल के अनुसार वसूल किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राजपत्र दिनांक 01 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार शासन द्वारा आवेदन शुल्क की पुनरीक्षित दरों का पालन नगरपालिक निगम द्वारा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 2013–14 से 2015–16 के दौरान 111 नमूना जांच की गई बहुमंजिला भवनों की भवन अनुज्ञा प्रकरणों से आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 11.77 लाख कम वसूल किए गए। इस आशय को इंगित करने पर नगरपालिक निगम इन्दौर द्वारा पुनरीक्षित दरों को समिलित करते हुए ऑनलाईन भवन अनुज्ञा पद्धति को अद्यतन किया (4 अप्रैल 2016)।

● नगरपालिका परिषद पोरसा, जिला मुरैना द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख संधारित नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा में भवन अनुज्ञा की वसूली अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर पर भवन अनुज्ञा हेतु एक समान सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा था इसके पश्चात लीकेज रुक जाएंगे एवं

सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर किया जाएगा। तथापि, नगरीय स्थानीय निकायों को नियमानुसार शुल्क वसूल करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नमूना जांच की गई नगरपालिकाएं राजपत्र में अधिसूचित निर्धारित दरों से शुल्क वसूल करने में असफल रही। अतः राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी।

4.1.10 दुकानों का किराया

4.1.10.1 विगत 25 वर्षों से दुकानों की नीलामी में विफलता

मध्य प्रदेश अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 1994 के नियम 3 के अनुसार आयुक्त, परिषद की स्वीकृति से निकाय की कोई भी अचल सम्पत्ति, जिससे आय प्राप्त होती हो या वह आय के योग्य हो, खुली निविदा आमंत्रित कर, उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच सकता है अन्यथा किराए पर हस्तांतरित कर सकता है।

नगरपालिका निगम इन्दौर द्वारा विगत 18 से 25 वर्षों से रिक्त दुकानों की नीलामी में विफल रहने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि तथा दुकानों पर अतिक्रमण हुआ

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिका निगम इन्दौर दुकानों की रिक्तता की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं था। निकाय के बाजार शाखा ने अपर आयुक्त (राजस्व) को बताया (दिसम्बर 2015) की निकाय क्षेत्र अन्तर्गत 107 दुकानें रिक्त थीं। स्थानीय लेखापरीक्षा ने बताया (दिसम्बर 2015) कि निकाय की कुल 268 दुकानें विगत 18 से 25 वर्षों से नीलामी हेतु रिक्त थी। प्रत्युत्तर में निगम की बाजार शाखा द्वारा रिक्त दुकानों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में एक भौतिक सत्यापन कराया गया तथा अभिनिश्चित किया गया कि कुल 80 दुकानें नीलामी हेतु रिक्त थीं तथा यह भी पाया कि अन्य 28 दुकानों पर अतिक्रमण भी था।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिका निगम इन्दौर द्वारा फरवरी 2012 में 48 दुकानों के लिए ₹ 1.62 करोड़ का न्यूनतम विक्रय मूल्य³ निर्धारित किया गया था। इन दुकानों की नीलामी हेतु नवम्बर 2012 में निविदा आमंत्रित की गई थी। तथापि, मात्र 16 दुकानों के लिए ₹ 0.95 करोड़ की बोली प्राप्त हुई जिसे मेयर-इन-काउंसिल द्वारा निरस्त (परिषद के संकल्प क्रमांक 620 दिनांक 20.12.14) कर दिया गया। तत्पश्चात, रिक्त दुकानों की नीलामी हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है (फरवरी 2016)। उत्तर में आयुक्त ने बताया (अप्रैल 2016) कि 82 दुकानों की नीलामी तथा दुकानों के अतिक्रमण की स्थिति निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रचलित थी।

तथ्य यह है कि नगरपालिका निगम इन्दौर उक्त रिक्त दुकानों को विगत 18 से 25 वर्षों से नीलाम नहीं कर सका परिणामस्वरूप निकाय को निरंतर राजस्व की हानि हुई तथा साथ ही दुकानों पर अतिक्रमण भी हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर से जांच कराई जाएगी तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.1.10.2 दुकानों का किराया/धरोहर की वसूली लंबित रहना

मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा नियम, 1971, के नियम 57, 59 एवं 60 के अनुसार नगरीय निकायों को अचल सम्पत्तियों की धरोहर राशि/किराया का अधिरोपण करना एवं वसूल करना था। अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि तीन नगरपालिका निगमों⁴ तथा आठ नगरपालिका परिषदों⁵ में 31 मार्च 2016 की स्थिति में दुकानों की धरोहर राशि/किराये की राशि ₹ 7.06 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थी।

दुकानों की धरोहर/किराए की बकाया राशि ₹ 7.06 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थी

³ नगर निगम इन्दौर द्वारा दुकानों की नीलामी हेतु न्यूनतम दर (प्रति वर्ग फुट) से निर्धारित किया गया।

⁴ देवास (₹ 24.41 लाख), इन्दौर (₹ 300.00 लाख) तथा रतलाम (₹ 53.97 लाख)

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर से सम्बंधित नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.11 विज्ञापन शुल्क

4.1.11.1 यूनीपोल पर विज्ञापन

नगरपालिक निगम इन्डौर की मेयर—इन—काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव (सितम्बर 2007) के अनुसार निकाय सीमान्तर्गत छह स्थानों पर यूनीपोल के दोनों तरफ विज्ञापन हेतु राशि ₹ 38.88 लाख की निविदा तीन वर्षों के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसका अनुबंध अक्टूबर 2010 में समाप्त हो गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम इन्डौर ने यूनीपोलों पर विज्ञापन हेतु निविदा प्रकाशन हेतु विज्ञापन नहीं दिया तथा निविदा जुलाई 2011 में अर्थात् आठ माह के अंतराल के बाद आमंत्रित की गई। हालांकि जिस फर्म ने ₹ 81.00 लाख की अधिकतम बोली प्रस्तुत की थी, उस फर्म द्वारा सहमति पत्र स्वीकार न करने के कारण अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात्, लगभग एक वर्ष के उपरान्त अक्टूबर 2012 में पुनः निविदा आमंत्रित की गई। एक फर्म, जिसने ₹ 46.21 लाख की उच्चतम बोली प्रस्तुत की थी, के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए यूनीपोल पर विज्ञापन के लिए अनुबंध सम्पादित (जून 2013) किया गया था।

निविदा प्रपत्र की शर्त के अनुसार सफल निविदाकार से निविदा की पूरी राशि वसूल की जानी थी। अनुबंध अवधि के समाप्ति के पूर्व विज्ञापन स्थल रिक्त करने की स्थिति में भी “अधिग्रहण के अधिकार” के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि वसूल की जानी थी। निविदा की शर्तों के अनुसार स्वीकृत लागत की 40 प्रतिशत राशि सात दिन के अन्दर, 30 प्रतिशत द्वितीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में तथा शेष 30 प्रतिशत तृतीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में जमा कराई जानी थी।

नगर निगम इन्डौर द्वारा यूनीपोल पर विज्ञापन हेतु एक फर्म से ₹ 27.73 लाख की वसूली नहीं की गई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म द्वारा प्रथम किश्त की राशि ₹ 18.48 लाख जमा की गयी, परन्तु द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि जमा नहीं की गयी। फर्म ने निकाय को बताया (जुलाई 2014) कि धार्मिक तथा राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण करने के परिणामस्वरूप फर्म विगत एक वर्ष से यूनीपोलों का उपयोग नहीं कर पा रही है तथा निकाय में जमा प्रीमियम के समायोजन उपरान्त शेष राशि फर्म को वापस करने को कहा। आगे संवीक्षा में पाया गया कि ठेके की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध की अवधि समाप्ति के पूर्व विज्ञापन स्थल खाली करने पर भी ठेकेदार पर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा करने की देयता थी परन्तु निकाय द्वारा शेष राशि ₹ 27.73 लाख की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे, निकाय ने यूनीपोल पर विज्ञापन हेतु पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की। इस प्रकार, निकाय द्वारा ठेकेदार को ₹ 27.73 लाख का अदेय लाभ दिया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर पर विज्ञापन नीति का प्रारूप अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। तथापि, इस प्रकरण की विभाग द्वारा जांच की जाएगी।

4.1.11.2 होर्डिंग्स किराए की राजस्व हानि

मध्य प्रदेश अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 1994 के नियम 3 के अनुसार आयुक्त, परिषद की स्वीकृति से निकाय की कोई भी अचल सम्पत्ति, जिससे आय प्राप्त होती हो

⁵ आमला (₹ 2.10 लाख), अनुपपुर (₹ 1.56 लाख), बेगमगंज (₹ 9.92 लाख), गढ़कोटा (₹ 6.59 लाख), हरदा (₹ 23.45 लाख), जुन्नारदेव (₹ 57.52 लाख), नैनपुर (₹ 13.65 लाख) एवं पाण्डुर्ना (₹ 212.76 लाख),

या वह आय के योग्य हो, खुली निविदा आमंत्रित कर, उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच सकता है अन्यथा किराए पर हस्तांतरित कर सकता है।

नगरपालिक निगम इन्दौर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निकाय द्वारा वर्ष 1991 से 2009 के मध्य 107 एजेंसियों को कुल 733 स्थानों पर विज्ञापन हेतु होर्डिंग्स की अनुमति प्रदान की गई थी। परन्तु वार्षिक निविदा आमंत्रित न करते हुए विज्ञापन एजेंसियों को वर्ष 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष समयावृद्धि दी गयी। लेखापरीक्षा ने पाया कि होर्डिंग्स की दर ₹ 75 से ₹ 85 प्रति वर्गफुट (मार्च 2009) तथा ₹ 85 से ₹ 100 प्रति वर्गफुट (अगस्त 2012) में पुनरीक्षित की गई थी। तत्पश्चात, दरें मार्च 2015 तक पुनरीक्षित नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप विज्ञापन एजेंसियों को अदेय वित्तीय लाभ दिया गया।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के मध्य औसत होर्डिंग्स किराया ₹ 3.68 करोड़ था जबकि वर्ष 2015–16 में मेयर–इन–काउंसिल द्वारा स्वीकृतियां निरस्त करने के कारण कोई होर्डिंग्स किराया वसूल नहीं किया गया था। इस प्रकार, होर्डिंग्स हेतु विज्ञापन एजेंसी का चयन किए बिना स्वीकृतियां निरस्त करने से निकाय को राजस्व की हानि हुई, जिसकी सीमा 2010–11 से 2014–15 के बीच राशि ₹ 3.14 करोड़ से ₹ 4.94 करोड़⁶ के मध्य रही।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर पर विज्ञापन नीति का प्रारूप अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। जैसे ही अंतिम रूप दिया जाएगा, सभी स्थानों पर समान नीति होगी। तथापि, इन प्रकरणों पर विभाग द्वारा जांच की जाएगी।

4.1.12 बजट, लेखांकन तथा राजस्व का विनियोजन

4.1.12.1 बजट तथा लेखाओं का अनियमित संधारण

मध्य प्रदेश शासन ने, नगरपालिकाओं द्वारा 1 अप्रैल 2008 से उपचय आधारित लेखांकन संधारण पद्धति अपनाने हेतु, मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली का प्रकाशन किया (अप्रैल 2007)। मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, की धारा 126 तथा मध्य प्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 की धारा 21 के अनुसार जैसे ही वार्षिक लेखे तैयार हो जाते हो, इसे निर्धारित प्रारूप में शासन को प्रेषित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम इन्दौर, रतलाम तथा रीवा के 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लेखे तथा बजट अनुमान मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप ही तैयार किए गए थे। तथापि, नगरपालिक निगम देवास तथा सभी नमूना जांच की गई नगरपालिका परिषदों द्वारा बजट एवं लेखे निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किए गए। आगे, देवास, इन्दौर, रतलाम तथा रीवा नगरपालिक निगमों के वार्षिक लेखे परिषद द्वारा पारित नहीं किए गए थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि नगरीय स्थानीय निकायों की वाणिज्यिक लेखापरीक्षा इस वर्ष से प्रारम्भ कर दी गई थी। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन प्रक्रियाधीन था एवं राज्य स्तर से अनुवीक्षण किया जा रहा था।

4.1.12.2 अवास्तविक बजट अनुमान तैयार किया जाना

मध्य प्रदेश नगरपालिका (बजट अनुमान) नियम, 1962, के नियम 3 के अनुसार बजट अनुमान नगरीय स्थानीय निकाय के विगत तीन वर्षों की वास्तविक आय एवं व्यय के तुलनात्मक विवरण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

⁶ ₹ 3.28 करोड़ (2010–11), ₹ 4.94 करोड़ (2011–12), ₹ 3.57 करोड़ (2012–13), ₹ 3.46 करोड़ (2013–14) एवं ₹ 3.14 करोड़ (2014–15)

बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किए गए

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक आय एवं व्यय के आंकड़ों में भारी अंतर था, जो अनुचित बजट अनुमान तैयार किया जाने का द्योतक है। जिसका विवरण **परिशिष्ट-4.4(अ)** तथा **(ब)** में दिया गया है। 2011–12 से 2015–16 की अवधि में बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक आय के आंकड़ों में 81 प्रतिशत तक अंतर था। इसी अवधि में वास्तविक व्यय की तुलना में अनुमानित व्यय में 80 प्रतिशत तक भिन्नता थी। इस प्रकार, बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किए गए, जैसा कि मध्य प्रदेश बजट अनुमान नियम, 1962 में वर्णित था। शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों को वास्तविकता के आधार पर बजट तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.12.3 बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा नियम, 1971 के नियम 97 एवं 98 के अनुसार यदि रोकड़ बही तथा बैंक के अंतिम शेष की राशि में कोई भिन्नता होती है तो प्रत्येक माह उसका समाधान किया जाना चाहिए।

नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं निकायों द्वारा बैंक समाधान नहीं किया गया था

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा अवधि 2010–11 से 2015–16 के दौरान बैंक समाधान नहीं किया गया था। इन नगरपालिकाओं में दिनांक 31.03.16 की स्थिति में रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के अंतिम शेषों के मध्य अंतर को **परिशिष्ट-4.5** में दर्शाया गया है। नगरपालिक निगम इन्दौर एवं रतलाम में रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के अंतिम शेषों में अंतर अभिनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इन नगरपालिक निगमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम देवास, रीवा एवं नगरपालिका परिषद अनुपपुर, बड़वाह, बेगमगंज तथा गढ़कोटा के बैंक खातों में अंतिम शेष कम था, जिससे बैंक समाधान के अभाव में राशियों के अनुचित उपयोग का जोखिम था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को बैंक समाधान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। लेखांकन सुधार के अंतर्गत परामर्शदाताओं द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इस प्रकार बैंक समाधान सहित सम्पूर्ण लेखांकन पद्धति का सुदृढ़ीकरण होगा।

4.1.12.4 संचित निधि

• संचित निधि में राशि ₹ 62.53 करोड़ कम जमा किया जाना

मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार (मार्च 1998) चुंगी तथा यात्री कर के एवज में क्षतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान सहित नगरीय स्थानीय निकायों की प्रतिदिन की आय का पांच प्रतिशत निकाय की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए। संचित निधि का लेखा नगरीय निकाय के लेखे से पृथक संधारित किया जाना चाहिए था। संचित निधि का उपयोग आपातकालीन कार्यों या जन उपयोगिता के अन्य कार्यों के लिए किया जाना था जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था।

नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा संचित निधि में ₹ 162.53 करोड़ कम जमा किए गए

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2011–12 से 2015–16 की अवधि में नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं को संचित निधि में ₹ 169.33 करोड़ जमा करना था (**परिशिष्ट-4.6**)। तथापि, नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा मात्र ₹ 6.81 करोड़ जमा किए जाने के कारण संचित निधि में ₹ 162.53 करोड़ कम जमा हुआ। आगे, नगरपालिक निगम देवास तथा इन्दौर द्वारा संचित निधि का गठन नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने बताया (जनवरी 2017) कि इन्दौर तथा देवास के प्रकरणों की शासन स्तर से जांच की जाएगी तथा अन्य नगरीय निकायों को कम जमा की गई राशि को जमा करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

● संचित निधि से आहरित निधियों की प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार (मार्च 1998), संचित निधि से आहरित निधि की अधिकतम 24 किस्तों में प्रतिपूर्ति की जानी थी। प्रतिपूर्ति की प्रथम किस्त संचित निधि से आहरण के एक माह के पश्चात देय हो जाती है। नगरपालिका परिषद आमला के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2003–04 में दुकानों के निर्माण हेतु संचित निधि से ₹ 2.50 लाख का आहरण किया गया था। तथापि, 13 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी आहरित निधि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी, जो शासन के आदेशों का उल्लंघन था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

● संचित निधि से ₹ 4.84 लाख का अनियमित व्यय

मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार (मार्च 1998) संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना संचित निधि से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जा सकता है। संचित निधि से आहरित राशि का व्यय केवल अनावर्ती व्यय के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए बजट में प्रावधान न हो। नगरपालिका परिषद बड़वाह की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि निकाय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 4.84 लाख का आहरण संचित निधि से जनवरी 2016 में किया गया। निधि के आहरण हेतु संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जबकि यह राज्य शासन के निर्देशों (मार्च 1998) के अनुसार आवश्यक था। आगे, संचित निधि से वेतन भुगतान पर व्यय किया जाना शासन के निर्देशों के विपरीत था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4.1.12.5 देयताओं के निर्वहन में विलम्ब

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, की धारा 88 के अनुसार निकाय निधि में समय—समय पर जमा की गई राशियों का व्यय निम्न प्राथमिकता क्रम में किया जाएगा। प्रथम, निगम द्वारा देय समस्त ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान, द्वितीय नगरीय निकाय पर आरोपित समस्त दायित्वों के लिए प्रावधान, तृतीय अधिनियम में वर्णित आवश्यक समस्त सेवाओं के लिए धनराशियों का प्रावधान करना।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम देवास तथा इन्दौर द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान की देयता का निर्वहन नहीं किया गया। नगरपालिक निगम, देवास में 31 मार्च 2016 की स्थिति में सिर्फ विद्युत तथा जल प्रदाय के विद्युत बिलों की ₹ 1.75 करोड़ बकाया थी, जो वर्ष 2002 से भुगतान हेतु शेष थी। 31 मार्च 2016 की स्थिति में नगरपालिक निगम इन्दौर में जल प्रदाय हेतु विद्युत बिलों की बकाया ₹ 499.08 करोड़ थी, जो वर्ष 2012 के पूर्व के समय से संबंधित थी। तथापि, बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु बजट में प्रावधान किया गया था।

नगरपालिक निगम, इन्दौर ने बताया (अप्रैल 2016) कि देयता को आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक लेखाओं में दर्शाया जाएगा। शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि विद्युत बिलों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

**नगरपालिक निगम
देवास एवं इन्दौर ने ₹ 500.83 करोड़ के विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया**

4.1.12.6 स्रोत पर काटे गए करों को जमा करना

स्रोत पर काटे गए कर राशि ₹ 7.66 करोड़ को शासन के खाते में जमा नहीं किया गया

नगरपालिका निगम देवास, रीवा तथा नगरपालिका परिषद अनुपपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इन निकायों द्वारा राज्य शासन, मध्य प्रदेश भवन संनिर्माण एवं कर्मकार कल्याण मण्डल तथा भारत शासन हेतु काटे गए वैट कर, रॉयलटी, कर्मकार कल्याण उपकर तथा आयकर ₹ 7.66 करोड़ जमा नहीं की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-4.7 में दिया गया है। आगे संवीक्षा में पाया गया कि इन नगरपालिकाओं ने स्रोत पर काटे गए करों का अनाधिकृत रूप से अपने नियमित व्यय हेतु उपयोग किया था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि करों को अविलम्ब जमा करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.12.7 नगरपालिका परिषद के व्यय हेतु योजना निधियों का व्यपकर्तन

नगरपालिका परिषद बड़वाह के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिका को छोटे एवं मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत जल प्रदाय हेतु ₹ 6.69 करोड़ प्राप्त हुए थे। तथापि, नगरपालिका ने सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के दौरान छोटे एवं मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना से ₹ 69.54 लाख का अपने नियमित व्यय यथा विद्युत बिलों एवं ठेकेदारों के चलित देयकों के भुगतान हेतु किया।

नगरपालिका परिषद बड़वाह के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया (जून 2016) कि छोटे एवं मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना की निधि, अध्यक्ष तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार नगरीय निकाय के देय भुगतानों के लिए व्यय की गई थी जिसे भविष्य में योजना निधि में वापस कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना निधि का उपयोग जिस कार्य के लिए निधि स्वीकृत की गई थी, उसके अलावा अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने की स्वीकृति देने हेतु नगरपालिका अध्यक्ष एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी सक्षम नहीं थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4.1.12.8 स्कूलों को मध्याहन भोजन के परिवहन हेतु शिक्षा उपकर का व्यपकर्तन

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार (अक्टूबर 1999) नगरीय निकायों को उन भवन या भूमियों, जिन पर सम्पत्ति कर अधिरोपित है, के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अधिकतम पांच प्रतिशत की दर, पर शिक्षा उपकर अधिरोपित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा उपकर का उपयोग शासकीय विद्यालयों के रख-रखाव, स्वच्छता तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी किए थे (अक्टूबर 2012)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में नगरपालिका निगम इन्दौर ने मध्याहन भोजन योजनान्तर्गत पके हुए भोजन के परिवहन हेतु शिक्षा उपकर ₹ 9.75 करोड़ का अनियमित उपयोग किया। आपत्ति इंगित किए जाने पर आयुक्त ने उत्तर दिया (जून 2016) कि मेयर-इन-काउंसिल में पारित प्रस्ताव अनुरूप शिक्षा उपकर का, मध्याहन भोजन योजनान्तर्गत पके हुए खाने के परिवहन पर, व्यय किया गया था। तथापि, मेयर-इन-काउंसिल के प्रस्ताव की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि शिक्षा उपकर के उपयोग हेतु पुनरीक्षित निर्देश जारी कर दिए गए (जुलाई 2016)।

तथ्य यह है कि शिक्षा उपकर के उपयोग के संबंध में अक्टूबर 2012 के निर्देश 2011–12 से 2015–16 की अवधि में प्रचलन में थे, जिसका पालन नगरपालिक निगम, इन्दौर को करना था तथा राज्य शासन के आदेशों की अवहेलना करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

4.1.12.9 नगरीय विकास उपकर का राज्यांश जमा न किया जाना

नगरपालिकाओं
द्वारा नगरीय
विकास उपकर की
राज्यांश ₹ 18.60
करोड़ शासन के
खाते में जमा नहीं
किया गया

मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय सीमान्तर्गत स्थित भवन तथा भूमियों पर नगरीय विकास उपकर अधिरोपित करना तथा वसूल करना था। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र (फरवरी 2008) के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकायों को नगरीय विकास उपकर की वसूली गई राशि का 40 प्रतिशत राज्य शासन के खाते में जमा कराना था।

अवधि 2010–11 से 2015–16 के दौरान नमूना जांच की गयी नगरपालिकाओं ने नगरीय विकास उपकर के रूप में ₹ 46.85 करोड़ एकत्रित किए (**परिशिष्ट-4.8**)। इस प्रकार, राज्य शासन के खाते में ₹ 18.74 करोड़ (40 प्रतिशत) जमा किए जाने थे। तथापि, नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा, हरदा एवं नैनपुर द्वारा मात्र ₹ 0.14 करोड़ जमा किए गए थे। अन्य नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं ने कोई राशि शासन के खाते में जमा नहीं किया था। इस प्रकार, नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि शासन के खाते में जमा कराने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य शासन ₹ 18.60 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि शासन के खाते में निर्धारित राशि जमा कराने हेतु सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.13 अनुवीक्षण

4.1.13.1 राजस्व विभाग में करों की वसूली हेतु अमले की कमी

नगरीय स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत राजस्व वसूली है, अतः राजस्व विभाग में राजस्व वसूली हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की पदस्थापना की जानी चाहिए। छह नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं⁷ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इन नगरपालिकाओं के राजस्व विभाग में अमले की नितांत कमी थी, जैसाकि **परिशिष्ट-4.9** में वर्णित किया गया है। राजस्व विभाग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध नगरपालिक निगम देवास में 94 प्रतिशत, इन्दौर में 70 प्रतिशत, रतलाम में 77 प्रतिशत, रीवा में 36 प्रतिशत तथा नगरपालिका परिषद बड़बाह में 46 प्रतिशत तथा पोरसा में 40 प्रतिशत पद रिक्त थे। कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व वसूली प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसकी चर्चा **काण्डिका-4.1.7.2** तथा **4.1.7.3** में की गई है।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर अमले को तर्कसंगत बनाने के प्रयास किए जा रहे थे।

4.1.13.2 भौगोलिक सूचना पद्धति के आधार पर करों की मांग का अनुवीक्षण न किया जाना

मध्य प्रदेश शहरी अधोसंरचना निवेश योजनान्तर्गत, राज्य शासन ने नगरपालिक निगम देवास को सम्पत्ति कर के आंकलन तथा मांग पंजी तैयार करने की अग्रगामी परियोजना के रूप में चयन किया था (जुलाई 2013)। सर्वेक्षण उपरान्त, मार्च 2013 की स्थिति में नगरपालिक निगम देवास में सम्पत्ति कर की बकाया लम्बित मांग ₹ 41.21 करोड़ तथा जलकर की बकाया ₹ 6.08 करोड़ वसूली हेतु निश्चित की गई थी।

⁷

बड़बाह, देवास, इन्दौर, पोरसा, रतलाम एवं रीवा

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम द्वारा बकाया लंबित मांगों की वसूली की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई तथा वसूली पत्रक में सम्पत्ति कर की बकाया मांग के रूप में ₹ 8.25 करोड़ तथा जलकर के उपभोक्ता प्रभार की बकाया मांग के रूप में ₹ 2.95 करोड़ दर्शायी गई थी। इस प्रकार, नगरपालिक निगम, देवास की सर्वेक्षण के आधार पर निश्चित की गयी मांग को निरंतर न करने के फलस्वरूप सम्पत्ति कर तथा जलकर की ₹ 36.09 करोड़ की राशि की कम मांग दर्शायी गयी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि सम्पत्ति कर को शहरी सुधारों के अन्तर्गत लिया गया था तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के पर्यवेक्षण में राज्य भौगोलिक सूचना पद्धति आधारित सम्पत्ति कर वसूली का क्रियान्वयन किया जा रहा था। तथापि, नगरीय स्थानीय निकाय से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।

4.1.13.3 नगरपालिक निगम इन्डौर में संपत्तियों का जीआईएस सर्वे पूर्ण नहीं करना

आयुक्त, नगरपालिक निगम इन्डौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि नगरपालिक निगम इन्डौर द्वारा करों की वसूली हेतु निकाय क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के जीआईएस सर्वे करने के लिए एक एजेंसी से (मार्च 2007) में ₹ 1.50 करोड़ में अनुबंध कर कार्यादेश जनवरी 2008 में दिया गया। कार्यादेश के अनुसार सर्वे का कार्य मई 2008 तक पूर्ण किया जाना था, तत्पश्चात्, आगामी माह से जीआईएस कम्प्यूटर आधारित आवेदन पद्धति का विकास करना था।

आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम इन्डौर ने फर्म को ₹ 37.50 लाख (फरवरी 2009) तथा ₹ 13.24 लाख (मार्च 2010) का भुगतान कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया था। जबकि, फर्म ने निकाय की संपत्तियों का जीआईएस सर्वे तथा डाटाबेस निर्माण का कार्य नहीं किया था। नगरपालिक निगम द्वारा फर्म को अनेक बार सूचना पत्र जारी करने के उपरांत नगरपालिक निगम ने अनुबन्ध को निरस्त कर दिया (जून 2012)। इस प्रकार, फर्म द्वारा जीआईएस सर्वे कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप ₹ 50.74 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि राज्य स्तर पर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में जीआईएस सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। नगरपालिक निगम इन्डौर के प्रकरण की छानबीन कर निगम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा।

4.1.14 निष्कर्ष का सारांश एवं अनुशंसाएं

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वसूले गए राजस्व उनके व्यय की पूर्ति हेतु अपर्याप्त थे। नमूना जांच की गई नगरपालिक निगमों में उनके स्वयं के राजस्व का अंश 37 से 69 प्रतिशत के मध्य था, जबकि नगरपालिका परिषदों में उनके स्वयं के राजस्व का हिस्सा 24 से 64 प्रतिशत के मध्य था। आगे, यह भी पाया गया कि 2011–16 के दौरान निकायों के स्वयं के राजस्व में मुख्य वृद्धि राज्य शासन द्वारा चुंगी एवं यात्री कर के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई सहायता अनुदान थी एवं नगरपालिकाओं के उनके स्वयं के करों में अनुपातिक वृद्धि नहीं थी।

अनुशंसा: राज्य शासन एवं नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्रान्तर्गत जीआईएस सर्वेक्षण के माध्यम से करदाताओं के डाटाबेस के एकत्रीकरण द्वारा स्वयं के राजस्व की मांग एवं वसूली की सम्भावना को तलाशने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

- सम्पत्ति कर बोर्ड, जिसका गठन नगरपालिकाओं को सम्पत्ति करों के निर्धारण एवं वसूली में सहायता के लिए किया गया था, ने मानव शक्ति की कमी के कारण सौंपे गए कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को सम्पत्ति कर बोर्ड को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि बोर्ड, नगरपालिकाओं को उनकी राजस्व वसूली क्षमता वर्धन हेतु मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान कर सके।

- बजट एवं लेखा, मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुरूप तैयार नहीं किए गए थे। नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा बैंक समाधान तैयार नहीं किया गया जिसके कारण निधियों के दुरुपयोग का जोखिम था।

अनुशंसा: राज्य शासन को नगरपालिकाओं द्वारा बजट एवं लेखा मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुरूप तैयार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

- नमूना जांच की गई नगरपालिकाओं द्वारा संचित निधि में ₹ 162.53 करोड़ कम जमा किए गए थे। नगरपालिकाओं द्वारा वसूल की गयी नगरीय विकास उपकर से निर्धारित राज्यांश, राज्य शासन के खाते में जमा नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य शासन ₹ 18.60 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा। आगे, नगरपालिकाओं द्वारा वैट कर, रॉयल्टी एवं कर्मकार कल्याण उपकर के रूप में स्रोत पर काटी गई ₹ 7.66 करोड़ शासन के खाते में जमा नहीं की गई जो निकायों द्वारा स्वयं के नियमित व्यय के लिए उपयोग की गई।

अनुशंसा: नगरपालिकाओं द्वारा सांविधिक देय, जैसे वैट कर, रॉयल्टी, कर्मकार कल्याण उपकर एवं आयकर से संबंधित स्रोत पर काटा गया कर, निर्धारित समय में संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

- 2011–16 के दौरान सम्पत्तिकर, समेकित कर एवं जल आपूर्ति के लिए उपभोक्ता प्रभार की वसूली संबंधित मांग से अत्यंत कम रही। मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच की गयी नगरपालिकाओं में सम्पत्ति कर की बकाया वसूली ₹ 145.38 करोड़, समेकित कर की बकाया वसूली ₹ 142.69 करोड़ एवं जल आपूर्ति के लिए उपभोक्ता प्रभार की बकाया वसूली ₹ 243.65 करोड़ थी। नगरपालिकाओं के राजस्व शाखा में कर्मचारियों की नितांत कमी के फलस्वरूप राजस्व वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आगे, करों की मांग का अनुवीक्षण भौगोलिक सूचना पद्धति सर्वेक्षण के आधार पर नहीं किया गया था।

अनुशंसा: नगरपालिकाओं को आवधिक अनुवीक्षण एवं राजस्व शाखा में पर्याप्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराते हुए चालू वर्ष के करों एवं पूर्व वर्षों के बकाया करों की वसूली हेतु प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहिए।

अध्याय—पाँच

अनुपालन लेखापरीक्षा

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा
अग्निशमन सेवाओं की स्थापना
एवं प्रबंधन
- अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय पाँचः अनुपालन लेखापरीक्षा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

5.1 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं की स्थापना एवं प्रबंधन

5.1.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (बल्यू) की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं को नगरपालिका कार्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। अग्निशमन सेवाओं का मुख्य कार्य अग्नि से जान एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना, बचाव कार्यों का संचालन करना, अग्नि सुरक्षा के संबंध में शिक्षा प्रदान करना तथा लोक जागृति उत्पन्न करना है। नगरपालिका निकायों का स्वयं एवं राज्य सरकारों का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक उपकरणों (gadgets) एवं तकनीकों के साथ लैस करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें तथा अपने क्षेत्राधिकार में नागरिकों की जान एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक विभिन्न कदम उठाए। मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय अग्निशमन दल की स्थापना एवं रख रखाव तथा अग्नि को बुझाने तथा उसको रोकने के लिए व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी है।

2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं की स्थापना एवं प्रबंधन की जांच लेखापरीक्षा द्वारा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या अग्निशमन सेवाओं के लिए पर्याप्त अधोसंरचना, उचित आयोजना, निधियों के पर्याप्त आवंटन तथा उचित निगरानी के साथ उपलब्ध थी। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच के लिए सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति से भोपाल नगरपालिक निगम, जबलपुर नगरपालिक निगम, चार नगरपालिका परिषदों¹ तथा चार नगर परिषदों² का चयन किया गया था। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा क्रियाविधि पर चर्चा करने के लिए 17 मार्च 2016 को नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अपर आयुक्त के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अपर आयुक्त के साथ निर्गम सम्मेलन 6 जनवरी 2017 को किया गया था। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.2 आयोजना

5.1.2.1 अग्निशमन सेवाओं के प्रबंधन के लिए व्यापक आयोजना तैयार नहीं की गई

अग्निशमन सेवाओं में कमियों में सुधार को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में अग्निशमन सेवाओं के तीव्र विकास हेतु अग्निशमन उपकरणों के मानकीकरण के साथ भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति का गठन किया था (1955)। देश में अग्निशमन सेवाओं के पुनर्निर्माण तथा मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अग्निशमन सेवाओं के लिए मानदण्ड,

¹ चन्द्रेरी (जिला अशोकनगर), मलाजखण्ड (बालाघाट), मण्डीदीप (रायसेन) तथा सनावद (खरगोन)

² बानमोर (मुरैना), चान्दला (छतरपुर), खिरकिया (हरदा) तथा शाहपुर (बुरहानपुर)

उपकरणों के प्रकार तथा प्रशिक्षण पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे (अप्रैल 2012) जिसका पालन समस्त राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों द्वारा नियोजित तथा फोकस्ड तरीके से किया जाना था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्देशिका 2012 की कंडिका 3.3 के अनुसार, राज्य सरकार को स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर संपूर्ण राज्य के लिए उपकरणों एवं अमले की कुल आवश्यकता ज्ञात करते हुए एक संपूर्ण योजना तैयार करना थी। आवश्यक अग्निशमन केन्द्रों (फायर स्टेशनों) तथा वाहनों के प्रकार एवं संख्या की गणना की जानी थी। आवश्यकता को अंतिम रूप देने के पश्चात यह जांच करना था कि नगरीय स्थानीय निकायों को प्रदत्त तेरहवें वित्त आयोग अनुदान से कितनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था तथा शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर अगले पांच वर्षों (2012–17) के लिए राज्य आयोजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग को अनुमति हेतु प्रस्तुत करना था।

राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवाओं के प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की थी

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्देशिका 2012 में वाचित अनुसार कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की थी। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान जारी करते समय यह निर्देश दिए गए थे कि यदि अग्निशमन वाहन उपलब्ध न हो तो अनुदान में से प्राथमिकता के आधार पर अग्निशमन वाहन क्रय किए जाए। इस प्रकार, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान जारी करने के पूर्व राज्य स्तर पर अग्निशमन वाहनों की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए 11 नगरीय स्थानीय निकायों में 14 अग्निशमन वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु दिसंबर 2016 में आदेश जारी किए गए थे एवं शेष आवश्यकता की पूर्ति बजट की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। नगरीय स्थानीय निकायों के लिए “आदर्श कार्मिक संरचना” (Ideal Personnel Structure) प्रकाशित की जा चुकी थी एवं “आदर्श कार्मिक संरचना” के अनुसार नियुक्तियां करने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा व्यापक योजना तैयार करने तथा 2012–17 के दौरान राज्य आयोजना में संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु अनुमानित धनराशि की आवश्यकता योजना आयोग को सूचित किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

5.1.2.2 अग्निशमन सेवाओं के प्रबंधन के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा विनियम नहीं बनाए गए

मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 353 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयुक्त, (अ) अग्निशामक दलों के व्यक्तियों के प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सदाचरण के लिए, (ब) अग्नि संकट सूचना के अवसर पर इंजनों, अग्नि सोपानों तथा समस्त आवश्यक उपकरणों सहित उनकी त्वरित उपस्थिति के लिए, (स) उक्त अग्निशामक दल को साधारणतः कार्यक्षम दशा में बनाए रखने के लिए और (द) अग्नि-कांडों की रिपोर्टों की प्रस्तुति के लिए, प्रबंधन नियम बनाएगा। आगे, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 358(3)(के) के अनुसार आग लगने की दशा में बाहर निकलने के साधन, अग्नि से बचाव मार्गों और ऊपर जल छढ़ाने की युक्तियों की व्यवस्था के लिए नगरपालिका परिषद उपविधियां बना सकती है।

किसी भी चयनित
नगरीय स्थानीय
निकायों द्वारा
अग्निशमन सेवाओं
को नियंत्रित करने
हेतु विनियम/
उपविधियाँ नहीं
बनायी गयी

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों ने अग्निशमन सेवाओं को नियंत्रित करने हेतु उनके संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियम/उपविधियाँ नहीं बनाई थी। शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देशित किया जाएगा।

संबंधित अधिनियमों में प्रावधानों के बाद भी अग्निशमन सेवाओं के लिए विनियम/उपविधियाँ बनाने में नगरीय स्थानीय निकायों के विफल रहने से अग्निशमन सेवाओं के प्रबंधन में कमी रही जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

5.1.2.3 अग्नि अधिनियम का अधिनियमन न किया जाना

स्थायी अग्नि सलाहकार समिति ने एक अग्निशमन बल विधेयक का मसौदा तैयार किया था जिसे भारत सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को उनकी विधायिका द्वारा अधिनियमन के लिए प्रेषित किया (अक्टूबर 1958) गया था। सम्पूर्ण देश में अग्नि की बढ़ती असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश 2012 में यह उल्लेख किया गया था कि ऐसे राज्यों, जिन्होंने स्वयं का अग्निशमन अधिनियम नहीं बनाया था उन्हें एक वर्ष के भीतर तत्काल एक उपयुक्त अग्निशमन अधिनियम बनाना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा
स्वयं का अग्निशमन
अधिनियम
अधिनियमित नहीं
किया गया

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने स्वयं का अग्निशमन अधिनियम नहीं बनाया था। अग्निशमन सेवाओं को नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संगठित किया जा रहा था। तथापि, संबंधित नगरपालिका अधिनियम में निम्नलिखित आवश्यक प्रावधान नहीं किए गए थे जो नमूना अग्नि विधेयक में शामिल थे जैसे :

- अग्निशमन सेवा कर्मियों द्वारा कर्तव्यों के उल्लंघन, किसी व्यक्ति द्वारा आग लगाने की जानकारी सूचित करने में विफल रहना, आग लगाने की गलत सूचना देने के लिए शास्ति एवं सजा; तथा,
- सम्पत्ति के मालिक, जिनकी संपत्ति में जानबूझकर अथवा लापरवाही के कारण आग लगी है, अन्य व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है, को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का उत्तरदायित्व।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि भारत सरकार द्वारा आदर्श अग्नि विधेयक के मसौदे पर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे। आदर्श अग्नि सुरक्षा अधिनियम को अंतिम रूप देने के उपरांत अधिनियमों/नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश 2012 में किए गए उल्लेख के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अग्नि अधिनियम का अधिनियमन नहीं किया गया जिसे एक वर्ष के अंदर अधिनियमित किया जाना था।

5.1.2.4 अग्निशमन सेवाएं नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किया जाना

संविधान (74वां संशोधन अधिनियम), 1992 के अनुसार अग्निशमन सेवाओं को शामिल करते हुए 18 कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) जिसे 12वीं अनुसूची के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंपे जाने थे। राज्य सरकार द्वारा 12वीं अनुसूची में दर्शित समस्त कार्य नगरीय स्थानीय निकायों को सौंप दिए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य में अग्निशमन सेवाएं नगरपालिकाओं द्वारा दी जा रही थी। तथापि, इंदौर, भोपाल के चार भवन (वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विध्याचल भवन तथा विधान सभा भवन) तथा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर (जिला धार) तथा मालनपुर (जिला भिण्ड) में अग्निशमन सेवाएं पुलिस अग्निशमन सेवा द्वारा ही दी

जा रही थी। परिणामस्वरूप, छह अग्निशमन केन्द्र, 90 अग्निशमन वाहन तथा 253 कर्मचारी अभी भी पुलिस से नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि अग्निशमन सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु गृह विभाग को अनुरोध किया गया था।

5.1.3 वित्तीय लागत

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि नगरीय स्थानीय निकायों को प्रदत्त अनुदान का एक भाग उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं के पुर्ननिर्माण पर व्यय किया जाए। नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटन हेतु राज्य सरकार को 2010–16 की अवधि के दौरान तेरहवें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में राशि ₹ 1,325.30 करोड़ प्राप्त हुए थे। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 168.11 करोड़ जारी किये गए थे। तथापि, नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं के लिए पृथक से निधियों का आवंटन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों को अग्निशमन सेवाओं के लिए राज्य अनुदान के रूप में ₹ 8.50 करोड़ जारी किए गए थे। नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान, राज्य अनुदान की प्राप्त राशि तथा अग्निशमन सेवाओं पर 2010–16 के दौरान किए गए व्यय का विवरण **तालिका-5.1** में दर्शित अनुसार था।

तालिका-5.1: 2010–16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान, राज्य अनुदान की प्राप्त राशि तथा अग्निशमन सेवाओं पर किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	तेरहवां वित्त आयोग अनुदान		राज्य अनुदान	
	कुल प्राप्त	अग्निशमन सेवाओं पर व्यय (प्रतिशत)	अग्निशमन सेवा के लिए प्राप्त	अग्निशमन सेवाओं पर व्यय
भोपाल नगरपालिक निगम	91.08	1.24 (1)	6.05	0.55
जबलपुर नगरपालिक निगम	65.47	1.31 (2)	0.55	0.55
नगरपालिका परिषद चन्द्रेरी	1.8	0.13 (7)	0.33	0
नगरपालिका परिषद मलाजखण्ड	1.47	0	0.33	0
नगरपालिका परिषद मण्डीदीप	2.8	0.65 (23)	0.33	0
नगरपालिका परिषद सनावद	1.76	0.04 (2)	0.33	0
नगर परिषद बानमोर	1.02	0	0.33	0.25 (75)
नगर परिषद चान्दला	0.76	0	0.25	0.12 (48)
नगर परिषद खिरकिया	1.01	0	0	0
नगर परिषद शाहपुर	0.94	0	0	0
योग	168.11	3.37	8.50	1.47

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकायों से एकत्रित जानकारी)

अग्निशमन सेवाओं पर तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग केवल एक से सात प्रतिशत किया गया था

जैसा कि **तालिका-5.1** से स्पष्ट है कि पांच नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के विरुद्ध अग्निशमन सेवाओं पर कोई व्यय नहीं किया। शेष पांच नगरीय स्थानीय निकायों, नगरपालिका मण्डीदीप को छोड़कर, व्यय केवल एक से सात प्रतिशत था। इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकायों ने तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा, नगरीय स्थानीय निकायों को प्रदत्त अनुदान का एक भाग उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं के पुर्ननिर्माण पर व्यय किया जाए, का पालन नहीं किया। आगे, अग्निशमन सेवाओं के लिए जारी राज्य अनुदान का 83 प्रतिशत

(₹ 7.03 करोड़) अगस्त 2016 तक सात नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में अवरुद्ध था।

नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 2011–16 के दौरान सामान्य अग्नि कर (समेकित कर का भाग³) के रूप में ₹ 30.29 करोड़ वसूल किए गए जो नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं के संचालन एवं प्रबंध के लिए राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना (अप्रैल 1997) के अनुसार अधिरोपित किए गए थे। 2011–16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के बजट में निधियों के प्राक्कलन एवं अग्निशमन सेवाओं पर किए गए व्यय का विवरण **तालिका 5.2** के अनुसार था।

तालिका—5.2: 2011–12 से 2015–16 के दौरान अग्निकर, बजट अनुमान एवं अग्निशमन सेवाओं पर किए गए व्यय का विवरण

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	बजट अनुमानों में अग्निशमन सेवाओं पर व्यय के लिए प्रावधान	सामान्य अग्निकर की वसूली	(₹ करोड़ में) बजट अनुमान के विरुद्ध अग्निशमन पर वास्तविक व्यय (व्यय का प्रतिशत)
भोपाल नगरपालिक निगम	15.46	19.82	6.87 (44)
जबलपुर नगरपालिक निगम	28.04	9.75	3.30 (11)
नगरपालिका परिषद चन्द्रेंग	0	0.17	0.01
नगरपालिका परिषद मलाजखण्ड	0.38	0.13	0.13 (34)
नगरपालिका परिषद मण्डीदीप	0.40	0.15	0.11 (27)
नगरपालिका परिषद सनावद	0.69	0.10	0.64 (92)
नगर परिषद बानमोर	0	0.03	0.24
नगर परिषद चान्दला	0.68	0.01	उपलब्ध नहीं
नगर परिषद खिरकिया	0.40	0.08	0.01 (2)
नगर परिषद शाहपुर	0.04	0.05	0.02 (50)
योग	46.09	30.29	11.33

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदाय जानकारी)

इस प्रकार, नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों (नगरपालिका परिषद, सनावद को छोड़कर) में बजट अनुमानों के विरुद्ध अग्निशमन पर किया गया व्यय केवल दो से 50 प्रतिशत था। उक्त नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किए गए अग्नि कर का भी उपयोग नहीं किया जा सका जबकि उक्त नगरीय स्थानीय निकायों में अग्निशमन के प्रबंध के लिए अधोसंरचना की गंभीर रूप से कमी थी।

भोपाल नगरपालिक निगम ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि नगर पालिका क्षेत्र में अग्निशमन की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध संसाधन पर्याप्त थे इसलिए तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग अन्य आधारभूत सेवाओं पर किया गया था। जबलपुर नगरपालिक निगम ने बताया (फरवरी 2016) कि तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग अधोसंरचना मदों पर किए जाने के कारण अग्निशमन सेवाओं पर आवश्यक सुधार नहीं किया जा सका था। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सनावद द्वारा बताया गया (जून 2016) कि प्राप्त राज्य अनुदान को नगरपालिका निधि में रखा गया था। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद बानमोर ने बताया (मई 2016) कि अग्निशमन सेवाओं पर उपलब्ध निधियों का उपयोग नगरपालिका परिषद के अनुमोदन से किया जाएगा।

³

स्वच्छता कर, प्रकाश कर तथा अग्निकर

नगरपालिक निगम भोपाल का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम में अग्निशमन सेवाओं के लिए उपलब्ध अग्निशमन केन्द्र, उपकरण तथा अमला, अग्निशमन आयोजना में बताई गई आवश्यकता से बहुत कम था जिसकी चर्चा कंडिका—5.1.4.4 में की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग अग्निशमन वाहन (यदि उपलब्ध न हो) को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया था एवं उसके पश्चात शेष अनुदान का उपयोग जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, झुग्गियों में अधोसंरचना, मलजल एवं निकासी तथा सड़क निर्माण पर किया जाना था तथा अग्निकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग अग्निशमन पर किया जाना सुनिश्चित करने हेतु आदेश भी जारी किए गए थे (जनवरी 2017)।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का एक भाग अग्निशमन सेवाओं के उपयोग के लिए अलग से नहीं रखा गया जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी। आगामी पांच वर्षों में राज्य आयोजना में निधियों की मांग के लिए संपूर्ण राज्य के लिए उपकरणों एवं अमले की आवश्यकता की गणना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, राज्य में अग्निशमन सेवाएं सुदृढ़ नहीं हो सकी तथा आधारभूत आवश्यकताओं जैसे अग्निशमन केन्द्र, आवश्यक उपकरण तथा अमले की व्यापक कमी रही।

5.1.4 अधोसंरचना तथा अग्निशमन प्रबंधन

5.1.4.1 अग्निशमन केन्द्रों की अपर्याप्ति संख्या

किसी भी अग्निशमन सेवाओं की संचालन दक्षता मुख्यतः उस सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसकी सुरक्षा अग्निशमन केन्द्र द्वारा की जानी है, से संबंधित अग्निशमन केन्द्र के स्थान पर निर्भर करती है। स्थायी अग्नि सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी कि अग्निशमन केन्द्र जिला मुख्यालयों तथा समस्त अनुविभागीय मुख्यालयों पर स्थापित किया जाना चाहिए। यह भी अनुशंसा की गई थी कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, प्रत्येक 10.36 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए एक अग्निशमन केन्द्र होना चाहिए। स्थायी अग्नि सलाहकार समिति द्वारा अग्निशमन केन्द्र के प्रत्येक आवश्यक फीचर्स के लिए न्यूनतम परिमाप भी अनुशंसित किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर, नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अग्निशमन वाहन खुले में खड़े किए गए थे जो पानी के स्रोत से लगभग एक से दो किलोमीटर दूर थे।

भोपाल नगरपालिक निगम में 285 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए आवश्यक 28 अग्निशमन केन्द्रों के विरुद्ध केवल 10 अग्निशमन केन्द्र थे। 10 अग्निशमन केन्द्रों में से केवल 4 अग्निशमन केन्द्र⁴ आच्छादित भवनों में स्थापित किए गए थे। तथापि, उपकरण कक्ष, निगरानी कक्ष, भंडार कक्ष इत्यादि का परिमाप न्यूनतम अनिवार्य परिमाप जो स्थायी अग्नि सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था, से कम था जिसका विवरण परिशिष्ट—5.1 में दर्शित है। आगे, स्थायी अग्नि सलाहकार समिति की अनुशंसा, प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र में कम से कम एक जलस्रोत होना चाहिए, के बावजूद जलस्रोत (वाटर हाईड्रेंट) केवल दो अग्निशमन केन्द्रों में स्थापित थे। शेष आठ अग्निशमन केन्द्रों के लिए जलस्रोत अग्निशमन केन्द्रों से एक से तीन किलोमीटर दूर स्थापित थे।

⁴ छोला, गोविंदपुरा, पुलबोगदा तथा संत हिरदाराम नगर



अग्निशमन केन्द्र, कोलार, भोपाल
(अग्निशमन वाहन पार्किंग स्थल पर रुकावट)



मुख्य अग्निशमन केन्द्र, जबलपुर
(अग्निशमन वाहन खुले में रखे हुए)

आगे, जबलपुर नगरपालिक निगम में, 122.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने के लिए आंकलित किए गए 11 अग्निशमन केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध, दो अग्निशमन केन्द्र थे (एक मुख्य अग्निशमन केन्द्र तथा एक उप अग्निशमन केन्द्र)। मुख्य अग्निशमन केन्द्र द्वारा लगभग 87 प्रतिशत क्षेत्र कवर किया जा रहा था। आगे, अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना हेतु नौ विभिन्न स्थानों पर भूमि का आरक्षण किया गया था (जुलाई 2007) तथा 2011–12 से 2014–15 की अवधि के बजट अनुमानों में भी अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि अग्निशमन केन्द्रों से पांच किलोमीटर एवं इससे अधिक दूरी पर 26 आग लगने की घटनाएं हुईं जिसमें ₹ 2.90 करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान हुआ था। तथापि, जबलपुर नगरपालिक निगम मार्च 2016 तक नए अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने में विफल रहा था।

नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2016 से अगस्त 2016) कि निधियों की कमी के कारण आवश्यक अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकी थी। निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया कि भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को अग्नि कर राजस्व का अग्निशमन सेवाओं पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी (जनवरी 2017) किए गए थे।

5.1.4.2 आवश्यक उपकरण

स्थायी अग्नि सलाहकार समिति ने प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरण जैसे दो अग्निशमन वाहन पंप (न्यूनतम 2700 लीटर पानी ले जाने वाले), एक अतिरिक्त भारी अग्निशमन वाहन (न्यूनतम 9000 लीटर पानी ले जाने वाले) तथा एक एम्बुलेन्स अनुशंसित किए थे। भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम के अग्निशमन केन्द्रों में उपलब्ध आवश्यक उपकरणों का विवरण तालिका-5.3 में दिए अनुसार था।

तालिका-5.3: भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम के अग्निशमन केन्द्रों में उपलब्ध आवश्यक उपकरणों का विवरण

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	अग्निशमन केन्द्रों की संख्या	अग्निशमन वाहन पंप		भारी अग्निशमन वाहन		एम्बुलेन्स	
	उपलब्ध	आवश्यक	उपलब्ध	आवश्यक	उपलब्ध	आवश्यक	उपलब्ध
भोपाल नगरपालिक निगम	10	20	20	10	निरंक	10	निरंक
जबलपुर नगरपालिक निगम	02	04	08	02	01	02	निरंक
योग	12	24	28	12	01	12	निरंक

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

इस प्रकार, भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम में 11 भारी अग्निशमन वाहन तथा 12 एम्बूलेंसों की कमी थी। आगे, शेष नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र न होने के कारण आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया जा सका था।

नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों ने उत्तर में बताया (फरवरी से अगस्त 2016) कि निधियों की कमी के कारण उपकरण क्रय नहीं किए जा सके थे। निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि अग्निशमन वाहन का क्रय प्रक्रियाधीन था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नगरीय स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में अग्निशमन सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए वसूल किए गए अग्निकर का उपयोग करने में असफल रहे थे।

5.1.4.3 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

अग्निशामक अत्यधिक परिवर्तनशील वातावरण में होते हैं जिसमें उच्चस्तरीय तापमान तथा संवहनी तथा विकरित उष्णीय प्रभाव सम्मिलित है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 16 प्रकार के विभिन्न व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसा कि **परिशिष्ट-5.2** में वर्णित है, निर्धारित किए थे। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नगरपालिका सनावद तथा नगर परिषद चान्दला, खिरकिया तथा शाहपुर में व्यक्तिगत सुरक्षा के कोई उपकरण उपलब्ध नहीं थे। आगे, शेष नगरीय स्थानीय निकायों में मात्र दो से आठ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि बजट की उपलब्धता के आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्रय करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार/नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सुरक्षा उपकरणों के क्रय करने के संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

5.1.4.4 अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना का क्रियान्वयन न होना

कंडिका 10.161 के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या (जनगणना 2001) वाले सभी नगरपालिक निगमों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए अग्नि खतरे पर प्रतिक्रिया तथा कमी की आयोजना करना (fire hazard response And mitigation plan) तथा उसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य था।

भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम, जिनकी जनसंख्या (जनगणना 2001) क्रमशः 14.58 लाख तथा 10.76 लाख थी, द्वारा अवधि 2010–15 के लिए अग्नि खतरे पर प्रतिक्रिया तथा कमी की आयोजना (इसके पश्चात अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना) तैयार की थी जिसे राजपत्र में दो भागों (पूंजीगत निवेश आयोजना तथा मानव संसाधन प्रबंधन) में प्रकाशित किया गया था (फरवरी 2011)। अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी।

- भोपाल नगरपालिक निगम में अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना का क्रियान्वयन**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश के अनुसार भोपाल नगरपालिक निगम की अधोसंरचना एवं उपकरण की आवश्यकता पर आधारित पूंजीगत निवेश आयोजना ₹ 323 करोड़ की थी। पूंजीगत निवेश आयोजना में एक नगर स्तरीय मुख्यालय, चार खण्डीय मुख्यालय, एक प्रशिक्षण केन्द्र, 28 अग्निशमन केन्द्रों तथा 246 अग्नि उपकरणों की आवश्यकता समाहित थी। मानव संसाधन प्रबंधन आयोजना में अग्निशमन सेवाओं के

लिए 491 पद (सामान्य मानव शक्ति हेतु 44 पद तथा उपकरणों के संचालन हेतु 447 पद) की आवश्यकता सम्मिलित थी।

भोपाल नगरपालिक निगम को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2010–16 के दौरान ₹ 91.08 करोड़ प्राप्त हुए थे जबकि पूंजीगत निवेश आयोजना में प्रस्तावित मदों के विरुद्ध अग्निशमन सेवा पर व्यय मात्र ₹ 1.24 करोड़ (एक प्रतिशत) था। आगे, 22 अग्निशमन केन्द्रों की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध केवल पांच अग्निशमन केन्द्रों⁵ की स्थापना की गई थी तथा प्रस्तावित 213 उपकरणों के विरुद्ध 2011–16 के दौरान 14 उपकरणों⁶ की अधिप्राप्ति की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि नगर स्तरीय मुख्यालय, खण्डीय मुख्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु कोई पहल नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मानव संसाधन प्रबंधन आयोजना में प्रस्तावित 417 पदों⁷ की आवश्यकता के विरुद्ध अग्निशमन कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या केवल 176 थी तथा 156 कर्मचारी वास्तविक रूप से अग्निशमन सेवा हेतु पदस्थ किए गए थे। तथापि, भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा 2011–16 के दौरान अमले की भर्ती हेतु कोई पहल नहीं की गई थी।

- **जबलपुर नगरपालिक निगम में अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना का क्रियान्वयन**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश 2012 के अनुसार जबलपुर नगरपालिक निगम की अधोसंरचना एवं उपकरणों की आवश्यकता पर पूंजीगत निवेश आयोजना ₹ 137.85 करोड़ आधारित थी जिसमें एक मुख्यालय, दो खण्ड, 11 अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना एवं 39 अग्नि उपकरणों की आवश्यकता समाहित थी। मानव संसाधन प्रबंधन में अग्निशमन सेवाओं के लिए 550 पदों (सामान्य मानव शक्ति हेतु 243 पद, कार्यालय आवश्यकता हेतु 89 पद तथा उपकरणों के क्रियान्वयन हेतु 218 पद) की आवश्यकता सम्मिलित थी।

जबलपुर नगरपालिक निगम को 2011–16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के रूप में राशि ₹ 65.47 करोड़ प्राप्त हुए थे तथा निगम द्वारा अग्निशमन सेवा पर मात्र ₹ 1.31 करोड़ (दो प्रतिशत) का व्यय किया गया था। तथापि, 11 अग्निशमन केन्द्रों के नियोजन के बावजूद कोई अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था। आगे, मानव संसाधन प्रबंधन आयोजना में प्रस्तावित 373⁸ पदों के विरुद्ध अग्निकर्मियों के 187 पद संस्वीकृत थे तथा अग्निशमन सेवा में केवल 85 कर्मचारी पदस्थ थे।

इस प्रकार, भोपाल नगरपालिक निगम में ₹ 91.08 करोड़ तथा जबलपुर नगरपालिक निगम में ₹ 65.47 करोड़ तेरहवें वित्त आयोग अनुदान उपलब्ध होने के बावजूद दोनों नगरपालिक निगमों में अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा बताया गया (अगस्त 2016) कि अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना, भूमि एवं पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के कारण, क्रियान्वित नहीं की जा सकी। जबलपुर नगरपालिक निगम

⁵ अग्निशमन केन्द्र गांधीनगर, गोविंदपुरा, इब्राहिमपुरा, आईएसबीटी तथा माता मंदिर

⁶ एक फोम वाहन, एक अग्निशमन वाहन, एक राहत वैन तथा ग्यारह अग्निशमन बुलैट

⁷ मुख्य अग्निशमन अधिकारी (01), अग्निशमन अधिकारी (04), सहायक अग्निशमन अधिकारी (10), मुख्य अग्निकर्मी (288) तथा अग्निकर्मी (114)

⁸ मुख्य अग्निशमन अधिकारी (04), अग्निशमन अधिकारी (02), सहायक अग्निशमन अधिकारी (04), मुख्य अग्निकर्मी (97) तथा अग्निकर्मी (266)

ने बताया (फरवरी 2016) कि इस उद्देश्य हेतु अतिरिक्त अनुदान प्राप्त न होने के कारण आयोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

दोनों नगरीय स्थानीय निकायों के उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि वे उपलब्ध निधि का भी उपयोग अग्निशमन सेवा के लिए नहीं कर सके थे। निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि नगरीय निकायों को अग्निकर कर राजस्व एवं अग्निशमन सेवाओं में क्षमता वृद्धि हेतु प्रदाय अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे (जनवरी 2017)।

5.1.4.5 अग्निशमन कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर्स का आवंटन

स्थायी अग्नि सलाहकार समिति के अनुशंसा के अनुसार सभी अग्निशमन कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर्स का आवंटन अग्निशमन केन्द्र परिसर में किया जाना चाहिए ताकि उनकी उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जा सके।

85 स्टाफ क्वार्टर्स में से केवल 24 स्टाफ क्वार्टर्स अग्निकर्मियों को आवंटित किए गए थे

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम के 12 अग्निशमन केन्द्रों में से मात्र चार अग्निशमन केन्द्रों⁹ के परिसर में स्टाफ क्वार्टर्स थे। इस प्रकार, आठ अग्निशमन केन्द्रों के परिसर में स्टाफ क्वार्टर्स उपलब्ध नहीं थे जबकि इन अग्निशमन केन्द्रों में 81 अग्निशमन कर्मचारियों की पदस्थापना थी। आगे, चार अग्निशमन केन्द्रों के परिसर में 85 स्टाफ क्वार्टर्स उपलब्ध थे जबकि इन अग्निशमन केन्द्रों में 160 अग्नि कर्मियों की पदस्थापना थी। तथापि, मात्र 24 स्टाफ क्वार्टर्स (28 प्रतिशत) अग्निशमन कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे एवं शेष 61 क्वार्टर्स नगरपालिक निगम के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों को आवंटित किए गए थे। चार अग्निशमन केन्द्रों के परिसर में स्टाफ क्वार्टर्स की उपलब्धता तथा अग्निशमन कर्मचारियों को आवंटन का विवरण तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका—5.4: उपलब्ध एवं आवंटित स्टाफ क्वार्टर्स का विवरण

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	अग्निशमन केन्द्रों की संख्या	पदस्थ कर्मियों की संख्या	अग्निशमन केन्द्रों के परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टर्स की संख्या	अग्नि कर्मियों को आवंटित स्टाफ क्वार्टर्स	अन्य को आवंटित स्टाफ क्वार्टर्स
भोपाल नगरपालिक निगम	03	77	32	15	17
जबलपुर नगरपालिक निगम	01	83	53	09	44
योग	04	160	85	24	61

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकायों से एकत्रित जानकारी)

भोपाल नगरपालिक निगम ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि स्टाफ क्वार्टर्स बहुत पहले से ही आवंटित है तथा भविष्य में इस संबंध में विचार किया जाएगा। जबलपुर नगरपालिक निगम ने उत्तर में बताया (फरवरी 2016) कि अग्नि कर्मियों को उनकी मांग पर प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ क्वार्टर्स आवंटित किए गए थे। निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि अग्निकर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ क्वार्टर्स आवंटित करने के निर्देश जारी (जनवरी 2017) किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम अग्निशमन केन्द्रों में स्थित स्टाफ क्वार्टर्स सभी अग्नि कर्मियों को उनकी हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवंटित करने में असफल रहे थे।

5.1.4.6 अग्नि की सूचना तथा प्रतिक्रिया का समय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश, 2012 की कंडिका 2.5 के अनुसार अग्निशमन केन्द्र की स्थापना इस प्रकार होना चाहिए कि अग्निशमन कर्मचारी एवं

⁹

भोपाल (फतेहगढ़, पुलबोगदा, संतहिरदाराम नगर), जबलपुर (निगम परिसर)

उपकरण संबंधित अग्निशमन केन्द्र के अंतर्गत किसी भी भाग में 3 से 5 मिनिट में नगरीय क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनिट में पहुंच जाए।

किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अग्नि सूचनाओं पर प्रतिक्रिया का समय अभिलेखित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम ने 10,948 (क्रमशः 9,220 एवं 1,728) तथा अन्य नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों ने 919 (नगरपालिका परिषद 485 तथा नगर परिषद 434) अग्नि सूचनाओं पर कार्यवाही की थी। तथापि, किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया का समय अभिलेखित नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रतिक्रिया का समय दर्शाने वाले अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में अग्निशमन सेवाओं की दक्षता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को स्थायी अग्नि सलाहकार समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रतिक्रिया समय अभिलेखित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे (जनवरी 2017)।

5.1.4.7 अग्नि की रोकथाम के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की अपेक्षाओं का पालन न किया जाना

स्थायी अग्नि सलाहकार समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक जनसंग्रह वाले स्थानों के लिए अग्निशमन सेवाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा ऐसे स्थानों पर अग्नि सुरक्षा के उपायों के लिए भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड में निहित प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाए। राज्य सरकार ने भूमि विकास अधिनियम 2012 में यह प्रावधान किया कि 12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों में नेशनल बिल्डिंग कोड द्वारा निर्धारित अग्निशमन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार भवनों में अग्निशमन उपकरण स्थापित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को राज्य अग्नि प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य अग्नि प्राधिकारी द्वारा अग्नि आयोजना, लै-आउट आयोजना तथा नगरीय स्थानीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों आदि द्वारा जारी भवन अनुज्ञा के आधार पर भवनों के लिए अनंतिम प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किए गए थे कि भवनों में अग्निशमन उपकरण स्थापित किए जाने की सूचना आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी ताकि आवश्यक सत्यापन कर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अधिभोग अनुज्ञाप्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य अग्नि प्राधिकारी द्वारा बिना वैधता अवधि उल्लेखित करते हुए 517 अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इन अनंतिम अनुमति के प्रकरणों में से केवल 130 प्रकरणों (25 प्रतिशत) में अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। शेष 387 प्रकरणों में अग्निशमन उपकरण स्थापित किए जाने की सूचना राज्य अग्नि प्राधिकारी के पास उपलब्ध (अगस्त 2016) नहीं थी।

नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2011–16 के दौरान में भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा 153 तथा जबलपुर नगरपालिक निगम द्वारा 41 भवन अनुज्ञा इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि भवनस्वामी को राज्य अग्नि प्राधिकारी से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना था। तथापि, भवन अनुज्ञा के 194 प्रकरणों में से मात्र 19 प्रकरणों (10 प्रतिशत) में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। 17 प्रकरणों में अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा शेष 177 प्रकरणों में संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों अथवा राज्य अग्नि प्राधिकारी द्वारा अग्निशमन तंत्र की स्थापना की स्थिति सत्यापित नहीं की गई थी।

भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम ने उत्तर में बताया (जून 2016 एवं फरवरी 2016) कि भवन अनुज्ञा जारी करते समय भवन स्वामियों को

यह निर्देशित किया गया था कि वे राज्य अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि नगरीय निकायों द्वारा जारी किए गए भवन अनुज्ञा संबंधी जानकारी राज्य अग्नि प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी थी। अतः अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल उन प्रकरणों में जारी किया गया जिसमें भवन स्वामियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, राज्य अग्नि प्राधिकारी तथा नगरपालिका प्राधिकारियों के शिथिलतापूर्ण रवैये के कारण भवनों में अग्नि उपकरणों के संस्थापन के संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.1.4.8 जन जागरूकता कार्यक्रम

अग्नि की रोकथाम के लिए जन जागरूकता महत्वपूर्ण है इसलिए स्थायी अग्नि सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी कि जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें स्कूल तथा कॉलेजों में प्रचार, सिनेमाघरों में चलचित्र एवं स्लाईड्स का प्रदर्शन, प्रचार वाक्य लेखन प्रतियोगिता तथा अग्नि सप्ताह या अग्नि दिवस मनाना शामिल है।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि अग्नि की रोकथाम के लिए जबलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर, किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। नगरपालिक निगम जबलपुर द्वारा अग्नि दिवस (14 अप्रैल) मनाया गया तथा स्कूल एवं कॉलेजों में “अग्नि सुरक्षा फन पुस्तक” वितरित कर प्रचार किया गया था।


शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि अग्नि की रोकथाम के लिए जनजागरूकता हेतु एक अभियान चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे (जनवरी 2017)।

5.1.5 मानवशक्ति प्रबंधन तथा क्षमतावर्धन

5.1.5.1 अग्निशमन अमले की कमी

राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए आदर्श कार्मिक संरचना जारी की गई थी (फरवरी 2014) तथा नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 443 पदों की संस्वीकृति दी गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर, किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी/सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं थे। आगे, अग्निशमन कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी तथा केवल 285 अग्निशमन कर्मचारी (64 प्रतिशत) पदस्थ थे जैसा कि चार्ट-5.1 तथा परिशिष्ट-5.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.1 संस्वीकृत एवं वास्तविक रूप से पदस्थ अग्निशमन कर्मचारी



आगे, नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में पदस्थ 285 अग्निशमन कर्मचारियों में से केवल 94 अग्निशमन कर्मचारी (33 प्रतिशत) नियमित आधार पर थे तथा शेष 191 कर्मचारी या तो दैनिक वेतन पर थे अथवा संविदा आधार पर थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2011–16 के दौरान स्वीकृत पदों के विरुद्ध अग्निशमन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई थी केवल नगर परिषद चान्दला में तीन दैनिक वेतन कर्मचारियों का अग्नि कर्मचारी के पद पर नियमितिकरण किया गया था।

नगरपालिक निगम भर्ती एवं सेवा नियम 2000 के अनुसार, अग्नि कर्मचारी पद पर भर्ती केवल सीधी भर्ती पद्धति से की जानी थी तथा इसके लिए "अग्निशमन सेवाएं" में डिप्लोमा अनिवार्य अर्हता थी। स्थायी अग्नि सलाहकार समिति द्वारा शारीरिक स्वस्थ्यता के लिए शारीरिक मानक जैसे कि एक मिनिट में 10 पत्थर के वजन के साथ 100 गज की दौड़, तीन और चार चक्कर में लम्बवत स्थिति में हुक लेडर को उठाना, जमीन स्तर से आठ से 10 फुट ऊंचे लम्बवत स्थित रस्से पर चढ़ना आदि की भी अनुशंसा की गई थी। तथापि, किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अग्निशमन कर्मचारियों की शारीरिक स्वस्थ्यता कभी भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि अमले की भर्ती नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा की जानी थी। तथापि, नगरीय स्थानीय निकायों को अग्निशमन कर्मचारियों की आवश्यक अर्हता एवं शारीरिक स्वस्थ्यता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे (जनवरी 2017)।

5.1.5.2 अग्निशमन अमले की क्षमतावर्धन सुनिश्चित न किया जाना

प्रशिक्षण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि समस्त अग्निशमन कर्मचारियों को उनके ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, शारीरिक स्वस्थ्यता, दूरदर्शिता तथा मानसिक सतर्कता के विकास हेतु आवश्यक अवसर प्रदान किए जाए। आगे, प्रत्येक राज्य में नए प्रवेशकर्ताओं एवं सेवा/पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी आपदा प्रबंधन के लिए क्षमतावर्धन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया था तथा 2010–15 के दौरान प्रत्येक प्रदेश को इस उद्देश्य हेतु ₹ 25 करोड़ आवंटित किए थे जिसका उपयोग अग्नि कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किया जाना था।

अग्नि कर्मचारियों के दक्षतावर्धन हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने राज्य में कोई अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया था। आगे, राज्य सरकार या नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 2011–12 से 2015–16 के दौरान अग्निशमन कर्मचारियों हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2017) कि अग्निशमन कर्मचारियों के लिए आवश्यक अर्हता तथा शारीरिक स्वस्थ्यता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गए थे (जनवरी 2017)।

5.1.6 अनुवीक्षण एवं अग्नि अभिलेखों का संधारण

अनुवीक्षण एवं
अभिलेखों के
संधारण हेतु कोई
अनुश्रवण तंत्र
विद्यमान नहीं था

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि अग्निशमन केन्द्रों/उपकरणों के आवधिक निरीक्षण तथा इसकी राज्य स्तर के साथ-साथ नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर रिपोर्टिंग हेतु कोई अनुवीक्षण तंत्र विद्यमान नहीं था। भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकाय में अग्नि सूचना पंजी संधारित नहीं की गई थी। तथापि, अग्निशमन सेवा की दक्षता आंकलित करने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे प्रतिक्रिया समय भोपाल नगरपालिक निगम एवं जबलपुर नगरपालिक निगम में अग्नि सूचना पंजी में अभिलिखित नहीं किया गया था। अग्नि सूचना पंजी में केवल हानि के कुछ प्रकरणों को अभिलिखित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (जनवरी 2017) शासन ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को प्रतिक्रिया समय तथा सम्पत्ति की हानि का अभिलेख रखने हेतु निर्देशित किया गया था।

5.1.7 निष्कर्षों का सारांश एवं अनुशंसाएं

- राज्य सरकार द्वारा अग्नि शमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश 2012, जिसमें अधिनियमन एक वर्ष के भीतर बनाया जाना था, के बावजूद राज्य में अग्नि अधिनियम का अधिनियमन नहीं किया गया था। नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अग्निशमन सेवाओं को नियंत्रित करने हेतु कोई विनियमन/उपविधियां तैयार नहीं की गई थी जैसा कि संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत निहित था। राज्य अग्नि प्राधिकारी तथा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड के मानदण्डों के अनुपालन में भवनों में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अनुशंसा: अग्निशमन सेवाओं को नियंत्रित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को विनियम/उपविधियां बनानी चाहिए।

शासन ने बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों को इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा।

- नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों ने अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उनके द्वारा वसूल किए गए अग्निकर की राशि का भी उपयोग नहीं किया था। राज्य आयोजना में निधियों की मांग हेतु संपूर्ण राज्य के लिए उपकरणों एवं अमले की आवश्यकता की गणना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, राज्य में अग्निशमन सेवाएं सुदृढ़ नहीं हो सकी तथा आधारभूत आवश्यकताओं जैसे अग्निशमन केन्द्रों, अनिवार्य उपकरण तथा मानवशक्ति की अत्यधिक कमी रही।

अनुशंसा: नगरीय स्थानीय निकायों को अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदानों के साथ—साथ उनके स्वयं के राजस्व का उपयोग भी अग्निशमन सेवाओं पर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा अनुशंसा के अनुसार सभी नगरीय स्थानीय निकायों को अग्नि कर राजस्व का उपयोग अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे। निधियों के अभाव में भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अग्निशमन में कमी दूर करने की आयोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम के अग्निशमन केन्द्र स्थायी अग्नि सलाहकार समिति के मानदण्डों के अनुसार लैस नहीं थे। अनिवार्य उपकरणों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्तता थी।

अनुशंसा: अग्निशमन सेवाओं में दक्षता सुधार के लिए स्थायी अग्नि सलाहकार समिति की अनुशंसा के अनुसार अग्निशमन केन्द्र तथा आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए भोपाल नगरपालिक निगम तथा जबलपुर नगरपालिक निगम को अग्निशमन केन्द्र तथा अग्निशमन उपकरणों के उन्नयन के लिए अग्निकर राजस्व का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- नगरीय स्थानीय निकायों के पास अग्निशमन कर्मियों की उल्लेखनीय कमी थी तथा अत्यधिक संख्या में रिक्तियां थी। 2011–16 के दौरान अग्निकर्मचारी के स्वीकृत पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं की गई थी। अग्निशमन सेवाओं के लिए पदस्थ 285 कर्मियों में से केवल 94 कर्मचारी (33 प्रतिशत) नियमित आधार पर कार्य कर रहे थे एवं शेष 191 कर्मचारी या तो दैनिक वेतन पर थे अथवा संविदा आधार पर थे। अग्निशमन कर्मचारियों की क्षमतावर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा न तो किसी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी न ही नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम / पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

अनुशंसा: नगरीय स्थानीय निकायों को अग्निशमन सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में अमले की पदस्थापना की जाना चाहिए। अग्निकर्मचारियों की आवश्यक अर्हता तथा शारीरिक स्वस्थ्यता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अग्नि कर्मचारियों की क्षमतावर्धन सुनिश्चित की जाना चाहिए।

शासन ने बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों को अग्निकर्मचारियों की अनिवार्य अर्हता तथा शारीरिक स्वस्थ्यता के लिए समय—समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- नमूना जांच की गई किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अग्नि सूचना पर कार्रवाई हेतु प्रतिक्रिया समय अभिलिखित नहीं किया गया था। अग्नि की रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे।

अनुशंसा: स्थायी अग्नि सलाहकार समिति की अनुशंसा अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को अग्निशमन सेवाओं की दक्षता पर निगरानी रखने के लिए

प्रतिक्रिया समय का निरीक्षण करना चाहिए। जन जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसाएं स्वीकार की गई।

- अग्निशमन केन्द्रों/उपकरणों के आवधिक निरीक्षण एवं इसकी रिपोर्टिंग हेतु राज्य स्तर के साथ—ही नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर कोई अनुवीक्षण व्यवस्था नहीं थी। अग्नि सूचना पंजी उपयुक्त रूप से संधारित नहीं की गई थी जिसके कारण अग्निशमन सेवाओं की दक्षता लेखापरीक्षा में आंकलित नहीं की जा सकी।

अनुशंसा: आवश्यक अभिलेख जैसे अग्नि सूचना पंजी उपयुक्त रूप से संधारित की जानी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसाएं स्वीकार की गई।

5.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

5.2.1 पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली

नगरपालिका परिषद, बदनावर, जिला धार द्वारा छह कॉलोनाईजरों से पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 78.82 लाख की कम वसूली की गई थी

मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाईजर का पंजीकरण, निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 के नियम 12 के अनुसार कॉलोनाईजर को कॉलोनी के आंतरिक विकास पर किए जाने वाले व्यय की अनुमानित लागत के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करानी होगी। नियमों में किए गए सशोधन (अप्रैल 2013) के अनुसार, कॉलोनी में आंतरिक विकास की लागत की गणना विभाग द्वारा प्रकाशित एकीकृत मानक अनुसूची दर के अंतर्गत प्रचलित दरों के आधार पर की जाएगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बदनावर, जिला धार के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (मई 2015) कि अप्रैल 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य नगरपालिका परिषद द्वारा छह कॉलोनाईजरों से ₹ 5.65 लाख की पर्यवेक्षण शुल्क एकत्रित की गई थी। एकीकृत मानक अनुसूची दरों या नजदीकी नगरपालिकाओं में प्रचलित दरों के अनुसार नगरपालिका परिषद द्वारा आंतरिक विकास लागत की गणना नहीं की गई थी। संबंधित कॉलोनाईजरों द्वारा प्रस्तुत प्राककलित लागत पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली हेतु स्वीकार्य की गई थी। तथापि, नजदीकी नगरपालिका (नगरपालिका निगम इंदौर¹⁰) में निर्धारित प्रचलित आंतरिक विकास की लागत को ध्यान में रखते हुए, इन छह प्रकरणों में पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 84.47 लाख निकाली गई थी (परिशिष्ट-5.4)। इस प्रकार, कॉलोनाईजरों से राशि ₹ 78.82 लाख पर्यवेक्षण शुल्क कम वसूली गई थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में, शासन ने बताया कि नगरपालिका परिषद, बदनावर को नियमों के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क वसूल करने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। नगरपालिका परिषद, बदनावर ने आगे अपने उत्तर में सूचित किया (फरवरी 2017) कि कॉलोनाईजरों से ₹ 78.82 लाख की वसूली हेतु नोटिस (सितम्बर 2016) जारी कर दिए गए थे।

¹⁰ नगरपालिका निगम, इंदौर के संकल्प दिनांक 06.01.2011 के अनुसार नगर निगम द्वारा कॉलोनी की आंतरिक विकास लागत ₹ 200 प्रति वर्ग फीट दर निर्धारित की गई थी।

तथ्य यह है कि नगरपालिका बदनावर संहितागत प्रावधानों के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क एकत्रित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 78.82 लाख की कम वसूली हुई।

5.2.2 शास्ति एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान

नगरपालिक निगम, उज्जैन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के संबंध में सांविधिक देय राशि को जमा करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप ₹ 65.55 लाख की शास्ति एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ई.पी.एफ. अधिनियम), जिसको संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, कारखानों एवं अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, जिसको केन्द्र सरकार द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता, कर्मचारी के वेतन से उसके अंशदान की कटौती करेगा जिसे वह स्वयं के अंशदान के साथ प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर निधि में जमा करेगा। अंशदान के भुगतान में चूक के मामले में नियोक्ता ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर शास्ति एवं ब्याज की अदायगी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। केन्द्र सरकार ने नगरपालिक निगम एवं नगरपालिका परिषद को ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत अंतर्निहित किए जाने हेतु अधिसूचित किया (जनवरी 2011)।

नगरपालिक निगम, उज्जैन के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (फरवरी 2015) कि नगरपालिक निगम ने अपने संविदा कर्मचारियों के संबंध में जनवरी 2011 से नवम्बर 2011 तक कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी 2011 से नवम्बर 2011 की अवधि के लिए ₹ 59.81 लाख के देय ई.पी.एफ. अंशदान का निर्धारण किया था (दिसम्बर 2013) और नगरपालिक निगम के बैंक खाते से सीधे वसूल किया था (जनवरी 2014)।

आगे, दिसम्बर 2011 से जुलाई 2013 तक की अवधि के लिए, यद्यपि नगरपालिक निगम द्वारा कर्मचारी अंशदान की कटौती की गई थी, परंतु ई.पी.एफ.ओ. में अंशदान को एक माह से 35 माह तक की देरी के साथ जमा किया गया था। जनवरी 2011 से नवम्बर 2011 के दौरान कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान को जमा करने की नगरपालिक निगम की विफलता एवं दिसम्बर 2011 से जुलाई 2013 के दौरान अंशदान को देर से जमा करने के कारण ई.पी.एफ.ओ. ने राशि ₹ 65.55 लाख की शास्ति एवं ब्याज (शास्ति ₹ 44.20 लाख + ब्याज ₹ 21.35 लाख) अधिरोपित किया था, जिसका नगरपालिक निगम द्वारा जून 2014 में भुगतान किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में, शासन ने बताया कि ई.पी.एफ. समय पर जमा करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे जिससे शास्ति एवं ब्याज से बचा जा सके।

इस प्रकार नगरपालिक निगम, उज्जैन द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 65.55 लाख की शास्ति एवं ब्याज की परिहार्य भुगतान का सृजन हुआ एवं सांविधिक देय राशि के भुगतान में चूक के लिए जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता थी।

5.2.3 आश्रय शुल्क की कम वसूली

नगरपालिक निगम रीवा में कॉलोनाईजरों से राशि ₹ 36.37 लाख आश्रय शुल्क वसूल नहीं की गई थी/कम वसूल की गई थी

मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाईजर का पंजीकरण, निबंधन एवं शर्त) नियम, 1998 के नियम 10 के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र में विकसित की जाने वाली प्रत्येक आवासीय भूखंड कॉलोनी में, कॉलोनाईजर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उतनी संख्या में भूखंड विकसित करेगा/निर्मित आवासीय इकाईयां उपलब्ध कराएगा जो उस कॉलोनी में अन्य आय वर्गों के लिए विकसित किए गए कुल भूखंडों की संख्या/आवासीय इकाईयों के 15 प्रतिशत के बराबर होगी। तथापि, ऐसा कॉलोनाईजर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय समूहों से संबंधित व्यक्तियों को भूखंड या आवासीय इकाई उपलब्ध कराने से छूट चाहता है उसे नियम 10(9) के अंतर्गत कुल आवासीय प्लॉटों के क्षेत्रफल या कुल निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, जैसा भी प्रकरण हो एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित प्रचलित दिशानिर्देश दरों के गुणन का 5 प्रतिशत की निर्धारित दर से आश्रय शुल्क का भुगतान करना होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय समूहों के लिए प्लॉट/आवासीय इकाईयों को आरक्षित करने एवं नियम 10(9) के अंतर्गत आश्रय शुल्क का भुगतान करने के अतिरिक्त, प्रत्येक कॉलोनाईजर को नियम 10(10) के अंतर्गत कुल अनुमत्य निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) एवं समूह आवास कॉलोनी के प्रकरण में ₹ 100 के गुणन से प्राप्त उत्पाद के बराबर आश्रय शुल्क जमा करानी होगी।

नगरपालिक निगम रीवा के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2015) कि आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए अनुमति के चार प्रकरणों में, मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाईजर का पंजीकरण, निबंधन एवं शर्त) नियम, 1998 के नियम 10(10) के अंतर्गत ₹ 28.68 लाख की आश्रय शुल्क वसूल नहीं की गई थी/कम वसूल की गई थी। इन अनुमतियों में से एक कॉलोनाईजर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय समूहों से संबंधित व्यक्तियों को आवासीय इकाईयां उपलब्ध कराने से छूट प्राप्त कर ली थी। तथापि, नियम 10(9) के अंतर्गत, प्रचलित दिशानिर्देश दर ₹ 13,000 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार ₹ 7.69 लाख की आश्रय शुल्क एकत्रित नहीं की थी। इस प्रकार, नगरपालिक निगम, संहितागत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आश्रय शुल्क एकत्रित करने में असफल रही परिणामस्वरूप राशि ₹ 36.37 लाख आश्रय शुल्क की तालिका—5.5 में गणना अनुसार कम वसूली हुई।

तालिका—5.5: आश्रय शुल्क की कम वसूली

(₹ लाख में)

कॉलोनाईजर को अनुमति का विवरण	अनुमत्य निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में	नियम 10(10) के अनुसार देय आश्रय शुल्क	नियम 10(9) के अनुसार देय आश्रय शुल्क	वसूली गई आश्रय शुल्क	कम वसूली गई आश्रय शुल्क
क्र/378/न.पा.नि./2014 दिनांक 06.02.2014	4175.12	4.18	निरंक	2.52	1.66
क्र/501/न.पा.नि./2013, दिनांक 07.10.2013	11036	11.04	निरंक	निरंक	11.04
क्र/718/न.पा.नि./2013, दिनांक 09.01.2013	14801	14.80	निरंक	निरंक	14.80
क्र/450/न.पा.नि./2013, दिनांक 18.09.2013	1182.96	1.18	7.69	निरंक	8.87
	योग	31.20	7.69	2.52	36.37

नगरपालिक निगम रीवा ने उत्तर में आश्रय शुल्क की कम वसूली को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) एवं सूचित किया कि ₹ 36.37 लाख वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार प्लैट/प्लॉट आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित किए गए थे एवं आश्रय शुल्क की शेष राशि नियमानुसार संबंधित कॉलोनाइजरों से वसूल की जाएगी।

तथ्य यह है कि नगरपालिक निगम रीवा, मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का पंजीकरण, निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आश्रय शुल्क राशि ₹ 36.37 लाख की कम वसूली हुई।

गवालियर
दिनांक : 15 अप्रैल 2017

५/८१
(पराग प्रकाश)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 18 अप्रैल 2017

शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भः कंडिका 1.5, पृष्ठ 5)

2015–16 के दौरान नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं की सूची

जिला पंचायतें					
जनपद पंचायतें					
1	अलीराजपुर	2	अषोकनगर	3	बड़वानी
4	बालाधाट	5	बैतूल	6	भिण्ड
7	भोपाल	8	छतरपुर	9	धार
10	गुना	11	हरदा	12	होषंगाबाद
13	कटनी	14	मुरैना	15	नरसिंहपुर
16	पन्ना	17	रायसेन	18	रीवा
19	शहडोल	20	श्योपुर	21	षिवपुरी
22	सीधी	23	टीकमगढ़	24	उमरिया
1	अमरवाड़ा	2	अम्बाह	3	आमला
4	अटेर	5	बैढ़न	6	बैरसिया
7	बाजना	8	बारासिवनी	9	बेगमगंज
10	भाण्डेर	11	भानपुरा	12	भीकनगांव
13	बिछिया	14	बिछुआ	15	ब्यावरा
16	बिजावर	17	चाचौड़ा	18	चंद्रघेखर आजाद नगर (भाभरा)
19	छिंदवाड़ा	20	चौरई	21	डबरा
22	देपालपुर	23	गंजबासौदा	24	घाटीगांव
25	घोड़ाडोंगरी	26	गोगांवा	27	गोहपारु
28	गुना	29	हर्रई	30	इन्दौर
31	ईसागढ़	32	जयसिंहनगर	33	जतारा
34	जावद	35	जुन्नारदेव	36	करंजिया
37	करेली	38	करैरा	39	कसरावद
40	कट्ठीवाड़ा	41	कटनी	42	खकनार
43	कुक्की	44	लालबर्डा	45	महू
46	मैहर	47	मझौली	48	मल्हारगढ़
49	मनासा	50	मनावर	51	मण्डला
52	मउगंज	53	मेहगांव	54	मोहखेड़ा
55	मुरार	56	नैनपुर	57	नलखेड़ा
58	नरसिंहगढ़	59	नरवर	60	नारायणगंज
61	नटेरन	62	पाती	63	पलेरा
64	पाण्डुर्ना	65	परासिया	66	पाटन
67	रायपुर कर्चुलियान	68	राजपुर	69	रतलाम
70	रेहली	71	रीवा	72	सागर
73	साईखेड़ा	74	समनापुर	75	सांची
76	सांवेर	77	सिहोर	78	शाजापुर
79	श्योपुर	80	शुजालपुर	81	सोडवा
82	सौंसर	83	तामिया	84	तराना
85	थांदला	86	टीकमगढ़	87	टिमरनी
88	विदिषा				

(टीप— 2015–16 के दौरान 1,020 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गई ।)

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.10 पृष्ठ 9)

दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ बही शेष व पासबुक के शेष में अन्तर

(₹ लाख में)

संक्र.	इकाई का नाम	दिनांक 31.3.2015 को बैंक पासबुक के अनुसार शेष	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही से अधिक (+) है	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही से कम (-) है
जिला पंचायतें					
1	कटनी	2,660.43 76.64	2,628.95 76.84	31.48	-0.20
2	भोपाल	886.78 1,029.70	636.83 2,080.73	249.95	-1,051.03
3	ब्योपुर	1,654.32 0.00	1,477.80 2.29	176.52	-2.29
4	अनूपपुर	1,462.16	1,446.30	15.86	-
5	षहडोल	1,516.06	1,176.11	339.95	-
6	होशंगाबाद	38.45	39.38	-	-0.93
7	हरदा	115.58 279.25	120.23 262.45	16.80	-4.65
8	रीवा	858.54 51.99	813.42 64.33	45.12	-12.34
9	अलीराजपुर	1,517.43	1,908.60	-	-391.17
10	अशोकनगर	2,650.24 3.70	2,644.36 3.71	5.88	-0.01
11	टीकमगढ़	86.34	92.64	-	-6.30
12	बैतूल	6,684.52 58.44	5,866.36 78.24	818.16	-19.80
योग		21,630.57	21,419.57	1,699.72	-1,488.72
जनपद पंचायतें					
1	कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर	222.97	195.69	27.28	-
2	तराना, उज्जैन	86.63	62.73	23.90	-
3	मनावर, धार	282.97	268.05	14.92	-
4	सांवेर, इन्दौर	317.28	316.91	0.37	-
5	बैरसिया, भोपाल	292.61	243.88	48.73	-
6	पाण्डुना, छिंदवाड़ा	502.78	534.26	-	-31.48
7	देपालपुर, इन्दौर	192.24	182.29	9.95	-
8	मैहर, सतना	102.13	100.80	1.33	-
9	टीकमगढ़	453.55	394.12	59.43	-
10	जतारा, टीकमगढ़	313.71	197.17	116.54	-
11	बिजावर, छतरपुर	26.62 132.45	28.39 115.43	17.02	-
12	इन्दौर	75.27	79.30	-	-4.03
13	बिछुआ, छिंदवाड़ा	430.18	392.44	37.74	-
14	चौरई, छिंदवाड़ा	337.50	334.03	3.47	-

संक्र.	इकाई का नाम	दिनांक 31.3.2015 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही से अधिक (+) है	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही से कम (-) है
15	सांची, रायसेन	253.05 111.98	198.56 121.62	54.49 —	— -9.64
16	ईसागढ़, अषोकनगर	289.62	247.83	41.79	—
17	बेगमगंज, रायसेन	112.02 87.92	27.07 260.13	84.95 —	— -172.21
18	घाटीगांव, ग्वालियर	95.55 219.01	67.78 221.32	27.77 —	— -2.31
19	नरवर, षिवपुरी	411.91	382.12	29.79	—
20	मेहगांव, भिण्ड	104.99	110.08	—	-5.09
21	चाचौड़ा, गुना	314.98	306.85	8.13	—
22	हरई, छिंदवाड़ा	477.92	336.15	141.77	—
23	मुरार, ग्वालियर	161.52	129.74	31.78	—
24	मोहखेड़ा, छिंदवाड़ा	400.45	145.93	254.52	—
25	सौसर, छिंदवाड़ा	290.44	401.67	—	-111.23
26	मझौली, सीधी	4.56	3.88	0.68	—
27	टिमरनी, हरदा	81.50 37.95	74.71 49.62	6.79 —	— -11.67
28	खकनार, बुरहानपुर	210.31 73.46	177.08 81.47	33.23 —	— -8.01
29	तामिया, छिंदवाड़ा	514.79	497.63	17.16	—
30	जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	863.01	799.28	63.73	—
31	बाजना, रतलाम	98.96	75.72	23.24	—
32	सोडवा, अलीराजपुर	231.35	220.45	10.90	—
33	साईखेड़ा, नरसिंहपुर	86.38 31.24	141.94 20.32	— 10.92	-55.56 —
34	राजपुर, बड़वानी	313.51	298.06	15.45	—
35	थांदला, झाबुआ	157.09	168.53	—	-11.44
36	जावद, नीमच	19.00 207.67	41.44 142.49	— 65.18	-22.44 —
37	गोहपारु, शहडोल	136.33 44.54	145.69 40.33	— 4.21	-9.36 —
38	जयसिंहनगर, शहडोल	30.10 665.31	30.72 498.38	— 166.93	-0.62 —
39	भीकनगांव, खरगौन	267.35	250.20	17.15	—
40	पलेरा, टीकमगढ़	158.65	138.52	20.13	—
41	नलखेड़ा, आगर	66.32	63.48	2.84	—
42	पाटन, जबलपुर	271.11	282.68	—	-11.57
43	षाजापुर	140.46	125.20	15.26	—
44	अटेर, भिण्ड	53.23	53.19	0.04	—
45	गुना	117.91	128.53	—	-10.62
46	मनासा, नीमच	7.26 253.76	7.41 224.28	— 29.48	-0.15 —

संक्र.	इकाई का नाम	दिनांक 31.3.2015 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही से अधिक (+) है	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही से कम (-) है
47	लालबर्ग, बालाघाट	253.50	229.68	23.82	—
		36.52	38.56	—	-2.04
48	गंजबासौदा, विदिषा	69.67	86.81	—	-17.14
		28.32	27.71	0.61	—
49	छोपुर	10.34	11.70	—	-1.36
		108.60	100.03	8.57	—
50	आमला, बैतूल	237.31	232.24	5.07	—
51	करेली, नरसिंहपुर	31.15	47.23	—	-16.08
		83.35	59.42	23.93	—
52	कुक्षी, धार	257.93	216.77	41.16	—
53	पाटी, बड़वानी	311.22	251.37	59.85	—
54	बिछिया, मण्डला	576.12	568.53	7.59	—
55	शुजालपुर, शाजापुर	157.65	87.01	70.64	—
		17.70	66.25	—	-48.55
56	रीवा	3.80	4.26	—	-0.46
		103.89	80.97	22.92	—
57	अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा	338.45	253.46	84.99	—
	योग	14,868.88	13,545.57	1,888.14	-564.83
ग्राम पंचायतें					
1	हप्सिली, बेगमगंज, रायसेन	1.16	15.65	—	-14.49
2	लोहगढ़, डबरा, ग्वालियर	8.92	13.82	—	-4.90
3	नैनगांव, कुक्षी, धार	3.13	4.08	—	-0.95
4	आली, कुक्षी, धार	4.47	4.41	0.06	—
5	भट्यारी, कुक्षी, धार	2.60	2.43	0.17	—
6	कुण्डरा, कुक्षी, धार	3.38	3.05	0.33	—
7	बडगयार, कुक्षी, धार	5.28	5.55	—	-0.27
8	जौहरिया, करेली, नरसिंहपुर	6.33	4.36	1.97	—
9	कुम्हड़ी, करेली, नरसिंहपुर	6.04	6.25	—	-0.21
10	इमलिया, करेली, नरसिंहपुर	6.57	6.50	0.07	—
11	कंजई, लालबर्ग, बालाघाट	4.96	4.63	0.33	—
12	भादूगांव, टिमरनी, हरदा	0.64	1.05	—	-0.41
13	खजूरे, राजपुर, बड़वानी	4.40	4.34	0.06	—
14	मोरगन, राजपुर, बड़वानी	0.05	0.04	0.01	—
15	बोबलवाडी, राजपुर, बड़वानी	16.33	6.92	9.41	—
16	शिवनी, पाटी, बड़वानी	0.04	0.03	0.01	—
17	आबली, पाटी, बड़वानी	20.79	6.05	14.74	—
18	उंद्रकच्छ, टिमरनी, हरदा	0.181	0.180	0.001	—
19	बरकला, टिमरनी, हरदा	0.135	0.141	—	-0.006
20	ओडपुरा, घाटीगांव, ग्वालियर	0.00	0.12	—	-0.12
21	मनपुर, लालबर्ग, बालाघाट	3.26	0.26	3.00	—
22	मझगांव, नारायणगंज, मण्डला	5.19	5.18	0.01	—
	योग	103.86	95.04	30.17	-21.36
	कुल योग	36,603.31	35,060.18	3,618.03	-2,074.91

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.11 पृष्ठ 9)

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में बकाया अस्थाई अग्रिमों का विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में बकाया अग्रिम राशि	अवधि जिससे अग्रिम राशि संबंधित है
1	जिला पंचायत उमरिया	0.57	2002–03 से 2011–12
2	जिला पंचायत रायसेन	0.93	2012–13 से 2013–14
3	जिला पंचायत अनूपपुर	7.95	2011–12 से 2014–15
4	जिला पंचायत बालाघाट	0.67	2013–14 से 2014–15
5	जिला पंचायत धार	2.72	2006–07 से 2014–15
6	जिला पंचायत टीकमगढ़	0.23	2013–14 से 2014–15
7	जिला पंचायत पन्ना	0.09	2014–15
	योग	13.16	
1	जनपद पंचायत मउगंज	1.40	2012–13 से 2014–15
2	जनपद पंचायत तराना	1.03	2011–12 से 2014–15
3	जनपद पंचायत पाण्डुर्ना	7.78	1983–84 से 2011–12
4	जनपद पंचायत मैहर	0.20	2011–12
5	जनपद पंचायत टीकमगढ़	0.39	2012–13 से 2014–15
6	जनपद पंचायत बिजावर	1.60	2008–09 से 2014–15
7	जनपद पंचायत इन्दौर	1.04	2014–15
8	जनपद पंचायत बैढ़न	1.52	1994–95 से 2014–15
9	जनपद पंचायत करंजिया	1.27	2013–14 से 2014–15
10	जनपद पंचायत कटनी	0.14	2010–11 से 2011–12
11	जनपद पंचायत बिछुआ	5.61	2010–11 से 2014–15
12	जनपद पंचायत मल्हारगढ़	0.58	2000–01 से 2003–04
13	जनपद पंचायत भानपुरा	1.59	1998–99 से 2011–12
14	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	2.20	2010–11 से 2013–14
15	जनपद पंचायत चौरई	0.05	1985–86
16	जनपद पंचायत सांची	0.45	2013–14
17	जनपद पंचायत हर्रई	1.29	1996–97 से 2009–10
18	जनपद पंचायत मुरार	0.61	2012–13 से 2013–14
19	जनपद पंचायत मोहखेड़ा	1.80	2006–07 से 2013–14
20	जनपद पंचायत मझौली (सीधी)	0.12	2012–13 से 2013–14
21	जनपद पंचायत खकनार	0.66	2010–11 से 2014–15
22	जनपद पंचायत तामिया	0.26	2012–13
23	जनपद पंचायत जुन्नारदेव	3.90	2010–11 से 2014–15
24	जनपद पंचायत अम्बाह	1.10	2012–13 से 2014–15
25	जनपद पंचायत साईखेड़ा	1.20	2013–14 से 2014–15
26	जनपद पंचायत राजपुर	20.78	उपलब्ध नहीं कराया गया
27	जनपद पंचायत थान्दला	5.98	2007–08 से 2013–14
28	जनपद पंचायत जावद	4.26	2008–09 से 2014–15

सं. क्र.	इकाई का नाम	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में बकाया अग्रिम राशि	अवधि जिससे अग्रिम राशि संबंधित है
29	जनपद पंचायत गोहपारु	0.48	2008–09 से 2013–14
30	जनपद पंचायत कसरावद	1.02	2006–07 से 2014–15
31	जनपद पंचायत अटेर	0.97	2014–15
32	जनपद पंचायत करैरा	2.21	2011–12 से 2014–15
33	जनपद पंचायत रायसेन	0.20	2013–14
34	जनपद पंचायत करेली	0.22	2011–12 से 2012–13
35	जनपद पंचायत कुक्षी	3.25	2010–11 से 2014–15
36	जनपद पंचायत पाती	2.00	2013–14
37	जनपद पंचायत रीवा	0.58	1997–98 से 2014–15
योग		79.74	
महायोग		92.90	

परिशिष्ट—2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1, पृष्ठ 11)
नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों की सूची

संक्र.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	अनुपपुर	अनुपपुर	बम्हनी, चपानी, चुकान, धुम्मा, हरद, खोड़री नं.2, निम्हा, प्यारी नं.2, सड़डी, टांकी
		जैतहारी	बर्री, चोलना, डोंगराटोला, हर्री, खाडा, लखनपुर, मुन्डा, परसवार, सेमरवार, वेंकटनगर
		कोतमा	बैहाटोला, बेलियाछोट, बुढ़ानपुर, गोडारु, कटकोना, मझौली, पथरुड़ी, साजाटोला, थानगांव, उरतान
		पुष्पराजगढ़	बरबसपुर, बिजौरी, धरमदास, गिरारीखुर्द, जुहिली, खमरौदा, लालपुर, मोहाड़ी, पिपराहा, सरई
2	देवास	बागली	बरखेडासोमा, बिसाली, डांगरखेड़ा, गोपीपुर, कमलापुर, लसूड़ियाहाटू, मिर्जापुर पटाड़ीपाला, पोटला, शामपुरा
		देवास	अकबरपुर, बरखेडाकोटापाई, बिजेपुर, गुजरबापचा, खजूरिया, लोहारी, नारियाखेड़ा, राघौगढ़, सिंगावदा, सुतारखेड़ी
		कन्नौद	बाल्या, भामर, चपलासा, गाड़ागांव, जानसुर, खीरी, महुड़िया, पलासी, रायपुरा, सोनखेड़ी
		खातेगांव	बजवाड़ा, बिजलगांव, दुधियाखेड़ी, जियागांव, खारदा, लीली, नवलगांव, पिपलयांकार, सवासड़ा, तिवरिया
		सोनकच्छ	भलाईखुर्द, चौबाराजागीर, दौलतपुर, हरनावदा, जामली, खजूरियाककां, खुमारियाराव, मुरमिया, पटाड़ियाताज, रोलूपिपल्या
		टोंकखुर्द	बालोन, बुदासा, धतुरिया, हरनावदा, जसमिया, कन्हेरिया, करड़िया, नागपचलाना, पान्डी, राबड़िया

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.4.4, पृष्ठ 19)

अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं किए जाने से संबंधित विवरण पत्रक

संक्र.	भवन / संरचना का नाम	निर्धारित स्थान	विशिष्ट उद्देश्य	परिसम्पत्ति जिस उद्देश्य हेतु उपयोग की जा रही थी	पंचायती राज संस्था का उत्तर
1	ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर	जनपद पंचायत खातेगांव	प्रशिक्षण आयोजित करने एवं हेल्पलाइन केन्द्र चलाने के लिए	तकनीकी विभाग से सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु	भविष्य में बी.आर.सी. भवन का उपयोग शासन के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
		जनपद पंचायत सोनकच्छ		मनरेगा योजना कार्यालय (खण्ड स्तर) के संचालन में उपयोग हेतु	बी.आर.सी. भवन में मनरेगा कार्यालय के संचालन के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।
		जनपद पंचायत कन्नौद		मनरेगा योजना कार्यालय (खण्ड स्तर) के संचालन में उपयोग हेतु	बी.आर.सी. भवन में मनरेगा कार्यालय के संचालन के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।
		जनपद पंचायत अनुपपुर		होम गार्ड कार्यालय के संचालन में उपयोग हेतु	बी.आर.सी. भवन अनुपपुर में स्थित था एवं जनपद पंचायत को उसके नए भवन में जो अनुपपुर से 35 कि.मी. दूर ग्राम पंचायत बदरा में है, स्थानांतरित किया जा चुका था, अतः बी.आर.सी. भवन का उपयोग सम्भव नहीं था।
2	सामुदायिक भवन	ग्राम पंचायत हर्री जनपद पंचायत जैतहरी	सामुदायिक अथवा उसके सदस्यों के समारोह के उपयोग हेतु	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान (राष्ट्र दुकान) चलाने हेतु	कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मौखिक आदेशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान (राष्ट्र दुकान) चलाने हेतु भवन को दिया गया।
		ग्राम पंचायत चुकान, जनपद पंचायत अनुपपुर		भवन का उपयोग पशुओं के चारा संग्रहण हेतु	सामुदायिक भवन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिये नहीं किए जाने के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।
		ग्राम पंचायत वैंकटनगर, जनपद पंचायत जैतहरी		निर्माण सामग्री के संग्रहण हेतु	निर्माण कार्य से सम्बन्धित सामग्री संग्रहण हेतु उचित स्थान न होने के कारण, भवन का उपयोग निर्माण सामग्री के संग्रहण हेतु किया जा रहा था।
		ग्राम पंचायत चोलना, जनपद पंचायत जैतहरी,			संग्रहण सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अतः भवन का उपयोग सामग्री के संग्रहण हेतु किया गया।
		ग्राम पंचायत थानगांव, जनपद पंचायत कोतमा,			संग्रहण सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अतः भवन का उपयोग सामग्री के संग्रहण हेतु किया गया।
		ग्राम पंचायत हरनावदा, जनपद पंचायत टोकखुर्द			बिजली कम्पनी का सामान अस्थाई रूप से रखा गया था।
		ग्राम पंचायत बम्हनी, जनपद पंचायत अनुपपुर		ग्राम पंचायत भवन संचालित किया जा रहा है	नवीन पंचायत भवन निर्माणाधीन है, अतः ग्राम पंचायत भवन हेतु उपयोग किया जा रहा है।

संक्र.	भवन / संरचना का नाम	निर्मित स्थान	विशिष्ट उददेश्य	परिसम्पत्ति जिस उददेश्य हेतु उपयोग की जा रही थी	पंचायती राज संस्था का उत्तर
3	परम्परागत ई-पंचायत कक्ष	ग्राम पंचायत हर्री, जनपद पंचायत जैतहरी	कम्प्यूटर उपकरण संस्थापित करने हेतु	भवन रिक्त पड़ा था	उसी परिसर में राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्मित है, जहां ई पंचायत संचालित की जा रही थी, अतः भवन रिक्त था ।
		ग्राम पंचायत मुण्डा, जनपद पंचायत जैतहरी			नेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने के उपरांत भवन का उपयोग किया जावेगा ।
		ग्राम पंचायत महोड़िया, जनपद पंचायत कन्नौद			भवन में ई पंचायत गतिविधि शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी ।
		ग्राम पंचायत सोनखेड़ी, जनपद पंचायत कन्नौद			विद्युत कनेक्षन लेने के उपरांत भवन का उपयोग किया जायेगा ।
		ग्राम पंचायत हरनावदा, जनपद पंचायत टोकखुर्द			पंचायत भवन से दूर स्थित होने के कारण भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा था ।
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र	ग्राम पंचायत हरद, जनपद पंचायत अनुपपुर		भवन रिक्त पड़ा था	विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र परिचालन में नहीं था ।
5	ग्राम पंचायत भवन	ग्राम पंचायत सिंगावदा, जनपद पंचायत देवास		पशु चिकित्सालय हेतु उपयोग किया जा रहा था	पशु चिकित्सालय हेतु भवन न होने के कारण पंचायत भवन को पशु चिकित्सालय हेतु उपयोग किया जा रहा है ।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.4.6, पृष्ठ 21)
ग्राम पंचायतों में चोरी हुए सामानों की सूची

सं. क्र.	जनपद पंचायतों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चोरी गए सामानों की सूची	सामानों का कुल मूल्य (राशि ₹ में)	एफ.आई. आर. का दिनांक
1	अनुपपुर	दरसागर	एल.सी.डी. – टी. व्ही., कम्प्यूटर सेट, कैमरा, टाटा स्कार्फ, बैटरी	1,04,931	26.05.2015
2	जैतहरी	गोरसी	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,931	06.07.2015
3		महुड़ा	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,931	19.08.2015
4		ताखुली	एल.ई.डी.–टी.व्ही.	31,050	01.01.2015
5		उमरिया	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,931	09.09.2015
6	बागली	गुसट	सी. पी. यू	21,133	11.05.2015
7		महुखेड़ा	कम्प्यूटर सेट	1,16,244	जानकारी प्रस्तुत नहीं
8		करोंदिया	कम्प्यूटर सेट	45,315	15.05.2015
9		पीपरी	कम्प्यूटर सेट	92,004	12.07.2014
10	देवास	विमण्डी भुसेनी	एल.सी.डी. – टी. व्ही., मॉनीटर, प्रिंटर	42,155	जांच जारी है
11		लसूड़िया सोन्डा	एल.सी.डी. – टी. व्ही., बैटरी	54,450	
12		सोन्डा	मॉनीटर, बैटरी	27,800	
13		अगरोद	एल.सी.डी.–टी. व्ही. मॉनीटर,	35,450	
14		बिजेपुर	एल.सी.डी.–टी. व्ही.	31,050	
15		बानगेर	एल.सी.डी.–टी. व्ही. मॉनीटर,	35,450	
16		बैरागढ़	मॉनीटर, बैटरी	27,800	
17		चांदना	एल.सी.डी.–टी. व्ही., मॉनीटर,	35,450	
18		राजोड़ा	मॉनीटर	4,400	
19		कैलोद	मॉनीटर	4,400	
20		नारिया खेड़ा	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,931	
21		साबुखेड़ी	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,931	
22		रामगढ़ जागली	एल.सी.डी.–टी. व्ही.	31,050	
23		मंगरोला	एल.सी.डी.–टी. व्ही.	31,050	
24		आंत	मॉनीटर	4,400	

25		हवतपुरा	इनवर्टर, बैटरी	23,400	
26	कन्नौद	हतनौरी	एल.सी.डी.-टी. व्ही., बैटरी	54,450	27.06.2015
27		भिलाई	एल.सी.डी.-टी. व्ही., बैटरी	54,450	2014-15
28		महुड़िया	कम्प्यूटर, एल.ई.डी.-टी. व्ही.	52,183	18.09.2015
29		गारडी झाबरिया	एल.सी.डी.-टी. व्ही.	31,050	23.06.2015
30		बिजवाड़	इनवर्टर, बैटरी	23,400	2014-15
31		खातेगांव	काकरडी	31,050	27.06.2015
32	खातेगांव	बदादा	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,930	01.02.2014
33		जियागांव	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,930	23.01.2014
34		पिपलयांकार	मॉनीटर	4,400	11.09.2015
35		दुदलाई	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,930	20.09.2014
36	सोनकच्छ	जमोड़ी	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,930	05.08.2014
37		सादीखेड़ा	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,930	25.08.2015
38		फावदा	एल.ई.डी.-टी. व्ही.	31,050	22.04.2016
39		भैरवाखेड़ी	सम्पूर्ण कम्प्यूटर सेट	1,04,930	एफ.आई. आर. दर्ज नहीं की गयी
40	टोंकखुर्द	दोन्ताझांगीर	एल.ई.डी.-टी. व्ही.	31,050	
41		अलारी	एल.ई.डी.-टी. व्ही.	31,050	
42		कन्हेरिया	एल.ई.डी.-टी. व्ही.	31,050	
43		हरनावदा	एल.ई.डी.-टी. व्ही.	31,050	
			कुल योग	23,59,450	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.2.2, पृष्ठ 26)

शासकीय खाते में जमा नहीं किए गए ब्याज को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	ब्याज प्राप्ति का दिनांक	ब्याज की राशि (₹)
1	अमरवाडा (छिंदवाडा)	04 / 14 से 03 / 15	30.06.2014	26,183
			25.12.2014	33,414
			योग	59,597
2.	बैरसिया (भोपाल)	04 / 12 से 03 / 15	02.08.2013	21,990
			01.02.2014	47,971
			02.08.2014	41,649
			02.02.2015	56,576
			योग	1,68,186
3.	बिछुआ (छिंदवाडा)	04 / 11 से 03 / 15	30.06.2012	12,993
			31.12.2012	20,917
			30.06.2013	25,930
			31.12.2013	18,757
			30.06.2014	14,169
			योग	92,766
4	चाचोडा (गुना)	04 / 12 से 03 / 15	30.06.2012	16,927
			31.12.2012	9,924
			30.06.2014	16,043
			31.12.2013	14,609
			30.06.2014	5,932
			31.12.2014	14,031
5	ईसागढ़ (असोकनगर)	04 / 11 से 03 / 15	योग	77,466
			30.06.2011	21,029
			31.12.2011	12,849
			30.06.2012	47,956
			31.12.2012	30,008
			30.04.2013	42,808
			30.12.2013	73,724
			30.06.2014	53,842
6	गोहपारू (षहडोल)	04 / 11 से 03 / 15	25.12.2014	40,820
			योग	3,23,036
			31.05.2011	12,665
			30.11.2011	20,486
			31.05.2012	10,957
			30.11.2012	15,182
			31.05.2013	10,311
			30.11.2013	16,085
			31.05.2014	13,727
			30.11.2014	11,494
7	खकनार (बुरहानपुर)	04 / 12 से 03 / 15	योग	1,10,907
			07.02.2014	1,16,133
			08.08.2014	52,725
			02.02.2015	62,837
			06.08.2012	32,175
			02.02.2013	21,593
			06.08.2013	15,895
			03.02.2014	344
			02.08.2014	345
			14.01.2015	323
			02.02.2015	36
			योग	3,41,406

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	ब्याज प्राप्ति का दिनांक	ब्याज की राशि (₹)
8	मंडला (मंडला)	04/12 से 03/15	03.08.2012	58,215
			04.02.2013	57,163
			03.08.2013	64,833
			02.02.2014	72,332
			03.08.2014	92,428
			योग	3,44,971
9	मैहर (सतना)	04/11 से 03/15	16.11.2012	61,989
			05.09.2012	81,758
			01.03.2013	74,590
			05.09.2013	1,25,840
			03.03.2014	1,07,415
			31.08.2014	78,055
			28.02.2015	83,517
			योग	6,13,164
10	नैनपुर (मंडला)	04/13 से 03/15	06.12.2013	7,922
			04.06.2014	5,446
			06.12.2014	4,982
			08.06.2014	3,576
			30.11.2013	87,839
			30.11.2014	77,699
			योग	1,87,500
11	सांची (रायसेन)	04/13 से 03/15	31.05.2013	33,801
			31.11.2013	41,788
			31.05.2014	51,747
			30.11.2014	52,759
			योग	1,80,095
12	शाजापुर (षाजापुर)	04/13 से 03/15	30.06.2013	15,208
			31.12.2013	29,078
			30.06.2014	24,915
			25.12.2014	23,394
			योग	92,595
13	श्योपुर (छोपुर)	04/12 से 03/15	31.05.2011	73,296
			30.11.2011	86,875
			31.05.2012	1,17,882
			30.11.2012	1,02,604
			31.05.2013	92,953
			30.11.2013	1,04,004
			31.05.2014	1,64,140
			30.11.2014	1,95,790
			योग	9,37,544
			कुल योग	35,29,233

परिशिष्ट—3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3, पृष्ठ 30)

नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	कार्यों के नाम
1	नगरीय योजना, जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है
2	भूमि उपयोग का विनियमन एवं भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7	अग्नि शमन सेवाएँ
8	नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों का प्रचार
9	समाज के कमजोर वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरीय गरीबी उन्मूलन
12	नगरीय सुख—सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों का प्रचार
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	मवेशी बाड़ा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी हैं
17	सार्वजनिक सुख—सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

परिशिष्ट—3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.5, पृष्ठ 32)

2015–16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों की सूची

नगरपालिक निगम					
1	भोपाल	2	बुरहानपुर	3	देवास
4	ग्वालियर	5	रीवा	6	सतना
नगरपालिका परिषद					
1	आष्टा	2	बड़वाह	3	बड़नगर
4	बिजुरी	5	बीना	6	व्यावरा
5	गडरवारा	8	जुन्नारदेव	9	करेली
10	खुरई	11	मनावर	12	पनागर
13	पाण्डुनार्ना	14	पन्ना	15	पसान
16	सीधी	17	सिहोरा	18	सिरोंज
नगर परिषद					
1	अमरकंटक	2	अमरपाटन	3	बाड़ी
4	बदनावर	5	बैहर	6	बैतूलबाजार
7	भुआ बिछिया	8	बिलौआ	9	बुड़ार
10	बुदनी	11	चांदामेटा—बुटारिया	12	छापीहेड़ा
13	देपालपुर	14	गैरतगंज	15	ईछावर
16	जौरा	17	झुण्डपुरा	18	कारी
19	कटंगी	20	खिलचीपुर	21	खुजनेर
22	कोटार	23	लवकुषनगर	24	महेष्वर
25	मझौली	26	मिहोना	27	न्युटनचिखली
28	पिछोर	29	राजनगर	30	रामपुर
31	रतनगढ़	32	षाहपुर	33	सांची
34	सिंगोली	35	सिरमोर	36	सिवनी
37	सुल्तानपुर	38	तेंदूखेड़ा	39	उदयपुरा

परिशिष्ट—3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.9, पृष्ठ 35)
बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं करना

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	31.3.2015 को बैंक पासबुक अनुसार शेष	31.3.2015 को रोकड़बही का शेष	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही शेष से अधिक (+) है	अंतर, जहां बैंक शेष रोकड़ बही शेष से कम (-) है
नगरपालिक निगम					
1	बुरहानपुर	3,105.80	2,994.35	111.45	—
	योग	3,105.80	2,994.35	111.45	
नगरपालिका परिषद					
2	खुरई, सागर	363.21	313.31	49.90	—
3	बड़नगर	743.56	676.56	67.00	—
4	गड़रवारा, नरसिंहपुर	166.20	86.50	79.70	—
5	करेली	1,290.52	1,202.04	88.48	—
6	पाण्डुर्णा	684.21	664.05	20.16	—
7	सिरौंज	94.42	82.63	11.79	—
8	पन्ना	311.79	433.21	—	121.42
		281.44	222.44	59.00	—
9	सीधी	2,337.35	2,228.50	108.85	—
10	बीना	611.10	539.38	71.72	—
11	मण्डीदीप	2,161.84	1,709.10	452.74	—
12	मनावर	647.64	505.16	142.48	—
	योग	9,693.28	8,662.88	1,151.82	121.42
नगर परिषद					
13	शाहपुरा, जबलपुर	895.81	889.20	6.61	—
		9.242	9.246	—	0.004
14	ईछावर, सिहोर	184.65	154.42	30.23	—
15	गैरतगंज	59.68	49.21	10.47	—
16	बिलौआ	324.20	305.64	18.56	—
17	बुढार	438.11	426.98	11.13	—
18	आष्टा	706.62	583.13	123.49	—
19	अमरपाटन, सतना	200.24	212.50	—	12.26
20	लवकुशनगर	204.64	131.47	73.17	—
21	खुजनेर	73.30	71.18	2.12	—
22	कारी	19.29	5.21	14.08	—
23	बैतूल बाजार	164.61	161.38	3.23	—
24	सिलवानी	525.24	423.05	102.19	—
25	बुदनी	270.63	230.18	40.45	—
26	सांची	74.16	38.28	35.88	—
27	सुल्तानपुर	192.36	185.05	7.31	—
28	न्युटनचिखली	669.04	657.88	11.16	—
29	मझौली	131.71	130.65	1.06	—
30	बारी	8.54	3.76	4.78	—
31	मिहोना	320.47	328.19	—	7.72
32	चांदामेटा—बूटारिया	197.81	98.45	99.36	—
33	रतनगढ़	144.60	141.96	2.64	—
	योग	5,814.95	5,237.02	597.92	19.98
	कुल योग	18,614.03	16,894.25	1,861.19	141.40

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.10, पृष्ठ 36)

असंग्रहित कर राजस्व (सम्पत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर, बाजार शुल्क और प्रदर्शन कर) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	पिछले वर्षों का बकाया	2014–15 के दौरान की गयी मांग	योग	मार्च 2014–15 तक कुल संग्रहित किया गया कर	31.3.2015 को असंग्रहित कर की राशि
नगरपालिक निगम						
1	सतना	813.87	729.09	1542.96	549.39	993.57
2	ग्वालियर	5,582.91	2,764.78	8,347.69	2,229.43	6,118.26
3	बुरहानपुर	418.27	139.53	557.80	219.39	338.41
	योग	6,815.05	3,633.40	10,448.45	2,998.21	7,450.24
नगरपालिका परिषद						
4	मनावर	13.07	22.24	35.31	27.30	8.01
5	सिहोर	17.64	30.54	48.18	28.97	19.21
6	पान्डुना	48.93	55.64	104.57	59.12	45.45
7	करेली	94.80	43.97	138.77	28.32	110.45
8	गढ़रवारा	81.00	16.75	97.75	10.52	87.23
9	खुरई	38.32	39.58	77.90	58.67	19.23
10	आष्टा	41.58	51.33	92.91	36.03	56.88
11	बड़नगर	26.02	9.47	35.49	10.23	25.26
12	पन्ना	44.93	55.41	100.34	49.23	51.11
13	सीधी	111.92	82.76	194.68	76.75	117.93
14	बड़वाह	26.08	16.10	42.18	16.99	25.19
15	पसान, अनुपपुर	74.53	41.98	116.51	36.55	79.96
16	पनागर	5.07	12.50	17.57	8.90	8.67
17	बीना	69.57	41.43	111.00	45.58	65.42
18	मण्डीदीप	353.99	164.53	518.52	225.53	292.99
19	ब्यावरा, राजगढ़	150.31	26.91	177.22	33.68	143.54
	योग	1,197.76	711.14	1,908.90	752.37	1,156.53
नगर परिषद						
20	ईछावर, सिहोर	5.45	3.80	9.25	5.87	3.38
21	बुद्धार, शहडोल	64.05	11.81	75.86	17.73	58.13
22	भुआ बिछिया	15.38	21.44	36.82	20.37	16.45
23	अमरपाटन	64.71	25.82	90.53	24.19	66.34
24	महेष्वर	32.62	16.50	49.12	17.33	31.79
25	खिलचीपुर	21.00	11.00	32.00	16.86	15.14
26	कारी	19.99	2.08	22.07	2.65	19.42
27	बैतूलबाजार	6.76	6.50	13.26	7.86	5.40
28	सिंगोली	8.84	3.07	11.91	4.25	7.66
29	कटंगी	9.00	5.32	14.32	7.09	7.23
30	देपालपुर, इंदौर	11.92	16.05	27.97	15.95	12.02
31	बुदनी	13.17	19.26	32.43	22.34	10.09

स. क्र.	इकाई का नाम	पिछले वर्षों का बकाया	2014–15 के दौरान की गयी मांग	योग	मार्च 2014–15 तक कुल संग्रहित किया गया कर	31.3.2015 को असंग्रहित कर की राशि
32	जौरा, मुरैना	74.07	16.80	90.87	27.39	63.48
33	सांची, रायसेन	12.32	10.15	22.47	9.89	12.58
34	सुल्तानपुर, रायसेन	23.23	4.97	28.20	3.99	24.21
35	सिरमोर, रीवा	21.75	7.03	28.78	6.06	22.72
36	मझौली, जबलपुर	5.56	3.89	9.45	4.18	5.27
37	बाड़ी	26.36	12.82	39.18	3.06	36.12
38	मिहोना, भिण्ड	71.33	9.63	80.96	6.26	74.70
39	बदनावर	10.58	20.26	30.84	23.93	6.91
40	अमरकंटक	9.02	2.37	11.39	1.65	9.74
41	झुण्डपुरा, मुरैना	8.80	2.36	11.16	1.60	9.56
42	उदयपुरा	27.43	13.15	40.58	19.54	21.04
43	न्युटनचिखली	8.10	7.67	15.77	7.24	8.53
44	तेन्दूखेड़ा	47.42	15.46	62.88	11.72	51.16
45	रामपुर नैकिन	36.69	4.24	40.93	4.57	36.36
46	कोटार	14.21	2.24	16.45	3.68	12.77
47	लवकुषनगर	59.75	8.48	68.23	9.87	58.36
48	रतनगढ़	6.82	4.43	11.25	4.94	6.31
49	सिलवानी	5.06	16.64	21.70	10.49	11.21
50	पिछोर, ग्वालियर	29.50	3.85	33.35	3.78	29.57
	योग	770.89	309.09	1,079.98	326.33	753.65
	कुल योग	8,783.70	4,653.63	13,437.33	4,076.91	9,360.42

परिशिष्ट—3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.10, पृष्ठ 36)
असंग्रहित किराया एवं प्रीमियम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	आवंटित दुकानों का बकाया प्रीमियम	आवंटित दुकानों का बकाया किराया	योग (31.03.2015 की स्थिति में)
नगरपालिक निगम				
1	सतना	282.41	130.29	412.70
2	बुरहानपुर	—	40.51	40.51
	योग	282.41	170.80	453.21
नगरपालिका परिषद				
3	आष्टा	40.48	—	40.48
4	सिहोरा	2.25	1.41	3.66
5	सीधी	—	22.48	22.48
6	गडरवाड़ा	—	14.91	14.91
7	खुरई	—	22.51	22.51
8	मण्डीदीप	—	5.78	5.78
9	ब्यावरा, राजगढ़	—	33.24	33.24
10	पन्ना	—	5.69	5.69
11	बड़वाह	—	6.99	6.99
12	पसान, अनूपपुर	—	1.80	1.80
13	पनागर	—	0.14	0.14
14	बीना	—	1.46	1.46
	योग	42.73	116.41	159.14
नगर परिषद				
15	अमरपाटन	0.98	20.33	21.31
16	छापीहेड़ा	—	2.90	2.90
17	भुआ बिछिया	—	3.54	3.54
18	रतनगढ़	—	0.96	0.96
19	महेश्वर	—	6.29	6.29
20	खिलचीपुर	30.25	23.17	53.42
21	ईछावर	—	0.07	0.07
22	बैतूल बाजार	—	1.89	1.89
23	सिंगोली	—	0.48	0.48
24	कटंगी	—	0.50	0.50
25	देपालपुर	—	0.20	0.20
26	बुदनी	—	2.28	2.28
27	जौरा	—	13.79	13.79
28	सांची	—	1.16	1.16
29	सुल्तानपुर	66.11	1.66	67.77

30	मझौली, जबलपुर	—	3.03	3.03
31	बाड़ी	—	1.99	1.99
32	मिहोना	—	3.30	3.30
33	बदनावर	—	1.55	1.55
34	अमरकंटक	—	9.78	9.78
35	लवकुषनगर	—	4.92	4.92
36	रामपुर नैकिन	—	11.88	11.88
37	सिरमोर	—	2.40	2.40
38	तेंदूखेड़ा	—	3.10	3.10
39	चांदामेटा-बुटरिया	—	0.21	0.21
40	उदयपुरा	—	4.15	4.15
कुल योग		97.34	125.53	222.87
महा योग		422.48	412.74	835.22

परिशिष्ट—3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.10, पृष्ठ 36)

गैर कर राजस्व (जल प्रभार, अनुज्ञित शुल्क और भूमि एवं भवन किराया इत्यादि) की वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	पूर्व वर्षों का बकाया	2014–15 के दौरान की गई मांग	योग	कुल संग्रहित राजस्व (मार्च 2015 की स्थिति में)	31 मार्च 2015 को असंग्रहित कर की राशि
नगरपालिक निगम						
1	सतना	736.71	184.58	921.29	122.67	798.62
2	ग्वालियर	5,503.52	2,141.74	7,645.26	1,529.57	6,115.69
	योग	6,240.23	2,326.32	8,566.55	1,652.24	6,914.31
नगरपालिका परिषद						
3	मनावर	31.25	26.44	57.69	38.31	19.38
4	करेली	18.22	13.86	32.08	9.22	22.86
5	पाण्डुर्ना	30.41	27.91	58.32	22.06	36.26
6	सिहोरा	12.04	25.59	37.63	22.24	15.39
7	गड़रवारा	106.89	36.06	142.95	23.06	119.89
8	खुरई	9.08	17.28	26.36	16.94	9.42
9	आष्टा	16.46	40.99	57.45	28.24	29.21
10	बड़नगर	14.21	45.33	59.54	42.06	17.48
11	पन्ना	143.95	51.61	195.56	40.59	154.97
12	सीधी	21.22	11.77	32.99	14.69	18.30
13	बड़वाह	34.89	39.28	74.17	36.02	38.15
14	पसान, अनुपपुर	0.77	0.76	1.53	0.81	0.72
15	पनागर	3.16	13.45	16.61	7.82	8.79
16	बीना	37.28	32.00	69.28	24.02	45.26
17	मण्डीदीप	71.35	20.27	91.62	15.89	75.73
	योग	551.18	402.60	953.78	341.97	611.81
नगर परिषद						
18	ईछावर	3.27	6.38	9.65	8.46	1.19
19	बुढ़ार	5.50	3.89	9.39	4.76	4.63
20	भुआ बिछिया	12.99	3.95	16.94	3.79	13.15
21	अमरपाटन	7.58	5.83	13.41	5.84	7.57
22	महेश्वर	2.81	31.11	33.92	32.41	1.51
23	खिलचीपुर	20.00	10.00	30.00	12.25	17.75
24	कारी	4.54	0.80	5.34	0.61	4.73
25	बैतूलबाज़ार	4.31	4.63	8.94	5.14	3.80
26	सिंगोली	4.37	5.53	9.90	5.95	3.95
27	कटंगी	2.93	2.29	5.22	2.88	2.34
28	देपालपुर	16.79	13.63	30.42	15.32	15.10
29	बुदनी	7.68	8.18	15.86	7.67	8.19
30	जौरा	14.46	6.11	20.57	5.23	15.34

सं. क्र.	इकाई का नाम	पूर्व वर्षों का बकाया	2014–15 के दौरान की गई मांग	योग	कुल संग्रहित राजस्व (मार्च 2015 की स्थिति में)	31 मार्च 2015 को असंग्रहित कर की राशि
31	सांची	15.06	6.89	21.95	8.79	13.16
32	सुल्तानपुर	4.78	3.60	8.38	2.93	5.45
33	सिमरोल	4.17	2.69	6.86	2.31	4.55
34	मझौली, जबलपुर	1.46	2.06	3.52	2.34	1.18
35	बाड़ी	5.26	1.65	6.91	1.52	5.39
36	मिहोना	22.20	3.54	25.74	2.76	22.98
37	बदनावर	4.27	26.50	30.77	23.74	7.03
38	अमरकंटक	1.26	1.78	3.04	1.77	1.27
39	झुण्डपुरा	4.56	1.97	6.53	1.21	5.32
40	उदयपुरा	5.65	6.19	11.84	6.10	5.74
41	चूटनचिखली	3.65	5.05	8.70	4.98	3.72
42	तेंदूखेड़ा	4.11	6.12	10.23	5.46	4.77
43	रामपुर नैकिन	1.05	1.67	2.72	0.56	2.16
44	कोटर	0.73	0.99	1.72	0.94	0.78
45	लवकुशनगर	11.36	4.44	15.80	7.33	8.47
46	रतनगढ़	1.10	4.00	5.10	4.51	0.59
47	सिलवानी	5.43	7.80	13.23	4.10	9.13
48	राजनगर	4.53	4.15	8.68	3.79	4.89
49	षाहपुरा, जबलपुर	12.28	3.32	15.60	2.01	13.59
50	पिछोर	13.85	3.06	16.91	2.33	14.58
	योग	233.99	199.80	433.79	199.79	234.00
	कुल योग	7,025.40	2,928.72	9,954.12	2,194.00	7,760.12

परिशिष्ट—3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.11, पृष्ठ 36)
असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	दिनांक 31.03.2015 तक असमायोजित अग्रिम राशि	अग्रिम राशि निम्नलिखित अवधि से सम्बंधित
नगरपालिक निगम			
1	बुरहानपुर	0.86	2013–14 से 2014–15
2	ग्वालियर	77.34	2008–09 से 2014–15
	योग	78.20	
नगरपालिका परिषद			
3	सीधी	1.53	2007–08 से 2014–15
4	पसान	3.27	2007–08 से 2013–14
5	बिजुरी	8.90	1999–00 से 2014–15
6	मण्डीदीप	1.31	2005–06 से 2012–13
	योग	15.01	
नगर परिषद			
7	भुआ बिछिया	2.13	2012–13 से 2013–14
8	बिलौआ	0.23	2007–08 से 2013–14
9	झावर, सिहोर	0.41	2006–07 से 2014–15
10	राजनगर, छतरपुर	0.21	1998–99 से 2014–15
11	बैतूलबाज़ार	0.19	1970–71 से 1994–95
12	सिलवानी	0.43	2009–10 से 2010–11
13	लवकुशनगर	10.54	2007–08 से 2014–15
14	कटंगी	1.25	2008–09
15	सांची	0.37	2014–15
16	सुल्तानपुर	0.67	2010–11 से 2011–12
17	न्यूटनविखली	2.15	2008–09 से 2014–15
18	पिछोर	2.06	2008–09 से 2013–14
19	बैहर	1.05	2008–09
	योग	21.69	
	कुल योग	114.90	

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कांडिका 4.1.7.2, पृष्ठ 47)

नमूना जांच किए गए नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर के मांग एवं वसूली का विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्व वर्ष की बकाया मांग	पूर्व वर्ष के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष की मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
नगरपालिक निगम देवास							
2011–12	501.83	278.11 (55)	223.72	288.16	82.23 (29)	205.93	429.65
2012–13	429.64	236.19 (55)	193.45	253.27	160.66 (63)	92.61	286.06
2013–14	286.05	186.09 (65)	99.96	303.59	218.95 (72)	84.64	184.60
2014–15	184.60	112.80 (61)	71.80	344.29	246.20 (72)	98.09	169.89
2015–16	169.89	89.39 (63)	80.50	360.94	310.87 (86)	50.07	130.57
नगरपालिक निगम इन्दौर							
2011–12	11,610.66	1,497.93 (13)	10,112.73	4,394.74	2,700.09 (61)	1,694.65	11,807.38
2012–13	10,907.56	1,605.92 (15)	9,301.64	4,558.46	2,668.49 (59)	1,889.97	11,191.61
2013–14	12,622.54	753.11 (06)	11,869.43	5,390.24	3,066.30 (57)	2,323.94	14,193.37
2014–15	14,040.28	1,060.78 (08)	12,979.50	5,662.04	3,204.06 (57)	2,457.98	15,437.48
2015–16	13,528.90	1,521.55 (11)	12,007.35	6,174.98	4,141.13 (67)	2,033.85	14,041.20
नगरपालिक निगम रत्नाम							
2011–12	128.08	23.10 (18)	104.98	172.72	154.45 (89)	18.27	123.25
2012–13	134.25	106.66 (79)	27.59	182.75	106.77 (58)	75.98	103.57
2013–14	133.01	108.15 (81)	24.86	186.75	134.11 (72)	52.64	77.50
2014–15	112.25	75.63 (67)	36.62	211.75	171.60 (81)	40.15	76.77
2015–16	154.82	119.37 (77)	35.45	233.00	201.24 (86)	31.76	67.21
नगरपालिक निगम रीवा							
2011–12	100.00	132.60 (132)	(-) 32.60	110.00	51.20 (47)	58.80	26.20
2012–13	80.00	117.40 (147)	(-) 37.40	120.00	52.85 (44)	67.15	29.75
2013–14	187.55	115.26 (61)	72.29	135.00	95.26 (71)	39.74	112.03
2014–15	192.00	180.52 (94)	11.48	148.00	110.32 (75)	37.68	49.16
2015–16	330.00	349.77 (106)	(-) 19.77	250.00	89.58 (36)	160.42	140.65
नगरपालिका परिषद आमला							
2011–12	1.75	1.36 (78)	0.39	5.17	4.20 (81)	0.97	1.36

वर्ष	पूर्व वर्ष की बकाया मांग	पूर्व वर्ष के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष की मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
2012–13	1.37	0.84 (61)	0.53	6.33	5.33 (84)	1.00	1.53
2013–14	1.53	0.46 (30)	1.07	7.50	6.27 (84)	1.23	2.30
2014–15	10.35	4.17 (40)	6.18	8.10	6.48 (80)	1.62	7.80
2015–16	10.34	5.23 (51)	5.11	18.58	9.61 (52)	8.97	14.08
नगरपालिका परिषद अनुपपुर							
2011–12	3.20	1.66 (52)	1.54	2.48	1.81 (73)	0.67	2.21
2012–13	2.21	1.22 (55)	0.99	3.12	1.54 (49)	1.58	2.57
2013–14	3.70	2.66 (72)	1.04	3.14	1.83 (58)	1.31	2.35
2014–15	3.14	1.44 (46)	1.70	3.23	1.57 (49)	1.66	3.36
2015–16	4.05	0.52 (13)	3.53	3.37	0.78 (23)	2.59	6.12
नगरपालिका परिषद बड़बाह							
2011–12	11.54	3.33 (29)	8.21	7.20	5.40 (75)	1.80	10.01
2012–13	9.77	4.48 (46)	5.29	6.40	4.80 (75)	1.60	6.89
2013–14	9.81	3.86 (39)	5.95	8.82	6.37 (72)	2.45	8.40
2014–15	8.41	2.96 (35)	5.45	8.82	6.47 (73)	2.35	7.80
2015–16	7.93	2.81 (35)	5.12	8.78	6.37 (73)	2.41	7.53
नगर पालिका परिषद बेगमगंज							
2011–12	51.21	3.10 (6)	48.11	12.30	0.44 (4)	11.86	59.97
2012–13	59.98	3.29 (5)	56.69	5.49	0.87 (16)	4.62	61.31
2013–14	61.31	1.97 (3)	59.34	5.49	0.61 (11)	4.88	64.22
2014–15	64.22	10.96 (17)	53.26	7.99	2.86 (36)	5.13	58.39
2015–16	58.39	7.66 (13)	50.73	7.99	1.87 (23)	6.12	56.85
नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा							
2011–12	9.93	1.35 (14)	8.58	2.99	0.98 (33)	2.01	10.59
2012–13	10.59	1.78 (17)	8.81	2.99	1.16 (39)	1.83	10.64
2013–14	10.64	1.87 (18)	8.77	2.99	1.16 (39)	1.83	10.60
2014–15	10.64	1.18 (11)	9.46	2.99	1.04 (35)	1.95	11.41
2015–16	10.98	4.15 (38)	6.83	17.78	10.60 (60)	7.18	14.01
नगरपालिका परिषद हरदा							
2011–12	11.01	4.20 (38)	6.81	36.44	31.17 (86)	5.27	12.08
2012–13	12.11	6.41 (53)	5.70	38.93	32.23 (83)	6.70	12.40

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	पूर्व वर्ष की बकाया मांग	पूर्व वर्ष के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष की मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
2013–14	12.41	6.64 (53)	5.77	41.17	34.39 (84)	6.78	12.55
2014–15	12.22	5.96 (49)	6.26	43.67	36.29 (83)	7.38	13.64
2015–16	13.64	5.25 (38)	8.39	46.53	37.94 (82)	8.59	16.98
नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव							
2011–12	12.55	3.14 (25)	9.41	10.67	6.39 (60)	4.28	13.69
2012–13	15.33	1.99 (13)	13.34	10.67	3.74 (35)	6.93	20.27
2013–14	17.28	10.22 (59)	7.06	10.67	8.75 (82)	1.92	8.98
2014–15	8.98	6.58 (73)	2.40	10.67	6.11 (59)	4.56	6.96
2015–16	2.87	2.61 (91)	0.26	12.32	9.10 (74)	3.22	3.48
नगरपालिका परिषद नैनपुर							
2011–12	8.09	2.18 (27)	5.91	4.40	2.25 (51)	2.15	8.06
2012–13	8.16	4.47 (55)	3.69	4.40	2.53 (57)	1.87	5.56
2013–14	12.22	3.63 (30)	8.59	5.09	3.07 (60)	2.02	10.61
2014–15	10.47	2.33 (19)	8.14	5.55	2.90 (52)	2.65	10.79
2015–16	11.05	3.80 (34)	7.25	5.65	3.43 (61)	2.22	9.47
नगरपालिका परिषद पाण्डुना							
2011–12	16.49	5.19 (31)	11.30	24.02	20.69 (86)	3.33	14.63
2012–13	14.87	7.40 (50)	7.47	24.19	20.78 (86)	3.41	10.88
2013–14	13.03	6.15 (47)	6.88	25.64	23.26 (91)	2.38	9.26
2014–15	14.98	4.83 (32)	10.15	27.83	25.33 (91)	2.50	12.65
2015–16	16.14	4.72 (29)	11.42	30.86	28.18 (91)	2.68	14.10
नगरपालिका परिषद पोरसा							
2011–12	23.78	2.35 (10)	21.43	3.00	0.43 (14)	2.57	24.00
2012–13	24.01	3.82 (16)	20.19	3.82	0.73 (19)	3.09	23.28
2013–14	23.27	2.74 (12)	20.53	4.73	0.58 (12)	4.15	24.68
2014–15	24.68	3.73 (15)	20.95	4.50	0.89 (20)	3.61	24.56
2015–16	23.79	9.95 (42)	13.84	4.50	2.84 (63)	1.66	15.50
योग		8,864.93		30,090.64	18,400.73		
31.03.2016 की स्थिति कुल बकाया वसूली							14,437.75

(स्रोत: नमूना जांच किए गए स्थानीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिशिक्त-4.2

(संदर्भ: कांडिका 4.1.7.3, पृष्ठ 48)

नमूना जांच किए गए नगरीय निकायों में समेकित कर के मांग एवं वसूली का विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्व वर्ष की बकाया मांग	पूर्व वर्ष के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष की मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
नगरपालिक निगम देवास							
2011–12	211.56	124.66 (59)	86.90	114.50	64.01 (56)	50.49	137.39
2012–13	137.39	113.06 (82)	24.33	239.62	116.80 (49)	122.82	147.15
2013–14	147.14	31.14 (21)	116.00	243.28	140.41 (58)	102.87	218.87
2014–15	218.87	171.75 (78)	47.12	215.18	152.63 (71)	62.55	109.67
2015–16	109.67	44.70 (41)	64.97	180.47	135.35 (75)	45.12	110.09
नगरपालिक निगम इन्दौर							
2011–12	11,095.95	1,403.31 (13)	9,692.64	3,577.93	2,015.39 (56)	1,562.54	11,253.18
2012–13	10,980.95	1,433.38 (13)	9,547.57	3,707.18	2,012.77 (54)	1,694.41	11,241.98
2013–14	12,230.82	711.81 (06)	11,519.01	4,256.03	2,254.83 (53)	2,001.20	13,520.21
2014–15	13,374.81	949.75 (07)	12,425.06	4,399.38	2,388.87 (59)	2,010.51	14,435.57
2015–16	13,196.23	1,386.55 (10)	11,809.68	4,749.91	2,977.51 (63)	1,772.40	13,582.08
नगरपालिक निगम रत्नाम							
2011–12	116.96	64.32 (55)	52.64	110.00	45.47 (41)	64.53	117.17
2012–13	117.47	61.81 (53)	55.66	110.00	30.74 (28)	79.26	134.92
2013–14	134.84	54.72 (41)	80.12	110.00	29.05 (26)	80.95	161.07
2014–15	161.06	60.21 (37)	100.85	110.00	33.37 (30)	76.63	177.48
2015–16	177.48	72.50 (41)	104.98	110.00	47.26 (43)	62.74	167.72
नगरपालिक निगम रीवा							
2011–12	110.00	45.25 (41)	64.75	63.00	10.05 (16)	52.95	117.70
2012–13	110.00	48.65 (44)	61.35	65.00	10.15 (16)	54.85	116.20
2013–14	80.00	48.00 (60)	32.00	67.00	12.20 (18)	54.80	86.80
2014–15	107.00	24.21 (23)	82.79	69.00	38.50 (56)	30.50	113.29
2015–16	90.00	67.84 (75)	22.16	112.00	11.66 (10)	100.34	122.50
नगरपालिका परिषद आमला							
2011–12	1.95	1.69 (86)	0.26	5.03	4.33 (86)	0.70	0.96

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	पूर्व वर्ष की बकाया मांग	पूर्व वर्ष के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष की मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
2012–13	0.95	0.88 (93)	0.07	5.70	3.85 (68)	1.85	1.92
2013–14	1.93	1.40 (73)	0.53	5.76	4.85 (84)	0.91	1.44
2014–15	12.96	3.83 (30)	9.13	5.76	3.63 (63)	2.13	11.26
2015–16	5.76	4.46 (77)	1.30	5.07	2.95 (58)	2.12	3.42
नगरपालिका परिषद अनुपपुर							
2011–12	20.37	2.59 (13)	17.78	2.33	0.49 (21)	1.84	19.62
2012–13	15.00	2.54 (17)	12.46	2.40	0.52 (22)	1.88	14.34
2013–14	14.34	3.51 (24)	10.83	2.50	0.62 (25)	1.88	12.71
2014–15	22.16	2.42 (11)	19.74	2.67	0.65 (26)	2.02	21.76
2015–16	21.20	3.00 (14)	18.20	2.99	0.59 (20)	2.40	20.60
नगरपालिका परिषद बड़वाह							
2011–12	17.66	3.76 (21)	13.90	3.65	1.70 (47)	1.95	15.85
2012–13	16.51	2.89 (18)	13.62	3.56	1.55 (44)	2.01	15.63
2013–14	15.96	2.95 (18)	13.01	3.95	1.96 (50)	1.99	15.00
2014–15	15.00	2.33 (16)	12.67	3.95	1.97 (50)	1.98	14.65
2015–16	15.08	2.77 (18)	12.31	3.96	1.91 (48)	2.05	14.36
नगरपालिका परिषद बेगमगंज							
2011–12	80.81	1.92 (2)	78.89	7.13	0.33 (5)	6.80	85.69
2012–13	85.70	2.58 (3)	83.12	7.44	0.50 (7)	6.94	90.06
2013–14	90.06	1.99 (2)	88.07	7.44	0.31 (4)	7.13	95.20
2014–15	95.20	8.37 (9)	86.83	10.70	1.13 (11)	9.57	96.40
2015–16	96.39	5.93 (6)	90.46	10.70	0.81 (8)	9.89	100.35
नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा							
2011–12	19.57	1.22 (6)	18.35	9.88	1.00 (10)	8.88	27.23
2012–13	27.24	3.25 (12)	23.99	9.88	2.09 (21)	7.79	31.78
2013–14	31.78	2.83 (9)	28.95	9.88	1.72 (17)	8.16	37.11
2014–15	31.78	3.52 (11)	28.26	9.88	2.13 (22)	7.75	36.01
2015–16	31.78	9.44 (30)	22.34	19.98	10.63 (53)	9.35	31.69
नगरपालिका परिषद हरदा							
2011–12	13.45	4.03 (30)	9.42	14.91	11.09 (74)	3.82	13.24
2012–13	12.89	3.44 (27)	9.45	15.25	10.86 (71)	4.39	13.84

वर्ष	पूर्व वर्ष की बकाया मांग	पूर्व वर्ष के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष की मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
2013–14	13.83	3.85 (28)	9.98	15.45	11.36 (74)	4.09	14.07
2014–15	14.01	3.75 (27)	10.26	15.69	11.57 (74)	4.12	14.38
2015–16	14.40	2.95 (20)	11.45	16.17	11.51 (71)	4.66	16.11
नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव							
2011–12	17.92	2.57 (14)	15.35	4.73	1.93 (41)	2.80	18.15
2012–13	18.72	1.38 (7)	17.34	4.73	1.20 (25)	3.53	20.87
2013–14	19.85	11.40 (57)	8.45	4.73	3.81 (81)	0.92	9.37
2014–15	9.38	6.55 (70)	2.83	4.73	2.85 (60)	1.88	4.71
2015–16	4.36	3.98 (91)	0.38	5.00	3.70 (74)	1.30	1.68
नगरपालिका परिषद नैनपुर							
2011–12	5.78	1.68 (29)	4.10	2.65	1.33 (50)	1.32	5.42
2012–13	5.42	3.15 (58)	2.27	2.65	1.29 (49)	1.36	3.63
2013–14	10.96	2.45 (22)	8.51	3.35	1.32 (39)	2.03	10.54
2014–15	9.50	1.79 (19)	7.71	3.48	1.31 (38)	2.17	9.88
2015–16	11.89	2.34 (20)	9.55	3.77	1.43 (38)	2.34	11.89
नगरपालिका परिषद पाण्डुना							
2011–12	26.02	8.39 (32)	17.63	13.05	7.99 (61)	5.06	22.69
2012–13	25.64	5.93 (23)	19.71	13.22	8.04 (61)	5.18	24.89
2013–14	26.65	10.92 (41)	15.73	13.42	8.48 (63)	4.94	20.67
2014–15	26.88	5.64 (21)	21.24	13.96	8.54 (61)	5.42	26.66
2015–16	27.30	8.19 (30)	19.11	14.63	9.34 (64)	5.29	24.40
नगरपालिका परिषद पोरसा							
2011–12	48.52	5.75 (12)	42.77	6.00	0.77 (13)	5.23	48.00
2012–13	48.00	2.63 (05)	45.37	9.45	0.64 (07)	8.81	54.18
2013–14	54.18	3.47 (06)	50.71	12.71	0.70 (27)	12.01	62.72
2014–15	62.73	3.92 (06)	58.81	9.50	0.66 (07)	8.84	67.65
2015–16	70.26	12.88 (18)	57.38	9.50	5.26 (55)	4.24	61.62
योग		7,122.72		23,004.40	12,706.22	10,298.18	
31.03.2016 की स्थिति कुल बकाया वसूली							14,268.51

(स्रोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कांडिका 4.1.8.1, पृष्ठ 49)
उपयोग शुल्क (जलकर) की मांग एवं वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्व वर्षों की बकाया मांग	पूर्व वर्षों के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष का मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
नगरपालिक निगम देवास							
2011–12	380.28	54.17 (14)	326.11	131.88	91.43 (69)	40.45	366.56
2012–13	366.55	118.84 (32)	247.71	136.20	89.34 (66)	46.86	294.57
2013–14	294.57	105.99 (36)	188.58	459.00	235.61 (51)	223.39	411.97
2014–15	411.98	129.74 (31)	282.24	504.00	272.73 (54)	231.27	513.51
2015–16	513.51	157.33 (31)	356.18	546.30	297.88 (55)	248.42	604.60
नगरपालिक निगम इन्दौर							
2011–12	13,790.54	1,081.50 (8)	12,709.04	1,684.07	1,839.31(109)	(-) 155.24	12,553.80
2012–13	17,017.57	565.36 (3)	16,452.21	3,975.57	1,168.97 (29)	2,806.60	18,258.81
2013–14	19,921.09	940.78 (5)	18,980.31	5,851.37	1,706.77 (29)	4,144.60	23,124.91
2014–15	18,144.25	325.47 (2)	17,818.78	1,272.43	826.56 (65)	445.87	18,264.65
2015–16	20,561.21	686.83 (3)	19,874.38	4,398.14	1,372.83 (31)	3,025.31	22,899.69
नगरपालिक निगम रतलाम							
2011–12	244.86	37.69 (15)	207.17	356.40	221.22 (62)	135.18	342.35
2012–13	342.35	44.56 (13)	297.79	376.20	232.08 (62)	144.12	441.91
2013–14	441.91	49.12 (11)	392.79	389.40	220.89 (57)	168.51	561.30
2014–15	561.31	131.47 (23)	429.84	397.45	281.92 (71)	115.53	545.37
2015–16	545.38	149.07 (27)	396.31	421.08	317.93 (75)	103.15	499.46
नगरपालिक निगम रीवा							
2011–12	60.00	65.00 (108)	(-) 5.00	165.00	58.85 (36)	106.15	101.15
2012–13	70.00	79.85 (114)	(-) 9.85	180.00	76.01 (42)	103.99	94.14
2013–14	80.00	48.85 (61)	31.15	200.00	162.75 (81)	37.25	68.40
2014–15	90.00	80.00 (89)	10.00	210.00	93.25 (44)	116.75	126.75
2015–16	95.00	84.41 (89)	10.59	225.00	90.05 (40)	134.95	145.54
नगरपालिका परिषद आमला							
2011–12	4.33	3.89 (90)	0.44	10.84	8.61 (79)	2.23	2.67

वर्ष	पूर्व वर्षों की बकाया मांग	पूर्व वर्षों के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष का मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
2012–13	2.67	1.63 (61)	1.04	11.86	9.26 (78)	2.60	3.64
2013–14	3.64	2.65 (73)	0.99	12.56	9.27 (74)	3.29	4.28
2014–15	9.28	5.04 (54)	4.24	13.08	8.64 (66)	4.44	8.68
2015–16	7.28	6.86 (94)	0.42	14.54	10.30 (71)	4.24	4.66
नगरपालिका परिषद अनुपपुर							
2011–12	4.50	3.07 (68)	1.43	6.80	5.13 (75)	1.67	3.10
2012–13	3.11	2.15 (69)	0.96	7.78	4.08 (52)	3.70	4.66
2013–14	7.24	4.97 (67)	2.27	8.16	6.40 (78)	1.76	4.03
2014–15	4.59	1.85 (40)	2.74	7.99	6.17 (77)	1.82	4.56
2015–16	4.53	1.50 (33)	3.03	8.05	5.65 (70)	2.40	5.43
नगरपालिका परिषद बड़वाह							
2011–12	38.47	15.97 (42)	22.50	32.42	24.63 (76)	7.79	30.29
2012–13	30.03	8.10 (27)	21.93	32.07	24.56 (76)	7.51	29.44
2013–14	29.39	4.51 (15)	24.88	39.48	29.47 (75)	10.01	34.89
2014–15	34.81	5.96 (17)	28.85	39.63	30.06 (76)	9.57	38.42
2015–16	38.42	9.23 (24)	29.19	39.25	30.92 (79)	8.33	37.52
नगरपालिका परिषद बेगमगंज							
2011–12	10.62	0.36 (3)	10.26	1.81	0.20 (11)	1.61	11.87
2012–13	11.87	0.87 (7)	11.00	2.17	0.47 (22)	1.70	12.70
2013–14	12.70	0.54 (4)	12.16	2.17	0.64 (30)	1.53	13.69
2014–15	13.69	3.69 (27)	10.00	3.82	1.40 (37)	2.42	12.42
2015–16	12.41	1.87 (15)	10.54	3.82	1.18 (31)	2.64	13.18
नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा							
2011–12	18.88	3.06 (16)	15.82	12.00	3.19 (27)	8.81	24.63
2012–13	24.63	6.31 (26)	18.32	12.00	6.18 (51)	5.82	24.14
2013–14	24.15	4.15 (17)	20.00	12.01	4.86 (41)	7.15	27.15
2014–15	24.15	2.77 (11)	21.38	12.01	4.04 (34)	7.97	29.35
2015–16	24.15	4.39 (18)	19.76	12.01	7.71 (64)	4.30	24.06
नगरपालिका परिषद हरदा							
2011–12	25.52	6.30 (25)	19.22	42.01	33.84 (81)	8.17	27.39
2012–13	27.39	7.28 (27)	20.11	44.41	36.43 (82)	7.98	28.09

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	पूर्व वर्षों की बकाया मांग	पूर्व वर्षों के बकाया मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	चालू वर्ष का मांग	चालू वर्ष के मांग के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	बकाया वसूली	कुल बकाया वसूली
2013–14	27.17	7.80 (29)	19.37	44.91	36.83 (82)	8.08	27.45
2014–15	27.45	7.68 (28)	19.77	45.66	33.72 (74)	11.94	31.71
2015–16	31.71	7.68 (35)	24.03	46.38	36.93 (80)	9.45	33.48
नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव							
2011–12	10.54	2.07 (20)	8.47	8.15	7.55 (93)	0.60	9.07
2012–13	9.59	0.90 (9)	8.69	8.15	6.55 (80)	1.60	10.29
2013–14	10.78	5.39 (50)	5.39	8.15	7.25 (89)	0.90	6.29
2014–15	6.29	3.77 (60)	2.52	8.15	6.86 (84)	1.29	3.81
2015–16	1.94	1.94 (100)	0.00	8.15	6.02 (74)	2.13	2.13
नगरपालिका परिषद नैनपुर							
2011–12	6.26	2.96 (47)	3.30	11.98	8.22 (69)	3.76	7.06
2012–13	6.32	3.32 (52)	3.00	12.34	8.41 (65)	3.93	6.93
2013–14	7.44	2.49 (37)	4.95	12.90	8.20 (64)	4.70	9.65
2014–15	9.70	2.19 (23)	7.51	13.55	8.12 (60)	5.43	12.94
2015–16	13.06	4.31 (33)	8.75	13.64	8.42 (61)	5.22	13.97
नगरपालिका परिषद पाण्डुणा							
2011–12	31.90	12.23 (40)	19.67	24.67	14.91 (60)	9.76	29.43
2012–13	32.83	9.83 (30)	23.00	25.60	18.27 (71)	7.33	30.33
2013–14	32.45	13.81 (43)	18.64	27.84	17.69 (64)	10.15	28.79
2014–15	30.41	6.19 (20)	24.22	27.91	15.87 (57)	12.04	36.26
2015–16	39.48	10.57 (27)	28.91	27.92	17.75 (64)	10.17	39.08
नगरपालिका परिषद पोरसा							
2011–12	38.52	10.66 (28)	27.86	14.50	7.34 (51)	7.16	35.02
2012–13	35.02	6.56 (19)	28.46	14.88	7.52 (51)	7.36	35.82
2013–14	35.82	6.69 (19)	29.13	13.96	7.25 (52)	6.71	35.84
2014–15	35.84	6.31 (18)	29.53	15.85	6.78 (43)	9.07	38.60
2015–16	44.15	9.14 (21)	35.01	15.85	8.92 (56)	6.93	41.94
कुल योग		5,199.49		22,775.33	10,275.05	12,500.28	24,364.74
31.03.2016 की स्थिति कुल बकाया वसूली							
24,364.74							

(स्रोत: नमूना जांच किए गए स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिशिक्षा-4.4 (अ)

(संदर्भ: कंडिका 4.1.12.2, पृष्ठ 54)

अवास्तविक बजट अनुमानों को तैयार किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट अनुमानों के अनुसार अनुमानित आय	वास्तविक आय	अंतर	प्रतिशत
1	2	3	4	5 (4 / 2 * 100)
नगरपालिक निगम देवास				
2011–12	165.75	85.05	80.70	49
2012–13	142.90	98.59	44.31	31
2013–14	133.61	151.48	(-) 17.87	13
2014–15	118.26	191.61	(-) 73.35	62
2015–16	194.90	111.54	83.36	43
नगरपालिक निगम इन्दौर				
2011–12	1,204.68	683.63	521.05	43
2012–13	1,479.07	736.46	742.61	50
2013–14	1,979.56	743.81	1,235.75	62
2014–15	2,236.76	769.89	1,466.87	66
2015–16	2,131.33	852.35	1,278.98	60
नगरपालिक निगम रतलाम				
2011–12	121.76	59.31	62.45	51
2012–13	143.57	78.07	65.50	46
2013–14	301.38	78.15	223.23	7
2014–15	322.91	84.99	237.92	74
2015–16	307.21	104.73	202.48	66
नगरपालिक निगम रीवा				
2011–12	115.90	50.30	65.60	57
2012–13	143.97	62.60	81.37	57
2013–14	201.61	74.61	127.00	63
2014–15	161.65	81.43	80.22	50
2015–16	220.10	156.59	63.51	29
नगरपालिका परिषद आमला				
2011–12	4.52	3.89	0.63	14
2012–13	4.67	4.91	(-) 0.24	05
2013–14	5.75	6.42	(-) 0.67	12
2014–15	12.14	8.29	3.85	32
2015–16	18.97	11.09	7.88	42
नगरपालिका परिषद अनुपपुर				
2011–12	4.31	3.42	0.89	21
2012–13	5.08	5.81	(-) 0.73	14
2013–14	32.60	12.77	19.83	61
2014–15	30.72	13.28	17.44	57
2015–16	33.44	23.30	10.14	30
नगरपालिका परिषद बड़वाह				
2011–12	5.51	4.66	0.85	15
2012–13	6.84	5.58	1.26	18
2013–14	8.00	6.44	1.56	19
2014–15	20.70	14.66	6.04	29

वर्ष	बजट अनुमानों के अनुसार अनुमानित आय	वास्तविक आय	अंतर	प्रतिशत
2015–16	21.17	7.26	13.91	66
नगरपालिका परिषद बैगमगंज				
2011–12	11.21	4.64	6.57	59
2012–13	12.74	7.67	5.07	40
2013–14	18.67	5.51	13.16	70
2014–15	20.41	5.49	14.92	73
2015–16	21.30	17.47	3.83	18
नगरपालिका परिषद गढ़कोटा				
2011–12	4.77	4.93	(–) 0.16	3
2012–13	6.51	5.55	0.96	15
2013–14	7.17	7.95	(–) 0.78	11
2014–15	8.84	5.61	3.23	37
2015–16	10.64	8.07	2.57	24
नगरपालिका परिषद हरदा				
2011–12	24.07	19.92	4.15	17
2012–13	34.24	33.35	0.89	03
2013–14	56.79	19.26	37.53	66
2014–15	75.35	14.03	61.32	81
2015–16	14.78	24.45	(–) 9.67	65
नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव				
2011–12	7.25	2.32	4.93	68
2012–13	7.90	2.32	5.58	71
2013–14	14.69	3.53	11.16	76
2014–15	28.23	14.94	13.29	47
2015–16	32.65	17.00	15.65	48
नगरपालिका परिषद नैनपुर				
2011–12	5.91	3.91	2.00	34
2012–13	6.80	5.22	1.58	23
2013–14	15.23	4.12	11.11	73
2014–15	15.03	5.05	9.98	66
2015–16	11.46	7.86	3.60	31
नगरपालिका परिषद पाण्डुर्ना				
2011–12	20.41	8.42	11.99	59
2012–13	21.49	10.20	11.29	53
2013–14	87.60	32.89	54.71	62
2014–15	55.80	42.45	13.35	24
2015–16	60.75	44.83	15.92	26
नगरपालिका परिषद पोरसा				
2011–12	6.78	5.34	1.40	21
2012–13	7.12	7.16	(–) 0.04	01
2013–14	13.24	8.94	4.30	32
2014–15	14.67	8.96	5.71	39
2015–16	14.97	14.74	0.23	02

(स्रोत: नमूना जांच किए गए स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट-4.4 (ब)

(संदर्भ: कंडिका 4.1.12.2, पृष्ठ 54)

अवास्तविक बजट अनुमानों को तैयार किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट अनुमानों के अनुसार अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	अंतर	प्रतिशत
1	2	3	4	5 (4 / 2 * 100)
नगरपालिक निगम देवास				
2011–12	165.74	75.34	90.40	55
2012–13	142.87	93.58	49.29	34
2013–14	113.58	122.39	(-) 8.81	8
2014–15	118.22	189.93	(-) 71.71	61
2015–16	194.88	62.64	132.24	68
नगरपालिक निगम इन्दौर				
2011–12	1,181.10	690.07	491.03	42
2012–13	1,479.05	772.03	707.02	48
2013–14	1,987.54	874.49	1,113.05	56
2014–15	2,240.61	933.10	1,307.51	58
2015–16	2,132.31	526.35	1,605.96	75
नगरपालिक निगम रतलाम				
2011–12	121.67	63.54	58.13	48
2012–13	143.18	76.80	66.38	46
2013–14	300.49	77.47	223.02	74
2014–15	322.17	74.52	247.65	77
2015–16	306.24	99.47	206.77	68
नगरपालिक निगम रीवा				
2011–12	115.86	42.13	73.73	64
2012–13	143.41	51.08	92.33	64
2013–14	201.22	65.60	135.62	67
2014–15	165.94	65.40	100.54	61
2015–16	219.39	72.44	146.95	67
नगरपालिका परिषद आमला				
2011–12	4.76	3.74	1.02	21
2012–13	4.53	4.84	(-) 0.31	07
2013–14	5.27	5.89	(-) 0.62	12
2014–15	11.96	8.24	3.72	31
2015–16	18.83	8.57	10.26	54
नगरपालिका परिषद अनुपपुर				
2011–12	4.55	3.41	1.14	25
2012–13	5.36	2.86	2.50	47
2013–14	35.65	8.36	27.29	77
2014–15	37.52	17.15	20.37	54
2015–16	36.47	7.33	29.14	80
नगरपालिका परिषद बड़वाह				
2011–12	5.51	4.66	0.85	15
2012–13	6.84	4.64	2.20	32
2013–14	8.00	5.83	2.17	27
2014–15	20.70	6.57	14.13	68

वर्ष	बजट अनुमानों के अनुसार अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	अंतर	प्रतिशत
1	2	3	4	5 (4 / 2 * 100)
2015–16	21.17	7.26	13.91	66
नगरपालिका परिषद बेगमगंज				
2011–12	11.21	3.96	7.25	65
2012–13	12.74	4.22	8.52	67
2013–14	18.67	5.76	12.91	69
2014–15	20.40	6.01	14.39	71
2015–16	21.30	13.04	8.26	39
नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा				
2011–12	4.77	4.70	0.07	1
2012–13	6.51	5.37	1.14	18
2013–14	7.16	7.45	(-) 0.29	4
2014–15	8.82	6.98	1.84	21
2015–16	10.62	7.56	3.06	29
नगरपालिका परिषद हरदा				
2011–12	28.38	23.16	5.22	18
2012–13	29.62	11.37	18.25	62
2013–14	53.26	16.96	36.30	68
2014–15	86.97	12.79	74.18	85
2015–16	15.65	24.85	(-) 9.20	59
नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव				
2011–12	7.25	4.20	3.05	42
2012–13	7.90	4.21	3.69	47
2013–14	14.68	8.37	6.31	43
2014–15	28.23	12.86	15.37	54
2015–16	32.65	21.36	11.29	35
नगरपालिका परिषद नैनपुर				
2011–12	5.46	3.27	2.19	40
2012–13	6.61	4.36	2.25	34
2013–14	15.12	4.67	10.45	69
2014–15	14.69	5.90	8.79	60
2015–16	11.44	5.62	5.82	51
नगरपालिका परिषद पाण्डुना				
2011–12	20.41	7.34	13.07	64
2012–13	21.49	9.94	11.55	54
2013–14	87.60	26.49	61.11	70
2014–15	55.78	33.77	22.01	39
2015–16	60.74	19.95	40.79	67
नगरपालिका परिषद पोरसा				
2011–12	6.77	4.90	1.87	28
2012–13	7.12	5.95	1.17	16
2013–14	13.24	5.86	7.38	56
2014–15	14.67	7.10	7.57	52
2015–16	14.93	9.14	5.79	39

(स्रोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिषिष्ट-4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.1.12.3, पृष्ठ 54)

31.03.2016 की स्थिति में रोकड़ बही और बैंक पास बुक में भिन्नता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

सं. क्र.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष	रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष	अंतर
1	नगरपालिक निगम, देवास	6,214.09	5,335.85	878.24
		104.01	311.14	(-) 207.13
2	नगरपालिक निगम, रीवा	927.07	965.41	(-) 38.34
		7,025.25	6,953.66	71.59
3	नगरपालिका परिषद, आमला	412.59	336.62	75.97
4	नगरपालिका परिषद, अनुपपुर	26.04	18.06	7.98
		1,530.85	1,580.79	(-) 49.94
5	नगरपालिका परिषद, बड़वाह	868.29	890.83	(-) 22.54
6	नगरपालिका परिषद, बेगमगंज	1,493.22	1,357.22	136.00
		57.01	58.62	(-) 1.61
7	नगरपालिका परिषद, गढ़कोटा	229.81	183.86	45.95
		76.49	78.83	(-) 2.34
8	नगरपालिका परिषद, हरदा	1,842.06	1,710.46	131.60
9	नगरपालिका परिषद, जुन्नारदेव	877.25	635.79	241.46
10	नगरपालिका परिषद, नैनपुर	600.35	516.71	83.64
11	नगरपालिका परिषद, पाण्डुना	3,392.16	3,323.44	68.72
12	नगरपालिका परिषद, पोरसा	1,448.07	1,230.72	217.35

(स्रोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: कंडिका 4.1.12.4, पृष्ठ 54)

आरक्षित निधि में राशि कम जमा करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

नगरपालिक निगम / पालिका का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान स्वयं का कुल राजस्व	आरक्षित निधि में जमा करने योग्य राशि	वास्तविक जमा राशि	कम जमा
1	2	3	4 (3 का पांच प्रतिशत)	5	6
देवास	2011–12	3,269.36	163.46	निरंक	163.46
	2012–13	3,957.35	197.87	निरंक	197.87
	2013–14	3,552.96	177.65	निरंक	177.65
	2014–15	5,056.38	252.82	निरंक	252.82
	2015–16	4,525.86	226.29	निरंक	226.29
	योग	20,361.91	1,018.09	निरंक	1,018.09
इन्दौर	2011–12	38,802.00	1,940.10	निरंक	1,940.10
	2012–13	47,459.00	2,372.95	निरंक	2,372.95
	2013–14	51,339.00	2,581.95	निरंक	2,581.95
	2014–15	57,755.00	2,887.75	निरंक	2,887.75
	2015–16	64,461.00	3,222.05	निरंक	3,222.05
	योग	2,60,096.00	13,004.80	निरंक	13,004.80
रत्लाम	2011–12	3,443.24	172.16	निरंक	172.16
	2012–13	3,538.22	176.91	निरंक	176.91
	2013–14	4,342.82	217.14	निरंक	217.14
	2014–15	4,390.14	219.51	निरंक	219.51
	2015–16	4,438.66	221.93	219.28	2.65
	योग	20,153.08	1,007.65	219.28	788.37
रीवा	2011–12	3,441.34	172.07	20.88	151.19
	2012–13	2,317.89	115.89	30.62	85.27
	2013–14	3,204.19	160.21	1.31	158.90
	2014–15	4,737.30	236.87	10.83	226.04
	2015–16	3,735.89	186.79	2.82	183.97
	योग	17,436.61	871.83	66.46	805.37
आमला	2011–12	218.40	10.92	निरंक	10.92
	2012–13	243.47	12.17	निरंक	12.17
	2013–14	313.43	15.67	निरंक	15.67
	2014–15	357.24	17.86	निरंक	17.86
	2015–16	391.79	19.59	30.05	(-) 10.46
	योग	1,524.33	76.21	30.05	46.16
अनुपपुर	2011–12	176.98	8.85	0.15	8.70
	2012–13	214.32	10.72	निरंक	10.72
	2013–14	174.45	8.72	निरंक	8.72
	2014–15	173.42	8.67	22.03	(-) 13.36
	2015–16	209.44	10.47	0.02	10.45
	योग	948.61	47.43	22.20	25.23

नगरपालिका निगम / पालिका का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान स्वयं का कुल राजस्व	आरक्षित निधि में जमा करने योग्य राशि	वास्तविक जमा राशि	कम जमा
बड़वाह	2011–12	302.02	15.10	निरंक	15.10
	2012–13	339.41	16.97	निरंक	16.97
	2013–14	397.91	19.90	निरंक	19.90
	2014–15	380.99	19.04	निरंक	19.04
	2015–16	412.83	20.64	31.39	(–) 10.75
	योग	1,833.16	91.65	31.39	60.26
बेगमगंज	2011–12	205.12	10.26	1.01	9.25
	2012–13	212.19	10.61	1.38	9.23
	2013–14	283.52	14.18	0.76	13.42
	2014–15	401.73	20.09	2.21	17.88
	2015–16	426.13	21.31	1.65	19.66
	योग	1,528.69	76.45	7.01	69.44
गढ़ाकोटा	2011–12	190.26	9.51	1.21	8.30
	2012–13	193.45	9.67	2.17	7.50
	2013–14	251.81	12.59	1.29	11.30
	2014–15	198.08	9.90	2.10	7.80
	2015–16	296.79	14.84	4.78	10.06
	योग	1,130.39	56.51	11.55	44.96
हरदा	2011–12	1,121.83	56.09	23.03	33.06
	2012–13	1,109.53	55.48	18.00	37.48
	2013–14	1,269.97	63.50	18.07	45.43
	2014–15	992.91	49.65	15.78	33.88
	2015–16	1,231.47	61.57	20.08	41.49
	योग	5,725.71	286.29	94.97	191.33
जुन्नारदेव	2011–12	192.45	9.62	2.75	6.87
	2012–13	198.53	9.93	3.61	6.32
	2013–14	260.72	13.03	2.96	10.07
	2014–15	281.99	14.09	8.80	5.29
	2015–16	311.44	15.57	8.89	6.68
	योग	1,245.13	62.24	27.01	35.23
नैनपुर	2011–12	220.18	11.01	4.06	6.95
	2012–13	253.80	12.69	5.18	7.51
	2013–14	223.32	11.17	3.97	7.20
	2014–15	267.71	13.38	5.56	7.82
	2015–16	277.17	13.86	4.54	9.32
	योग	1,242.18	62.11	23.31	38.80
पाण्डुना	2011–12	523.27	26.16	19.04	7.12
	2012–13	589.20	29.46	25.67	3.79
	2013–14	728.08	36.40	41.90	(–) 5.50
	2014–15	891.44	44.57	20.06	24.51
	2015–16	835.44	41.77	18.28	23.49
	योग	3,567.43	178.36	124.95	53.41
पोरसा	2011–12	262.33	13.12	6.16	6.96

	2012–13	419.09	20.95	4.65	16.30
	2013–14	312.70	15.64	6.72	8.92
	2014–15	419.71	20.99	5.08	15.91
	2015–16	460.86	23.04	निरंक	23.04
	योग	1,874.69	93.74	22.61	71.13
	कुल योग	3,38,667.92	16,933.40	680.79	16,252.58

(स्रोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: कंडिका 4.1.12.6, पृष्ठ 56)

स्रोत पर करों के कटौत्रे को सम्बंधित प्राधिकारियों को प्रेषण नहीं करने का विवरण पत्रक
(₹ लाख में)

नगरपालिक निगम देवास					
वर्ष	कर्मकार कल्याण उपकर	रॉयल्टी	वैट / केन्द्रीय विक्रय कर	आयकर	योग
2010–11 तक	4.34	7.72	निरंक	निरंक	12.06
2011–12	3.03	9.60	निरंक	निरंक	12.63
2012–13	18.00	41.42	61.03	निरंक	120.45
2013–14	36.25	37.51	64.68	निरंक	138.44
2014–15	18.89	29.60	निरंक	निरंक	48.49
2015–16	41.86	52.97	निरंक	निरंक	94.83
योग	122.37	178.82	125.71	निरंक	426.90
नगरपालिक निगम रीवा					
31.03.2016 की स्थिति में	निरंक	122.12	145.97	निरंक	268.09
नगरपालिका परिषद अनुपपुर					
2012–13	0.66	0.76	4.59	1.91	7.92
2013–14	2.57	0.72	11.36	3.66	18.31
2014–15	11.50	निरंक	17.21	12.88	41.59
2015–16	0.99	0.25	0.51	1.35	3.10
योग	15.72	1.73	33.67	19.80	70.92
कुल योग	138.09	302.67	305.35	19.80	765.91

(स्रोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ: कंडिका 4.1.12.9, पृष्ठ 57)

नगरीय विकास उपकर के राज्य अंशदान को शासकीय खाते में कम जमा करने का विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	वर्ष के दौरान वसूल किया गया नगरीय विकास उपकर	शासकीय खाते में जमा किए जाने योग्य राशि	शासकीय खाते में वास्तविक जमा राशि	कम जमा
1	2	3 (2 का 40 प्रतिशत)	4	5
नगरपालिक निगम देवास				
2011–12	37.89	15.16	निरंक	15.16
2012–13	65.14	26.05	निरंक	26.05
2013–14	165.92	66.37	निरंक	66.37
2014–15	153.50	61.40	निरंक	61.40
2015–16	213.78	85.51	निरंक	85.51
योग	636.23	254.49	निरंक	254.49
नगरपालिक निगम इन्दौर				
2011–12	458.01	183.20	निरंक	183.20
2012–13	601.90	240.76	निरंक	240.76
2013–14	598.87	239.55	निरंक	239.55
2014–15	808.14	323.26	निरंक	323.26
2015–16	1,010.04	404.02	निरंक	404.02
योग	3,476.96	1,390.79	निरंक	1,390.79
नगरपालिक निगम रतलाम				
2011–12	46.41	18.56	निरंक	18.56
2012–13	41.68	16.67	निरंक	16.67
2013–14	41.92	16.77	निरंक	16.77
2014–15	43.44	17.38	निरंक	17.38
2015–16	56.09	22.44	निरंक	22.44
योग	229.54	91.82	निरंक	91.82
नगरपालिक निगम रीवा				
2011–12	23.40	9.36	निरंक	9.36
2012–13	32.10	12.84	निरंक	12.84
2013–14	26.61	10.64	निरंक	10.64
2014–15	74.03	29.61	निरंक	29.61
2015–16	67.80	27.12	निरंक	27.12
योग	223.94	89.57	निरंक	89.57
नगरपालिका परिषद आमला				
2011–12	0.05	0.02	निरंक	0.02
2012–13	0.06	0.02	निरंक	0.02
2013–14	0.13	0.05	निरंक	0.05
2014–15	0.19	0.08	निरंक	0.08
2015–16	2.82	1.13	निरंक	1.13
योग	3.25	1.30	निरंक	1.30
नगरपालिका परिषद अनुपपुर				
2011–12	0.72	0.29	निरंक	0.29
2012–13	0.46	0.18	निरंक	0.18
2013–14	0.75	0.30	निरंक	0.30
2014–15	0.73	0.29	निरंक	0.29

वर्ष	वर्ष के दौरान वसूल किया गया नगरीय विकास उपकर	शासकीय खाते में जमा किए जाने योग्य राशि	शासकीय खाते में वास्तविक जमा राशि	कम जमा
1	2	3 (2 का 40 प्रतिशत)	4	5
2015–16	0.26	0.10	निरंक	0.10
योग	2.92	1.16	निरंक	1.16
नगरपालिका परिषद बड़वाह				
2011–12	1.22	0.49	निरंक	0.49
2012–13	1.20	0.48	निरंक	0.48
2013–14	1.45	0.58	निरंक	0.58
2014–15	1.46	0.58	निरंक	0.58
2015–16	1.42	0.57	निरंक	0.57
योग	6.75	2.70	निरंक	2.70
नगरपालिका परिषद बेगमगंज				
2011–12	0.44	0.18	निरंक	0.18
2012–13	0.78	0.31	निरंक	0.31
2013–14	0.40	0.16	निरंक	0.16
2014–15	2.16	0.86	निरंक	0.86
2015–16	1.40	0.56	निरंक	0.56
योग	5.18	2.07	निरंक	2.07
नगरपालिका परिषद गढ़कोटा				
2011–12	0.44	0.18	0.18	निरंक
2012–13	0.36	0.14	0.14	निरंक
2013–14	0.33	0.13	0.13	निरंक
2014–15	0.28	0.11	0.11	निरंक
2015–16	2.54	1.02	0.12	0.90
योग	3.95	1.58	0.68	0.90
नगरपालिका परिषद हरदा				
2011–12	5.53	2.21	1.57	0.64
2012–13	5.88	2.35	1.90	0.45
2013–14	6.50	2.60	2.21	0.39
2014–15	6.86	2.74	2.41	0.33
2015–16	6.99	2.80	3.62	निरंक
योग	31.76	12.70	11.71	0.99
नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव				
2011–12	2.20	0.88	निरंक	0.88
2012–13	1.19	0.48	निरंक	0.48
2013–14	2.92	1.17	निरंक	1.17
2014–15	4.24	1.70	निरंक	1.70
2015–16	4.15	1.66	निरंक	1.66
योग	14.70	5.89	निरंक	5.89
नगरपालिका परिषद नैनपुर				
2011–12	1.67	0.67	0.67	निरंक
2012–13	2.21	0.88	0.89	निरंक
2013–14	1.75	0.70	निरंक	0.70
2014–15	1.87	0.75	निरंक	0.75
2015–16	2.19	0.88	निरंक	0.88
योग	9.69	3.88	1.56	2.32
नगरपालिका परिषद पाण्डुनार्फा				
2011–12	7.09	2.84	निरंक	2.84

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2012–13	6.89	2.76	निरंक	2.76
2013–14	8.50	3.40	निरंक	3.40
2014–15	8.61	3.44	निरंक	3.44
2015–16	9.48	3.79	निरंक	3.79
योग	40.57	16.23	निरंक	16.23
कुल योग	4,685.44	1,874.18	13.95	1,860.23

(स्रोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट-4.9

(संदर्भ: कंडिका 4.1.13.1, पृष्ठ 57)

राजस्व विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण पत्रक

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
नगरपालिक निगम देवास				
1	राजस्व अधिकारी	01	निरंक	01
2	सहायक राजस्व अधिकारी	02	निरंक	02
3	मुख्य राजस्व निरीक्षक	01	निरंक	01
4	राजस्व निरीक्षक	04	निरंक	04
5	उप राजस्व निरीक्षक	09	01	08
	योग	17	01	16 (94 प्रतिशत)
नगरपालिक निगम इन्दौर				
1	राजस्व अधिकारी	04	निरंक	04
2	सहायक राजस्व अधिकारी	06	निरंक	06
3	मुख्य राजस्व निरीक्षक	16	निरंक	16
4	राजस्व निरीक्षक	24	02	22
5	उप राजस्व निरीक्षक	49	निरंक	49
6	सहायक राजस्व निरीक्षक	195	87	108
	योग	294	89	205 (70 प्रतिशत)
नगरपालिक निगम रतलाम				
1	राजस्व अधिकारी	01	निरंक	01
2	सहायक राजस्व अधिकारी	02	निरंक	02
3	मुख्य राजस्व निरीक्षक	01	निरंक	01
4	राजस्व निरीक्षक	04	निरंक	04
5	उप राजस्व निरीक्षक	08	01	07
6	सहायक राजस्व निरीक्षक	31	10	21
	योग	47	11	36 (77 प्रतिशत)
नगरपालिक निगम रीवा				
1	राजस्व अधिकारी	01	निरंक	01
2	सहायक राजस्व अधिकारी	02	02	निरंक
3	मुख्य राजस्व निरीक्षक	01	निरंक	01
4	उप राजस्व निरीक्षक	07	05	02
5	सहायक राजस्व निरीक्षक	28	17	11
	योग	39	24	15 (38 प्रतिशत)
नगरपालिका परिषद बड़वाह				
1	वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक	01	निरंक	01
2	राजस्व निरीक्षक	01	निरंक	01
3	उप राजस्व निरीक्षक	01	निरंक	01
4	सहायक राजस्व निरीक्षक	21	13	08
	योग	24	13	11 (46 प्रतिशत)
नगरपालिका परिषद पोरसा				
1	वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक	1	निरंक	1
2	राजस्व निरीक्षक	1	निरंक	1
3	उप राजस्व निरीक्षक	2	निरंक	2
4	सहायक राजस्व निरीक्षक	6	6	निरंक
	योग	10	6	4 (40 प्रतिशत)

(झोत: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट—5.1

(संदर्भ: कंडिका 5.1.4.1, पृष्ठ 66)

नगरपालिक निगम भोपाल के अग्निशमन केन्द्रों के स्थलों के परिमाप का विवरण

संक्र.	स्थलों के प्रकार	अग्निशमन केन्द्रों के नाम							
		पुलबोगदा 3		सन्त हिरदाराम नगर 3		छोला 2		गोविंदपुरा 2	
		न्यूनतम आवश्यक परिमाप	वास्तविक उपलब्धता						
1	उपकरण कक्ष	900 वर्गफुट	100 वर्गफुट	900 वर्गफुट	निरंक	600 वर्गफुट	निरंक	600 वर्गफुट	निरंक
3	निगरानी कक्ष	120 वर्गफुट	800 वर्गफुट	120 वर्गफुट	450 वर्गफुट	120 वर्गफुट	120 वर्गफुट	120 वर्गफुट	100 वर्गफुट
4	भंडार	200 वर्गफुट	150 वर्गफुट	200 वर्गफुट	120 वर्गफुट	180 वर्गफुट	निरंक	180 वर्गफुट	निरंक
5	कार्य कक्ष (छोटी मरम्मत के लिये)	200 वर्गफुट	150 वर्गफुट	200 वर्गफुट	144 वर्गफुट	200 वर्गफुट	निरंक	200 वर्गफुट	120 वर्गफुट
6	विश्राम कक्ष / मनोरंजन कक्ष	250 वर्गफुट	निरंक	250 वर्गफुट	निरंक	200 वर्गफुट	100 वर्गफुट	200 वर्गफुट	300 वर्गफुट
7	पेट्रोल स्टोर	5000 गैलन क्षमता	निरंक	10000 गैलन क्षमता	निरंक	5000 गैलन क्षमता	निरंक	5000 गैलन क्षमता	निरंक
8	कुदाल धोने का स्थान	40'x3'2' गहरा	निरंक						
9	धुंए का चेम्बर	8'8'8' ऊंचा	निरंक						
10	जलझोत	प्रत्येक प्रकार का एक	निरंक	प्रत्येक प्रकार का एक	1	प्रत्येक प्रकार का एक	निरंक	प्रत्येक प्रकार का एक	निरंक
11	प्रैषिक्षण मैदान	10000 वर्गफुट (200' x 50')	निरंक	10000 वर्गफुट (200' x 50')	हाँ	10000 वर्गफुट (200' x 50')	निरंक	10000 वर्गफुट (200' x 50')	निरंक

(चोत: भोपाल नगरपालिक निगम से एकत्रित जानकारी)

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: कंडिका 5.1.4.3, पृष्ठ 68)

नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में उपलब्ध व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का विवरण पत्रक

स. क्र.	एसएफएसी द्वारा अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	नगरपालिका निगम भोपाल	नगरपालिका निगम जबलपुर	नगरपालिका चंद्रेरी	नगरपालिका मलाजखंड	नगरपालिका मंडीदीप	नगरपालिका परिषद बामौर
1	हैलमेट	√	√	√	√	√	√
2	लटकाने वाली पानी की बोतल	X	X	X	X	X	X
3	आंखों की सुरक्षा	√	X	X	X	X	X
4	कानों की सुरक्षा	X	X	X	X	X	X
5	स्टील सिरे वाले जूते	X	X	X	X	X	X
6	सुरक्षा सीटी	X	√	X	X	X	X
7	घुटनों के पैड	X	X	X	X	X	X
8	कार्य करने के दास्ताने	√	X	√	√	X	√
9	सम्पूर्ण अग्नि प्रतिरोधक सूट	X	X	X	X	X	X
10	व्यक्तिगत सुरक्षा लाइन	X	X	X	X	X	X
11	गम बूट/सुरक्षा बूट/अग्निषामक बूट	√	√	√	√	√	√
12	अग्नि में प्रवेष सूट	√	X	X	X	X	X
13	अग्नि निकटता सूट	√	X	X	X	X	X
14	अग्नि तक पहुंच सूट	X	X	X	X	X	X
15	अग्निषामक की कुल्हाड़ी	√	√	X	√	√	X
16	सांस के उपकरण	√	√	X	X	X	X

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: कंडिका 5.1.5.1, पृष्ठ 72)

अग्निकर्मियों की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या का विवरण पत्रक

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	मुख्य अग्निशमन अधिकारी		अग्निशमन अधिकारी		सहायक अग्निशमन अधिकारी		मुख्य अग्निकर्मी		अग्निकर्मी		योग	
	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृत	कार्यरत
नगरपालिका निगम भोपाल	2	—	4	1	8	—	54	—	108	155	176	156
नगरपालिका निगम जबलपुर	1	—	2	—	4	2	60	3	120	80	187	85
नगर पालिका चंदेरी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी और सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद इन नगरीय स्थानीय निकायों में स्वीकृत नहीं किए गए थे।						1	—	6	6	7	6
नगर पालिका मलाजखंड							1	—	6	5	7	5
नगर पालिका मंडीदीप							1	—	18	13	19	13
नगर पालिका सनावद							1	—	12	11	13	11
नगरपालिका परिषद बानमोर							1	—	13	2	14	2
नगरपालिका परिषद चांदला							1	—	6	4	7	4
नगरपालिका परिषद खिरकिया							1	—	6	2	7	2
नगरपालिका परिषद शाहपुर							1	—	6	1	7	1
योग	3	—	6	1	12	2	122	3	301	279	443	285

परिषिष्ट—5.4

(संदर्भ: कंडिका 5.2.1, पृष्ठ 76)
पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली

सं. क्र.	प्रकरण क्रमांक	भूखंड क्षेत्रफल	कॉलोनाइजर के अनुसार प्राकक्लित लागत	वसूल किया गया पर्यवेक्षण शुल्क	नगर निगम, इंदौर की मौजूदा दर के अनुसार प्राकक्लित लागत	दो प्रतिशत की दर के अनुसार वसूल की जाने वाली पर्यवेक्षण शुल्क	कम वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर राजस्व प्रकरण क्रमांक 4448 / बी-121 / 2009-10 / 25.4.11	2.777 हैक्टेयर (298913.79 वर्ग फीट)	9,28,464	18,570	5,97,82,758 (298913.79*200)	11,95,655	11,77,085
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर राजस्व प्रकरण क्रमांक 1376 / बी-121 / 2012-13 दिनांक 04.06.13	2.000 हैक्टेयर (215278 वर्ग फीट)	24,38,240	48,765	4,30,55,600 (215278*200)	8,61,112	8,12,347
3	कार्यालय नगर पंचायत बदनावर के पत्र/क्र/369/निर्माण/2015 दिनांक 12.03.15	1.117 हैक्टेयर (120232.88 वर्ग फीट)	30,72,321	61,447	2,40,46,400 (120232*200)	4,80,928	4,19,481
4	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर राजस्व प्रकरण क्रमांक 1817 / बी-121 / 2012-13 दिनांक 08.10.15	2.909 हैक्टेयर (313122.15 वर्ग फीट)	61,89,455	1,23,790	6,26,24,430 (313122.15*200)	12,52,489	11,28,699
5	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर राजस्व प्रकरण क्रमांक 3250 / बी-121 / 2012-13 दिनांक 18.10.13	5.264 हैक्टेयर (566612.24 वर्ग फीट)	38,51,342	77,027	11,33,22,448 (566612.24*200)	22,66,449	21,89,422
6	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर राजस्व प्रकरण क्रमांक 1044 / बी-121 / 2012-13 दिनांक 04.02.13	5.552 हैक्टेयर (597612.31 वर्ग फीट)	1,17,71,000	2,35,420	11,95,22,462 (597612.31*200)	23,90,449	21,55,029
		योग		5,65,019		84,47,082	78,82,063

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

पी.डी.एफ. डाउनलोड करने के लिए यहाँ स्कैन करे



www.agmp.nic.in